

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 68

अंक : 2

पृष्ठ : 52






दिसंबर 2021

मूल्य : ₹ 22

अभिनव कौशल और आजीविका



हमारे नए प्रकाशन



गांधी साहित्य, भारतीय इतिहास,
जाने-माने व्यक्तियों की जीवनियां, उनके भाषण और लेखन,
आधुनिक भारत के निर्माता शृंखला की पुस्तकें,
कला एवं संस्कृति, बाल साहित्य




चुनिदा ई-बुक
एमेज़ॉन और गूगल प्ले
पर उपलब्ध



प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ई-मेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in





कुरुक्षेत्र

इस अंक में



वर्ष : 68 ★ मासिक अंक : 2 ★ पृष्ठ : 52 ★ अग्रहायण-पौष 1943 ★ दिसंबर 2021

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

उत्पादन अधिकारी : डी.के.सी. हृदयनाथ

आवरण : राजिन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

@publicationsdivision

@DPD_India

@dpd_India

कुरुक्षेत्र सदस्यता शुल्क

पत्रिका ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkash.gov.in/product पर
तथा ई-पुस्तकों के लिए Google play, Kobo या Amazon पर
लॉग-इन करें।

वार्षिक : ₹ 230, द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने, एजेंसी संबंधी
सूचना तथा विज्ञापन छापवाने के लिए संपर्क करें-

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश

प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने
में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पर मेल
करें ई-मेल : pdjuicir@gmail.com या दूरभाष:
011-24367453 पर संपर्क करें।



कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्ति विचार
लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी
दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि
करियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में
विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें।
पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के
लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

दिसंबर 2021

भविष्य के लिए कौशल विकास

5

-डॉ. के राजेश्वर राव, पीयूष प्रकाश

कौशल विकास से होगा सहकारी समितियों का कायाकल्प

13

-डॉ. के. के. त्रिपाठी और डॉ. एस. के. वाडकर

एमएसएमई : भारत के समावेशी विकास में योगदान

18

-डॉ. श्रीपर्णा बी वरुआ

नए भारत की कृषि क्रांति में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण

23

-डॉ. नीलम पटेल, डॉ. तनु सेठी

'गंगा उत्सव 2021 - द रिवर फेस्टिवल'

26

कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी

28

-विजय प्रकाश श्रीवास्तव

नवाचार और उद्यमिता कौशल को बढ़ावा

32

-डॉ. हरेंद्र राज गौतम

डिजिटलीकरण का आजीविका सृजन पर प्रभाव

37

-करिश्मा शर्मा

कौशल विकास से होगा भारत आत्मनिर्भर

40

-विजन कुमार पाण्डेय

ग्रामीण मेले : रोजगार एवं मनोरंजन के स्तंभ

43

-पवन कुमार शर्मा



प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, वसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुडा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नैप्युन टॉवर, चौथी मंजिल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नेर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669

भारतीय अर्थव्यवस्था कई गुना विकसित होकर 2020 के जीडीपी आंकड़ों के आधार पर अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत के युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनना चाहते हैं। कौशल विकास सभी पहलों का मूल आधार है और इसके पीछे प्रेरक शक्ति भारत के युवा हैं। कौशल न केवल आजीविका का साधन है, बल्कि हमारी सामान्य दिनचर्या में स्वयं को जीवंत और ऊर्जावान महसूस करने का एक विशेष माध्यम भी है। कौशल विकास के ज़रिए न केवल रोजगार पाने लायक बना जा सकता है, बल्कि यह संतोषजनक जीवन जीने में भी मददगार साबित होता है। नए कौशल सीखने से व्यक्ति जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह अनुभव करता है।

मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया सहित अन्य दूरदर्शी योजनाओं के साथ स्किल इंडिया जैसी योजनाएं युवा पीढ़ी को कौशल हासिल कर स्वरोजगार के अपार अवसर प्रदान कर रही हैं। छह साल पहले स्किल इंडिया मिशन इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि युवाओं को जानकारी के साथ-साथ नए कौशल भी सीखने को मिलें। 'स्किल इंडिया मिशन' से कौशल प्राप्त करने, नया कौशल सीखने एवं कौशल बढ़ाने के लिए एक विशाल अवसररचना का निर्माण हुआ है और इसके साथ ही, स्थानीय एवं विश्व, दोनों ही स्तरों पर रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ़ गए हैं। इसकी बदौलत देशभर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और आईटीआई परिवेश या व्यवस्था की क्षमता काफी बढ़ गई है। इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले 6 वर्षों में करोड़ों युवाओं को कौशल और आजीविका हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है।

जिस तेज़ी से आज तकनीक बदल रही है, आने वाले 3-4 वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रि-स्किलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसी आवश्यकता को देखते -समझते हुए आदिवासी समाज के उत्थान और उनके कौशल विकास के लिए गोइंग ऑनलाइन एस लीडर्स (GOAL) प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम पारंपरिक स्किल्स के क्षेत्रों जैसे कला, संस्कृति, हस्तशिल्प आदि क्षेत्रों में जनजातीय समाज में डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ कौशल विकास में भी मदद करेगा और उनमें उद्यमिता विकसित करेगा। इसी तरह वनधन योजना भी आज आदिवासी समाज को नए अवसरों से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बन रही है। आने वाले समय में इस तरह के अभियानों को और ज़्यादा व्यापक बनाना ज़रूरी है तभी कौशल विकास के ज़रिए स्वयं को और देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूरा हो सकता है।

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण एसएचजी महिलाओं को कम से कम 1 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाने के लिए सक्षम बनाने की एक पहल की शुरुआत की गई है जो ग्रामीण महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगी।

ग्रामीण भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्र आजीविका का मुख्य स्रोत हैं। ऐसे में एक तरफ खेती को बनाए रखने की आवश्यकता है तो दूसरी तरफ, युवाओं को भी अपनी आकांक्षाओं और जीवनशैली को पूरा करने के लिए गैर-कृषि रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। भारत में 60 प्रतिशत कृषि श्रमिकों के पास औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है, उन्हें सम्मानजनक रोजगार के लिए कौशल की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकियों से कौशल उभरता है और नई तकनीकों के उद्भव के लिए नवाचार महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में तकनीकी कौशल और नवाचार पर काफी ज़ोर दिया जा रहा है और इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

हुनर के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा "जब कोई समाज स्किल को महत्व देता है तो समाज की 'अप स्किलिंग' भी होती है, उन्नति भी होती है। दुनिया इस बात को बखूबी जानती भी है। लेकिन भारत की सोच इससे भी दो कदम आगे की रही है। हमारे पूर्वजों ने स्किल को महत्व देने के साथ ही उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया, स्किल्स को समाज के उल्लास का हिस्सा बना दिया। आप देखिए, हम विजयदशमी को शस्त्र पूजन करते हैं। अक्षय तृतीया को किसान फसल की, कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा तो हमारे देश में हर स्किल, हर शिल्प से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व रहा है।... एजुकेशन अगर हमें ये जानकारी देती है कि हमें क्या करना है, तो स्किल हमें सिखाती है कि वो काम वास्तविक स्वरूप में कैसे होगा! देश का स्किल इंडिया मिशन इसी सच्चाई, इसी ज़रूरत के साथ कदम-से-कदम मिलाने का अभियान है।" 15 जुलाई, 2021 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नई पीढ़ी के युवाओं का कौशल विकास एक राष्ट्रीय ज़रूरत है, आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है।

संक्षेप में, 'हुनर है तो कदर है', यह छोटी-सी पंक्ति कौशल विकास के महत्व को बताने के लिए पर्याप्त है। कौशल युक्त होना एक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर तो देता ही है, एक राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भी, कौशल विकास एक अनिवार्य आवश्यकता है। राष्ट्र लोगों से बनता है, अगर लोग सक्षम तथा योग्य बनेंगे तो राष्ट्र भी सक्षम तथा मजबूत बनेगा। भारत की आबादी में युवाओं की संख्या काफी अधिक है, इस कारण से हमारा देश जनसंख्या लाभांश अर्थात् डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है लेकिन यह लाभांश अपने आप में एक काल्पनिक स्थिति है जो मूर्त रूप तभी लेगा जब इस युवा जनसंख्या में वांछित योग्यताएं तथा कुशलताएं मौजूद हों और सरकार के संपूर्ण प्रयास इसी दिशा में हैं।

भविष्य के लिए कौशल विकास

-डॉ. के राजेश्वर राव
-पीयूष प्रकाश

भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के स्तंभों में इसकी युवा शक्ति भी शामिल है। कामकाजी आयु वर्ग में इसकी लगभग दो-तिहाई आबादी के कारण भारत इस जनसांख्यिकीय लाभांश से व्यापक लाभ उठा सकता है बशर्ते युवा जन उपयुक्त कौशल से लैस हों। वर्ष 2014 भारतीय कौशल विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जब कौशल विकास के लिए एक समर्पित मंत्रालय का गठन किया गया। भारत को दुनिया की कौशल राजधानी में बदलने की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए कई कदम उठाए गए। स्किल इंडिया मिशन और हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने कई नवाचारों और अनूठे सुधारों के साथ इस दिशा में ठोस कदम हैं। स्कूल और उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकियों में कौशल प्रशिक्षण उच्च-कुशल कार्यबल के सृजन में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा।

भारत आज 28-29 वर्ष की औसत आयु के साथ विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन के एक अनूठे चरण में है जहां कामकाजी उम्र की आबादी आश्रितों की संख्या से अधिक है जिसकी वजह से भारत इस जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने में सक्षम है। वर्तमान में भारतीय जनसंख्या का 55.8 प्रतिशत 20-59 वर्ष के कामकाजी वर्ग में है जो 2041 में 58.9 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा।¹ भारत की आबादी का स्वरूप भारत के लिए अनुकूल है जैसाकि चित्र-1 के रुझानों में देखा जा सकता है।

2021-31 के दशक के दौरान भारत की कामकाजी उम्र की आबादी लगभग 97 लाख प्रति वर्ष और 2031-41 के बीच 42 लाख प्रति वर्ष बढ़ने का अनुमान है। आने वाले दशकों में राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार के लिए भारत के सम्मुख अपनी मानव श्रमशक्ति को अत्यधिक कुशल कार्यबल में बदल कर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने का अवसर है।

भारत में कौशल: तब से अब तक
भारत हमेशा से कुशल पुरुषों, महिलाओं और शिल्पकारों का देश रहा है। पांडुलिपियों और पुरातत्त्व उत्खनन के रूप में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं जो देश में मौजूद उच्च गुणवत्ता वाले शिल्प कौशल को उजागर करते हैं।

भारत में शिक्षा की व्यावसायिक प्रणाली की एक विस्तृत पद्धति फली-फूली जिसमें उस्ताद शिल्पकारों और कारीगरों ने अपने हुनर का ज्ञान उन प्रशिक्षुओं को प्रदान किया जो उनके अधीन काम करते थे। तक्षशिला और नालंदा के विश्व



1. आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19, भारत सरकार




प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में शिक्षण और सीखने के मूल में व्यावसायिक शिक्षा पर समान बल दिया गया था। बाणभद्र की कादम्बरी जैसी प्राचीन भारतीय साहित्यिक कृतियों ने उत्तम शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में वर्णित किया है। रचनात्मक मानव प्रयास की सभी शाखाओं को जिसमें गणित, विज्ञान, व्यावसायिक विषय, पेशेवर विषय और व्यवहार कुशलता (सॉफ्ट स्किल्स) शामिल हैं, 'कला' माने जाने की अवधारणा स्पष्ट रूप से भारतीय मूल की है। 'कई कलाओं का ज्ञान' या जिसे आधुनिक काल में अक्सर 'उदार कलाएं'² कहा जाता है, की धारणा भारतीय शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग रही है।

स्कूली शिक्षा की आधुनिक प्रणाली की शुरुआत से भारत में सदियों से चली आ रही शिक्षु-आधारित शिक्षा की परंपरा का अंत हुआ। तीन आर* (पढ़ना, लिखना और अंकगणित) के अध्ययन को नियमनिष्ठ करना हालांकि जनमानस तक विद्या प्राप्ति को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम था, परन्तु इसने व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा के बीच अंतर उत्पन्न कर दिया। व्यावसायिक शिक्षा को तब और आज तक


बहुधा हीन दृष्टि से देखा जाता है और उन लोगों के लिए एक विकल्प के रूप में माना जाता है जो औपचारिक शिक्षा में कदाचित 'सक्षम' नहीं हैं। हालांकि इन कृत्रिम भेदों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चुनौती दी गई थी, विशेष रूप से गांधीजी द्वारा प्रतिपादित नई तालीम की धारणा और विकास के वर्धा मॉडल से।

नई तालीम या युनियादी शिक्षा के अनुसार ज्ञान और कार्य अविभाज्य तत्व हैं। इसने समाज में मौजूद 'हस्तकार्य' और 'बौद्धिक कार्य' के बीच के अंतर को चुनौती दी। इसने एक समग्र शिक्षा का प्रस्ताव दिया जहां शरीर, चित्त और आत्मा को समान महत्व दिया गया। शिल्प के माध्यम से शिक्षा नई तालीम की शिक्षा के रूप में बच्चे को शारीरिक रूप से स्वस्थ, बौद्धिक रूप से प्रखर और हुनरमंद व्यक्ति के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय धुरी बन गई और उसके द्वारा सीखे गए और सजीव अनुभवों का अभिसरण हुआ। सैद्धांतिक और अनुभववात्मक व्यवसाय-आधारित शिक्षा के अनूठे मिश्रण के रूप में नई तालीम का सार गांधीजी के अपने शब्दों में सबसे अच्छी तरह से संजोया हुआ है।

चित्र-1 : जनसांख्यिकीय विभाजन 2021



भारत में अनुमानित जनसांख्यिकीय रुझान



2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, *3Rs (Reading, Writing & Arithmetic)

गांधीजी के शब्दों में नई तालीम

मान लीजिए कि वह (बच्चा) अपनी शिक्षा के लिए कताई, बढ़ईगिरी, कृषि आदि जैसे किसी उपयोगी व्यवसाय के लिए तैयार है और इस संबंध में उसके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के सिद्धांत और इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों के उपयोग और निर्माण से सम्बंधित संपूर्ण व्यापक ज्ञान उसे प्रदान किया जाता है; इससे उसका न केवल अच्छा स्वस्थ शरीर विकसित होगा बल्कि एक सार्थक, ओजपूर्ण बुद्धि भी विकसित होगी जो न केवल शैक्षणिक है बल्कि मूल से दृढ़ता से जुड़ी है और अनुभव से दिन-प्रतिदिन परखी जाती है। उसकी बौद्धिक शिक्षा में गणित और विभिन्न कौशलों का ज्ञान निहित होगा जो उसके व्यवसाय के बुद्धिमतापूर्ण और कुशल संचालन के लिए उपयोगी हैं। यदि इसमें मनोरंजन के माध्यम से साहित्य जोड़ा जाए तो यह उसे एक पूर्ण संतुलित, सर्वांगीण शिक्षा प्रदान करेगा जिसमें बुद्धि, शरीर और आत्मा समग्र रूप से शामिल होती हैं और एक साथ एक सहज, सामंजस्यपूर्ण सम्पूर्णता में विकसित होती हैं।

स्वतंत्र भारत में कौशल विकास

स्वतंत्र भारत में कौशल-आधारित शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। देशभर में पॉलिटेक्नीक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और नई तालीम प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना 1950 में शुरू की गई थी जो 138 ट्रेडों में एक समय में 22.86 लाख प्रशिक्षुओं की संख्या के साथ देशभर में स्थित 15,042 आईटीआई के विशाल नेटवर्क के माध्यम से मौजूदा और भावी जनशक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए शिल्पकारों को तैयार कर रही है। ये अपने आप में प्रशंसनीय उपलब्धियां हैं। लेकिन ये पहल व्यावसायिक शिक्षा या कौशल को मुख्यधारा में नहीं ला सकीं। फिर भी उन्होंने देश में व्यावसायिक शिक्षा की नींव के निर्माण में मदद की। 2015 में स्किल इंडिया मिशन के शुभारंभ के साथ एक परिवर्तन आया जिसने देश में कौशल विकास के विस्तारीकरण की दिशा में ठोस उपायों की एक श्रृंखला की शुरुआत की।

2014 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को भली-भांति प्रशिक्षित कुशल श्रमिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ा। एक अनुमान के अनुसार ब्रिटेन में 68 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका में 52 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत की तुलना में भारत में केवल 2.3 प्रतिशत कर्मचारियों ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया था। शिक्षित कार्यबल के बड़े भाग के पास बहुत कम या कोई भी रोजगार कौशल नहीं है जिससे वे बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो

4. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, ए फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार

जाते हैं।³ भारतीय जनसंख्या का 62 प्रतिशत कामकाजी आयु वर्ग (15-59 वर्ष) में है और जैसाकि पहले बताया गया है कि भारत के पास 2041 तक इस युवा ऊर्जा का उपयोग करने और त्वरित आर्थिक विकास के लिए अपनी अनुकूल जनसांख्यिकी की खूबियों का लाभ उठाने के लिए एक सीमित अवसर है। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने नवंबर 2014 में कौशल विकास के लिए एक समर्पित मंत्रालय- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया।

स्किल इंडिया मिशन: एक गेम चेंजर

15 जुलाई, 2015 को विश्व कौशल दिवस से एक दिन पूर्व भारत सरकार ने 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए महत्वाकांक्षी स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की। कौशल विकास की तीव्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन बनाया गया था और ऐसा संभव हुआ एक एंड-टू-एंड, परिणाम-केंद्रित कार्यान्वयन संरचना बनाकर जो स्थायी आजीविका के लिए भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं के साथ एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुशल कार्यबल के लिए नियोक्ताओं की मांगों को संरेखित करती है।⁴ सहकारी संघवाद की अवधारणा के अनुरूप मिशन की अध्यक्षता सीधे भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

मिशन ने कौशल विकास के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाया है और इस पर एक ओर केंद्र और राज्यों के बीच कौशल विकास प्रयासों में अभिसरण का और दूसरी ओर, उद्योग की जरूरतों और युवाओं की आकांक्षाओं का दायित्व है। इस मिशन ने उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल और देश के विभिन्न कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में दिए जा रहे प्रशिक्षण के बीच की खाई को पाटने के लिए कई अभिनव कदम उठाए।

सबसे पहले, मिशन ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को बढ़ावा दिया, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप-पीपीपी) मॉडल में एक गैर-लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के पास एनएसडीसी की शेयर पूंजी का 49 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि निजी क्षेत्र के पास 51 प्रतिशत शेयर पूंजी है। इस मॉडल ने कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और उद्योग अंतर्दृष्टि समाविष्ट करने में मदद की।

दूसरा, भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति, 2015 तैयार की, जिसमें क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) के गठन की सिफारिश की गई थी। इसे स्किल इंडिया मिशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है। एसएससी एक पेशेवर मानक-सेटिंग और क्षमता निर्माण निकाय है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे भारतीय कृषि कौशल परिषद, एयरोस्पेस और विमानन क्षेत्र कौशल परिषद, मोटर वाहन कौशल विकास परिषद,



स्रोत: एनएसडीएम⁶

पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद, हाइड्रो-कार्बन क्षेत्र कौशल परिषद आदि के सार्वजनिक और निजी उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं। आज ऐसे 36 एनएसडीसी काम कर रहे हैं। चूंकि एनएसडीसी में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगों की हस्तियां शामिल हैं इसलिए वे इस उद्योग के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम तैयार करने, उम्मीदवारों को इंटरशिप, अप्रेंटिसशिप और नौकरियां प्रदान करने और उच्च गुणवत्ता वाले पैरामीटर निर्धारित करके देश में एक बेहतरीन कौशल परितंत्र सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन स्थिति में हैं। उनके अधिदेश में शामिल हैं:

- कौशल विकास की जरूरतों की पहचान
- क्षेत्र कौशल विकास योजना का संवर्धन और कौशल सूची का प्रबंधन
- कौशल/योग्यता मानकों और योग्यताओं का निर्धारण
- संवद्धता, प्रत्यायन, परीक्षण और प्रमाणन का मानकीकरण

एनएसडीसी ने ऐसे प्लेसमेंट पोर्टल विकसित किए हैं जो मांग एकत्रीकरण से जुड़े हैं और जिनका उद्देश्य उद्योग की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करना है। पोर्टल का 360 डिग्री इंटरफेस उम्मीदवारों और प्रशिक्षण भागीदारों को भर्ती करने वाली फर्मों और संभावित नियोक्ताओं से जोड़ता है।⁷

तीसरा, एक राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) का सृजन किया गया है जो ज्ञान, कौशल और अभिरुचि के स्तरों की एक शृंखला के अनुसार अर्हता को सुनियोजित करता है। ये स्तर शिक्षण परिणामों के संदर्भ में निर्धारित किए जाते हैं जिसे शिक्षु के लिए धारित करना आवश्यक है चाहे इन शिक्षण परिणामों को

औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। इस संदर्भ में एनएसक्यूएफ एक गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क है।

एनएसक्यूएफ ने अपने ढांचे में दस स्तरों को निर्धारित किया है जो देश में व्यावसायिक शिक्षा के प्रवेश में एक गेमचेंजर है। जैसाकि पहले बताया गया है, शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम के बीच विभाजन ने देश में व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य को बहुत क्षति पहुंचाई है। व्यावसायिक शिक्षा को अक्सर उन लोगों के लिए शिक्षा के विकल्प के रूप में माना जाता है जो शैक्षिक रूप से सशक्त नहीं हैं। इसे कम महत्वाकांक्षी और निम्नस्तरीय माना जाता है। व्यावसायिक शिक्षा का विकल्प चुनने वालों के लिए क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का कोई विकल्प नहीं हुआ करता था। एनएसक्यूएफ ने विभिन्न व्यावसायिक विधाओं में सीखे गए कौशल और एनएसक्यूएफ स्तरों के माध्यम से औपचारिक शैक्षिक संरचना के बीच समकक्षता लाकर इस पुरातन संरचना को भंग कर दिया है और इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा का चयन करने वाले लोगों के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है।

चौथा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 1.0 को 2015 में देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए निशुल्क लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके और युवाओं को कौशल प्रमाणन के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके प्रेरणाप्रद बनाया गया था। पुरस्कारों के माध्यम से प्रशिक्षुओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करके कौशल विकास को आकांक्षी बनाने की दिशा में पीएमकेवीवाई 1.0 एक प्रगतिशील कदम था। इसकी सफलता के आधार पर पीएमकेवीवाई 2.0 को

5. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, ए फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार

2016-2020 तक क्रियान्वित किया गया था। इसने उन लोगों को प्रमाणित करके कौशल विकास पहल के दायरे का विस्तार किया जिनके पास कौशल था लेकिन उन्हें मान्यता नहीं मिली थी। पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) पहल ने कई कुशल लोगों को प्रमाणित होने और रोजगार पाने में मदद की। पीएमकेवीवाई को संस्करण 3.0 के माध्यम से और अधिक विस्तारित किया गया और यह उद्योग 4.0 में कौशल पाठ्यक्रम और 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के 717 जिलों में उच्चस्तरीय कौशल प्रदान करके आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है। यह कौशल विकास में वोकल फॉर लोकल (स्थानीय वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग) की कार्यनीति का प्रयोग विशिष्ट कौशल की मांगों को विकेंद्रीकृत रूप से उजागर करने और कौशल अंतराल को पाटने की योजना तैयार करने के लिए जिला कौशल समितियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाता है। पीएमकेवीवाई का तीसरा चरण राज्य, जिला और ब्लॉक-स्तर पर बढ़ते हुए संपर्क को और मजबूत करके परिणाम प्राप्त करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।⁸


इस तरह के प्रयासों से देश में व्यावसायिक शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार होना तय है। विशेष रूप से आईटी/आईटीईएस, बीएफएसआई और नए युग के कौशल के क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति युवाओं की आकांक्षाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालांकि विकसित देशों की तुलना में भारत में व्यावसायिक शिक्षा को उच्च पैठ हासिल करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना शेष है। स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण में अधिक से अधिक युवाओं को कुशल और इसलिए रोजगार योग्य बनाने की व्यापक संभावनाएं हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: व्यावसायिक शिक्षा की उत्प्रेरक

भारत में 1,12,674 सरकारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जो 1,10,84,787 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं।

इन स्कूलों में से 10,992 (~10 प्रतिशत) स्कूल देशभर में 12,08,485 (~10 प्रतिशत) छात्रों को एनएसक्यूएफ के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।⁹ एनएसडीसी ने स्कूलों में कौशल विकास प्रशिक्षण के कार्यान्वयन मॉडल को चार-वर्षीय (9वीं कक्षा में 1 प्रवेश और 12वीं कक्षा में 1 निकास) से दो-वर्षीय मॉडल (9वीं कक्षा में प्रवेश और 10वीं कक्षा में निकास; फिर से 11वीं कक्षा में प्रवेश और 12वीं कक्षा में निकास) में पुनर्गठित किया जिससे 21 क्षेत्रों में 73 जॉब रोलस (एनएसक्यूएफ स्तर 2 से 4 पर आंकी गई) के तहत कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की गई। हालांकि ये वृहद प्रयास हैं लेकिन एक कौशलपूर्ण समाज के निर्माण के लिए स्कूल स्तर पर अधिक छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के दायरे में लाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 इस दिशा में आगे का मार्ग प्रशस्त करती है।

एनईपी 2020 का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कम संख्या के मुख्य कारणों में से एक तथ्य यह है कि व्यावसायिक शिक्षा ने विगत में बड़े पैमाने पर कक्षा 11-12 और कक्षा 8 और उससे ऊपर के ड्रॉपआउट पर अधिक बल दिया था। इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े सामाजिक स्थिति अनुक्रम को दूर करना है। यह सभी शैक्षणिक संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल देती है। आरम्भ में माध्यमिक और उच्चतर विद्यालय में कम आयु में व्यावसायिक शिक्षा के एक्सपोजर के बाद गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में सुचारु रूप से एकीकृत किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय सीखे।¹⁰ एनईपी 2020 का लक्ष्य 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा के 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव कराना है, साथ ही इसका उद्देश्य भविष्य में रोजगार की तैयारी के लिए कक्षा 6 से शुरू होने वाले छात्रों के लिए कोडिंग कक्षाएं शुरू करना है। कुछ प्रमुख पहल



एनएसडीसी की पहुंच और प्रभाव का स्नैपशॉट⁶

6-7. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, 8. <https://pib.gov.in/pressreleasepage.aspx?PRID=1688836>, 9. यूडीआईएसई 2019-20, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 10 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,

जो व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने में सहायक होंगी, वे हैं:

- व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति (एनसीआइवीई) के गठन की सिफारिश की गई है जिसमें उद्योग के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ और सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका दायित्व कौशल अंतर विश्लेषण के आधार पर डोमेन (कार्यक्षेत्र) का एकीकरण और पहचान का निरीक्षण होगा।
- माध्यमिक विद्यालय भी आईटीआई, पॉलिटेक्नीक, स्थानीय उद्योग आदि के साथ सहयोग करेंगे। स्कूलों में हब और स्पोक मॉडल पर आधारित कौशल प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी जो अन्य स्कूलों को कौशल प्रयोजनों के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्नीक की सुविधा के उपयोग की अनुमति देंगी।
- 'लोक विद्या', यानी भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से सुलभ बनाया जाएगा।
- उच्च शिक्षा संस्थानों को सॉफ्ट स्किल सहित विभिन्न कौशलों में अल्पावधि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जिनकी उद्योग में अत्यधिक मांग है।
- प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान और यहां तक कि हर स्कूल या स्कूल परिसर में कलाकारों का निवास स्थापित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए जिससे छात्रों का परिचय क्षेत्र/ देश की कला, रचनात्मकता, और समृद्ध संस्कृति से हो और स्थानीय शिल्पकारी में छात्रों को प्रशिक्षण भी प्राप्त हो।

व्यावसायिक शिक्षा के लिए वैश्विक मॉडल

स्कूलों और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने में कई वैश्विक और स्थानीय मॉडलों से सीखा जा सकता है। नीति आयोग अपने तीन प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से दो मोर्चों पर काम कर रहा है: अ) व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाना और ब) छात्रों को उद्योग 4.0 में कौशल प्रदान करना और उन्हें रोजगार चाहने वालों के बजाय भविष्य में रोजगार देने वाले के रूप में तैयार करना। पहला कार्यक्रम मानव पूंजी-शिक्षा (एसएटीएच-ई*) है जहां नीति आयोग ने स्कूली शिक्षा में व्यवस्थित परिवर्तन के लिए झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों के साथ भागीदारी की है। इसकी एक पहल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाना है जो उच्च संख्या में दाखिले और सर्वोत्तम कोटि के बुनियादी ढांचे वाले कम्पोजिट स्कूल होंगे और रोजगार-उन्मुख कौशल पर विशेष ध्यान देने के साथ समग्र शिक्षा प्रदान करेंगे। तीन राज्यों में लगभग 10,000 ऐसे स्कूल विकसित किए जा रहे हैं जो पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करेंगे।

दूसरा कार्यक्रम अटल नवप्रवर्तन मिशन (एआईएम) है जिसके तहत नीति आयोग ने पूरे देश में 10,000 से अधिक अटल टिकरिंग लैब स्थापित किए हैं। ये प्रयोगशालाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) विषयों जैसे रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), आदि में एक्सपोजर और कौशल प्रदान करती हैं। स्कूली छात्रों को उनके आसपास की समस्याओं के लिए सामाजिक-तकनीकी समाधान डिज़ाइन करने

एनएसक्यूएफ स्तर 4	• सर्टिफिकेट (06 महीने - 10 +12 के बाद 30 क्रेडिट्स)
एनएसक्यूएफ स्तर 5	• डिप्लोमा (01 वर्ष- 10 +12 के बाद 60 क्युमुलेटिव (जुड़ने वाले) क्रेडिट्स)
एनएसक्यूएफ स्तर 6	• एडवांस्ड डिप्लोमा (02 वर्ष - 120 क्युमुलेटिव क्रेडिट्स)
एनएसक्यूएफ स्तर 7	• बैचलर ऑफ वोकेशन डिग्री (03 वर्ष - 10 +12 के बाद 180 क्युमुलेटिव क्रेडिट्स)
एनएसक्यूएफ स्तर 8	• पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (01 वर्ष- बैचलर ऑफ वोकेशन डिग्री के बाद 60 क्रेडिट्स)
एनएसक्यूएफ स्तर 9	• मास्टर ऑफ वोकेशन डिग्री (02 वर्ष - बैचलर ऑफ वोकेशन डिग्री के बाद 120 क्रेडिट्स)
एनएसक्यूएफ स्तर 10	• शोध स्तर (यूजीसी (एम फिल / पीएचडी उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2016)

औपचारिक शिक्षा की एनएसक्यूएफ समकक्षता¹¹

11. राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा के तहत कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए यूजीसी के दिशानिर्देश
*Sustainable Action For Transformation of Human Capital-Education (SATH-E)



के लिए भी तैयार किया जाता है जिन्हें अक्सर उत्पादों के रूप में इनक्यूबेट किया जाता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अटल इनक्यूबेशन सेंटर नवोदित छात्र उद्यमियों को मूनिंग, मेंटरिंग और तकनीकी के साथ-साथ वित्तीय सहायता (हैंडहोल्डिंग) प्रदान करते हैं। इस प्रकार, एआईएन एक उत्कृष्ट कुशल कार्यबल के साथ-साथ देश में अधिक रोजगार पैदा करने वाले लोगों का सृजन कर रहा है।

तीसरा कार्यक्रम देशभर के 112 जिलों में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) है। परंपरागत रूप से ये जिले सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं। कार्यक्रम के व्यापक रूप हैं संयोजन (कन्वर्जेंस) (केंद्र और राज्य की योजनाओं का), सहयोग (केंद्रीय, राज्य-स्तर के 'प्रनारी' अधिकारियों और जिलाधीशों का) और मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा - यह सभी एक जन आंदोलन से संचालित हैं। राज्यों के साथ जो इसके मुख्य संचालक हैं, यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले की समर्थ्य पर बल देता है, तत्काल सुधार के लिए कम विकसित क्षेत्रों की पहचान करता है और मासिक आधार पर जिलों की रैंकिंग करके प्रगति को मापता है। रैंकिंग 5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों- स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के तहत 49 प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) में की गई वृद्धिशील प्रगति पर आधारित है। इन जिलों में कुशल जनशक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए एडीपी कार्यक्रम के आरंभ पर निम्नलिखित प्रमुख निष्पादन संकेतक निर्धारित किए गए।¹²

12 एन्तिरेकनल डिस्ट्रिक्ट मेटा डेटा डोम्बूमेट, नीति आयोग

डेटा बिंदु/संकेतक	कौशल विकास सूचकांक में भारांक
अल्पावधि प्रशिक्षण योजनाओं में प्रमाणित युवाओं की संख्या/जिले में 15-29 आयु वर्ग के युवाओं की संख्या	25
रोजगार पाने वाले प्रमाणित युवाओं की संख्या/15-29 आयु वर्ग में अल्पावधि और दीर्घावधि के तहत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	15
प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या/पोर्टल पर पंजीकृत प्रशिक्षुओं की कुल संख्या	25
पूर्व शिक्षण मान्यता के तहत प्रमाणित लोगों की संख्या/गैर औपचारिक रूप से कुशल कार्यबल	20
अल्पावधि और दीर्घकालिक प्रशिक्षण के तहत प्रमाणित वंचित/पिछड़े तबके के युवाओं की संख्या	15

जर्मनी का दोहरा व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण (वीईटी)^{13,14}

दोहरी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली (दोहरी वीईटी-सिस्टम्स) दो शिक्षण स्थल यानी कंपनी और व्यावसायिक स्कूल के कारण श्रेष्ठ है। इस तरह की प्रणाली शिक्षण से रोजगार पाने की सुविधा भी देती है और श्रम बाजार की कौशल आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जर्मनी में संघीय सरकार लांडर (भूमि) और उद्योग हितधारक हैं। जर्मन सरकार ने 1969 में व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिनियम को लागू करके व्यावसायिक शिक्षा के लाभों को जाना। इस अधिनियम ने कौशल युक्त ट्रेडों, उद्योग और वाणिज्य में विभिन्न पारंपरिक प्रशिक्षण विधाओं के लिए एक राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था की शुरुआत की।

जर्मनी में, अनिवार्य स्कूली शिक्षा 6 वर्ष की आयु से शुरू होती है और 9-10 वर्ष तक चलती है। प्राथमिक शिक्षा के चार वर्षों के बाद विद्यार्थियों को आमतौर पर तीन अलग-अलग शिक्षा मार्गों में डाला जाता है: 'गिम्नासियम' एक कठिन शैक्षणिक कार्यक्रम है जो विश्वविद्यालय प्रवेश योग्यता हासिल करने तक जारी रहता है; 'रियालचुले' एक कम कठिन शैक्षणिक कार्यक्रम है जिससे निम्न माध्यमिक डिप्लोमा हासिल होता है जो ठोस शैक्षणिक कौशल को दर्शाता है; और 'हाउपचुले' में उन लोगों के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिनके पास सीमित शैक्षणिक क्षमता या रुचियां होती हैं और जो स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र में दर्ज होती हैं। 'रियालचुले' और 'हाउपचुले' स्नातक आमतौर पर 15 या 16 साल की उम्र में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण (वदलाव व्यवस्था सहित) में दाखिला लेते हैं।



ज़िलों को कौशल विकास में वृद्धिशील प्रदर्शन पर भी रैंकिंग दी गई है। चैंपियंस ऑफ चेंज डेशबोर्ड के माध्यम से मासिक आधार पर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों की घोषणा की जाती है और सतत रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को विकास परियोजनाओं का संचालन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मौद्रिक रूप से पुरस्कृत किया जाता है।

व्यावसायिक शिक्षा का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों को व्यावसायिक स्कूलों में सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जबकि व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षु के रूप में सम्बंधित उद्योग में सीखा जाता है। इस प्रकार का मॉडल विद्यार्थी को रोजगार के लिए तैयार होने में मदद करता है, जबकि उद्योग को ऐसा कार्यबल मिलता है जो अपने रोजगार के पहले दिन ही तैयार होता है जो अन्य प्रणालियों के विपरीत है जहां नए नियुक्त व्यक्ति को अपनी नौकरी की पूरी जिम्मेदारी लेने से पहले प्रशिक्षण हासिल करना होता है।

निष्कर्ष

भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। इसे बहुधा अगली बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। इसकी 62

प्रतिशत आवादी कामकाजी आयु (15-59 वर्ष) वर्ग में है जो भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से प्रवेश के लिए जनसांख्यिकीय लाभ प्रदान करती है। लेकिन युवा जनसांख्यिकी का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब संबंधित आवादी उत्पादक और कुशल हो।

भारत ने अपने युवाओं की पूरी क्षमता विकसित करने के लिए 'स्किल इंडिया' के महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने वाले दशक में लाखों युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा के दायरे में लाकर इस मिशन को और अधिक उत्प्रेरित करेगी। भारत ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी की शक्ति के माध्यम से कौशल के एक व्यापक दायरे 'चिनाई के काम से लेकर कोडिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक' में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली अपनायी है। हाल ही में आरम्भ किया गया पीएमकेवीवाई 3.0, जो वोकल फॉर लोकल (स्थानीय वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग), विकेंद्रीकृत योजना और राज्यों के साथ सहयोग पर केंद्रित है, भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने और विश्व की कौशल राजधानी में बदलने के लिए तैयार है।

(डॉ. के राजेश्वर राव विशेष सचिव, नीति आयोग हैं; पीयूष प्रकाश वरिष्ठ सहयोगी (शिक्षा), नीति आयोग हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : asrao.niti@gov.in
Piyush.praakash90@gov.in

13. An introduction to the Dual VET System - The Secret behind the Success of Germany & Austria, A Study Commissioned by European Commission

14. Learning for Job OECD Reviews of Vocational Ed. & Training Germany, Kathrin Hoeckel & Robert Schwartz, OECD

कौशल विकास से होगा सहकारी समितियों का कायाकल्प

—डॉ. के. के. त्रिपाठी और डॉ. एस. के. वाडकर

भारी प्रतिस्पर्धा वाले इस माहौल में सहकारी समितियों पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है, ताकि उनकी ताकत, कमज़ोरियों व इनसे जुड़े अवसरों और खतरों पर भी नए नज़रिए से विचार-विमर्श किया जा सके। इसके अलावा, सहकारी आंदोलन और समितियों के लिए रोडमैप बनाने की आवश्यकता है, ताकि भारत को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ये समितियां अहम भूमिका निभा सकें। साथ ही, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का भी बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

सहकारिता भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे की संस्कृति है। ग्रामीण इलाकों में मौजूद कृषि-आधारित सहकारी समितियां खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इससे लोगों की आय में बढ़ोत्तरी हो सकती है और उनकी हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। मौजूदा बाज़ार उपभोक्ता-केंद्रित हैं और आर्थिक माहौल तकनीक से संचालित है। अतः, सहकारी समितियों को स्मार्ट, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाने के लिए उनमें उद्यम प्रवृत्ति, कारोवारी कौशल आदि का होना ज़रूरी है। सहकारी समितियों की सफलता इन चार चीज़ों पर निर्भर करती है—संस्थागत और कारोवारी तौर-तरीकों का मानकीकरण, सदस्यता और कारोवारी-स्तर में बढ़ोत्तरी, अलग-अलग तरह के कौशल का प्रशिक्षण और संचालन व प्रबंधन का बेहतर तौर-तरीका।

सहकारी समितियां स्वयंसहायता वाले सामुदायिक संगठन

होते हैं जो स्वयंसहायता और ज़मीनी-स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य हासिल करते हैं। वे बेहतर मकसद के लिए देश के संसाधनों के उत्पादन, वितरण और सामाजिक नियंत्रण में अपनी भूमिका निभाते हैं। सहकारी समितियों को सामाजिक और आर्थिक नीति का कारगर औज़ार माना जाता है और गरीबी कम करने, खाद्य सुरक्षा व रोज़गार सृजन में ये समितियां बेहद प्रभावी हैं। इनके ज़रिए ऐसे क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है, जहां सरकार और निजी क्षेत्र दोनों असफल और निष्प्रभावी रहे हैं।

सहकारी समितियां पूंजी-केंद्रित होने के बजाय लोक-केंद्रित होती हैं, इसलिए समय-समय पर कौशल के प्रशिक्षण और क्षमता विकसित करने की ज़रूरत होती है, ताकि कारोवारी प्रणाली में सामुदायिक नेतृत्व, समय प्रबंधन, रचनात्मकता व नवाचार और



बेहतर कारोबारी प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। सामुदायिक कारोबारी संगठनों से जुड़े बेहतर कौशल वाले कर्मी चुनौतियों और समस्याओं से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम होते हैं।

भारत का सहकारी आंदोलन ऐसे समय में शुरू हुआ, जब ग्रामीण उद्योगों, कृषि, ग्रामीण आय और रोजगार पर औद्योगिक क्रांति का जबर्दस्त असर दिख रहा था। यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध की बात है। आजादी से पहले के भारत में इस आंदोलन को पहली सफलता तब मिली, जब 1904 में सहकारी सोसाइटी कानून पास हुआ। इससे सहकारी समितियों को कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ और इस तरह सहकारी आंदोलन को रफ्तार मिली। इस क्षेत्र में कुशल सहकारी, तकनीकी रूप से योग्य और विशेषज्ञ कर्मियों की उपलब्धता जैसी चुनौतियां कायम रही हैं। सहकारी समितियों में कौशल की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत में इस आंदोलन के जनक (स्वर्गीय) बैकुंठ मेहता ने कहा था, 'सहकारी प्रशिक्षण न सिर्फ पूर्व निर्धारित शर्त है, बल्कि यह सहकारी गतिविधियों के लिए स्थायी शर्त है।' कहने का मतलब यह था कि विषयगत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के ज़रिए सहकारी समितियों में सदस्यों और बोर्ड के निदेशकों की क्षमता बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है ताकि वे बदलते हुए आर्थिक माहौल की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो सकें।

कौशल की स्थिति और अहमियत
आर्थिक विकास और समावेशी गतिविधियां मुख्य तौर पर युवाओं के कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर निर्भर होती हैं। ज़ाहिर तौर पर, युवाओं की सक्रियता सबसे ज़्यादा होती है। युवाओं के लिए नियमित तौर पर आजीविका, आय और रोजगार सुनिश्चित करने की खातिर पारंपरिक प्रशिक्षण के बजाय उन्हें नई-नई चीज़ों के बारे में जानकारी मुहैया कराकर उनकी क्षमता बेहतर करने की ज़रूरत है। एनएसएस के 61वें दौर के सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 15-29 साल के लोगों में सिर्फ 2 प्रतिशत युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला है और 8 प्रतिशत को अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला है। साफ है कि काफी कम युवाओं को औपचारिक तौर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षित युवाओं का यह प्रतिशत दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहद कम है। औद्योगिक देशों से यह आंकड़े काफी ज़्यादा हैं। इन देशों के 20-24 साल के आयु वर्ग के लोगों की बात करें, तो यह आंकड़ा 60 से 96 प्रतिशत तक बैठता है। इस मोर्चे पर हमारे देश के खराब प्रदर्शन की वजह सिर्फ लंबी अवधि के प्रशिक्षण कोर्स (2 से 3 साल) पर निर्भरता है। उदाहरण के लिए, चीन में छोटी अवधि के 4,000 कोर्स हैं, जो रोजगार की

ज़रूरतों के हिसाब से बेहद उपयुक्त हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति (2015) का मकसद देश में बेहतर कौशल के ज़रिए सशक्तीकरण का माहौल तैयार करना और नवाचार-आधारित उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना है। देश की ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए मुख्य तौर पर कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। विकास की दिशा में अग्रसर राष्ट्र को बदलाव का लक्ष्य हासिल करने के लिए संस्थाओं, उद्यमिता और कौशल विकास की ज़रूरत होती है। भारत के पास पर्याप्त मानव संसाधन हैं। हमें सिर्फ शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास, सशक्तीकरण के ज़रिए मानव संसाधन के विकास के लिए दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है। साथ ही, इस विशाल मानव पूंजी के लिए अनुकूल सामाजिक-आर्थिक, सांस्थनिक और राजनीतिक माहौल उपलब्ध कराना होगा।

कौशल से लैस करने की चुनौतियां

भारतीय सहकारी क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए सरकार को पहल करनी होगी। सहकारी क्षेत्र राज्य का विषय है और यह मुख्य तौर पर राज्य-स्तरीय योजनाओं और उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। इन संस्थानों को अपनी गतिविधियों के संचालन से जुड़े तौर-तरीकों में व्यापक बदलाव की ज़रूरत है। सहकारी समितियों को पेशेवर बनाने और इनके आधुनिकीकरण से ये समितियां आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम ग्रामीण वित्तीय संगठन के तौर पर स्थापित हो सकेंगी। साथ ही, इन समितियों में पारदर्शिता, जवाबदेही, बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं और बेहतर रिकवरी अनुपात सुनिश्चित किया जा सकेगा।

शोध और रिपोर्ट से पता चलता है कि नीति निर्माता कौशल-संबंधी गतिविधियों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं देते हैं। यह अक्सर वैसे लोगों के लिए आखिरी विकल्प होता है जो औपचारिक शैक्षणिक प्रणाली में आगे नहीं बढ़ पाए और उससे बाहर निकल गए। तकरीबन 20 से भी ज़्यादा मंत्रालयों/विभागों के पास कौशल और उद्यमिता विकास से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम हैं। हालांकि, तालमेल और निगरानी से जुड़े बेहतर तंत्र के अभाव में ये योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाती हैं। यहां कुछ चुनौतियों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से कौशल विकास अभियान में बाधा पहुंचती है। लिहाज़ा, इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

- बहुस्तरीय आकलन और कौशल प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) प्रणाली की कमी,
- विशेषज्ञ प्रशिक्षकों का अभाव, उद्योग जगत के बेहतर संसाधनों को संकाय के रूप में आकर्षित करने में असमर्थता
- क्षेत्र और स्थानीय स्तर पर मांग और आपूर्ति में असंतुलन,
- कौशल और उच्च शिक्षा कार्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा के बीच सीमित आदान-प्रदान,
- शिथिलता कार्यक्रम का सीमित कवरेज,
- कौशल विकास संबंधी पाठ्यक्रम का पुराना और सीमित होना,
- महिला कार्यबल की भागीदारी में गिरावट,
- गैर-कृषि/असंगठित क्षेत्र में सीमित उत्पादकता के साथ रोजगार,
- औपचारिक शिक्षा प्रणाली में उद्यमिता को शामिल नहीं करना,

- कौशल विकास को बढ़ाने वाली स्टार्टअप कंपनियों के लिए वित्तपोषण और संरक्षण की कमी,
- नवाचार आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहन की कमी।

आर्थिक समृद्धि के लिए सहकारी समितियों को कौशलयुक्त बनाना

सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा सकता है। हाल में शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी गतिविधियों में भी ये समितियां असरदार भूमिका निभा सकती हैं। इन समितियों के ज़रिए कृषि आधारभूत संरचना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों मसलन सिंचाई, मार्केटिंग, प्रसंस्करण, भंडारण आदि की दिशा में बेहतर काम किया जा सकता है। साथ ही, पोल्ट्री, बागवानी, डेयरी, कपड़ा, प्रसंस्करण, आवास, स्वास्थ्य आदि के मोर्चे पर भी प्रदर्शन को बेहतर किया जा सकता है। सहकारी समितियों को संचालन, संगठनात्मक कौशल, टीम भावना, पारस्परिक संवाद, कार्य आवंटन, भुगतान/लेन-देन, बाज़ार प्रणाली, आपूर्ति शृंखला आदि के मोर्चे पर काम करने की ज़रूरत है।

स्थानीय संसाधनों के ज़रिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने के लिए हमें 'उद्यमिता' की बेहतर संस्कृति विकसित करनी होगी। इसमें सहकारी क्षेत्र सार्थक भूमिका निभा सकता है। बेशक देश में सहकारी समितियों की पहुंच व्यापक-स्तर पर है, मगर इन समितियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर इन समितियों को पर्याप्त संसाधन इकट्ठा करने में मुश्किल होती है। ज़ाहिर तौर पर, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनने के लिए इन समितियों को संसाधन इकट्ठा करना होगा। संचालन, नियामक और नेतृत्व संबंधी समस्याओं ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को कमजोर किया है। कारोबार अब ज़्यादा उपभोक्ता केंद्रित, बाज़ार केंद्रित और तकनीक केंद्रित हो गए हैं। ऐसे में सहकारी समितियों को बाज़ार में टिके रहने के लिए नवाचारी कारोबारी तौर-तरीकों को अपनाना होगा। इसके लिए प्रभावी तरीके से क्षमता निर्माण के साथ-साथ सहकारी समितियों से जुड़े मानव संसाधनों को बेहतर कौशल के प्रति सचेत और जागरूक करना होगा।

भारतीय सहकारी क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए सरकार को पहल करनी होगी। सहकारी क्षेत्र राज्य का विषय है और यह मुख्य तौर पर राज्य-स्तरीय योजनाओं और उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। इन संस्थानों को अपनी गतिविधि के संचालन से जुड़े तौर-तरीकों में व्यापक बदलाव की ज़रूरत है। सहकारी समितियों को पेशेवर बनाने और इनके आधुनिकीकरण से ये समितियां आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम ग्रामीण वित्तीय संगठन के तौर पर स्थापित हो सकेंगी। साथ ही, इन समितियों में पारदर्शिता, जवाबदेही, बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं और बेहतर रिकवरी अनुपात सुनिश्चित किया जा सकेगा। भारत सरकार में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ ही देश में सहकारी

आंदोलन के पुनरुत्थान को लेकर गतिविधियां तेज़ हो गई हैं। इस तरह, देश को 'सहकार-से-समृद्धि' मिशन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा मिल गई है।

ग्रामीण कृषि सहकारी समितियों को कौशलयुक्त बनाना
देश की कुल 8.5 लाख सहकारी समितियों में से तकरीबन 20 प्रतिशत (1.77 लाख) कर्ज मुहैया कराने वाली समितियां (सारणी-1) हैं। बाकी 80 प्रतिशत कर्ज नहीं देती हैं। ये समितियां मछली पालन, कपड़ा, हस्तकला, डेयरी, प्रसंस्करण, उपभोक्ता, औद्योगिक मार्केटिंग, पर्यटन, अस्पताल, आवास, कृषि, सेवा आदि गतिविधियों में सक्रिय हैं। अगर सदस्यता के लिहाज से बात करें, तो सहकारी समितियों में तकरीबन 29 करोड़ किसान पंजीकृत हैं।

प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) सामुदायिक स्तर पर आधारित सहकारी समिति है। पैक्स का मकसद किसानों को

सारणी 1: भारत में सहकारी समितियां

क्र. सं.	समितियों की श्रेणी	समितियों की संख्या	कुल समितियों का प्रतिशत
ए - ऋण नहीं देने वाली समितियां			
1	मार्केटिंग	7,399	1.09
2	उपभोक्ता	26,355	3.90
3	डेयरी	1,51,956	22.45
4	शुगर (चीनी/गन्ना)	656	0.09
5	श्रम	46,953	6.93
6	मछली पालन	23,670	3.50
7	पशुधन	8,383	1.23
8	कपड़ा/हथकरघा	17,507	2.60
9	कृषि-प्रसंस्करण	29,901	4.41
10	बहुउद्देश्यीय	14,932	2.20
11	सेवा क्षेत्र	3,779	0.55
12	अनुसूचित जाति/जनजाति	1,707	0.25
13	अन्य	3,43,552	50.76
	ऋण नहीं देने वाली समितियां	6,76,750	100.00
	ए ऋण देने वाली समितियां	1,77,605	---
	कुल (ए + बी)	8,54,355	

स्रोत: भारतीय सहकारी आंदोलन: आंकड़े, एनसीयूआई, 15वां संस्करण, 2018

साहूकारों और बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करना है। पैक्स के पास सदस्य किसानों की ज़रूरतों और हितों के हिसाब से बहुस्तरीय सेवाएं और गतिविधियां होनी चाहिए। कर्ज नहीं देने वाली सहकारी समितियां, खासतौर पर उत्पादकों से जुड़ी सहकारी समितियां, मसलन मछली पालन, डेयरी, प्रसंस्करण, कृषि, सेवा आधारित समितियों को ग्रामीण 'कृषि आधारित समितियां' माना जा सकता है।

यह अपनी क्षमताओं और संपत्तियों को बरकरार रखता है या इसे बढ़ाता है, अगली पीढ़ी के लिए भी नियमित तौर पर आजीविका के लिए अवसर उपलब्ध कराता है और छोटी व लंबी अवधि में स्थानीय और वैश्विक-स्तर पर बाकी आजीविकाओं में योगदान करता है, तो इसे टिकाऊ माना जाता है (डीएफआईडी, 2001)। अतः स्थानीय लोगों की ज़रूरतों और समस्याओं, उनके ज्ञान के स्तर, धारणाओं और हितों, समस्याओं से निपटने के तौर-तरीकों, स्थानीय संस्थागत तंत्र और सांगठनिक ढांचों के बारे में समझना ज़रूरी है। इससे आजीविका के मौजूदा ढर्रे और इससे संबंधित समस्याओं को समग्र दृष्टि से समझने में मदद मिलेगी।

इस तरह, स्थानीय-स्तर पर आजीविका के साधनों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप करने में मदद मिलेगी। संस्था के तौर पर, कृषि आधारित सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियों और सामाजिक सहयोग संबंधी क्षमताओं का बेहतर पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए, ताकि उनके सदस्यों की आय और जीवन-स्तर में बेहतर हासिल हो सके।


समुदाय-आधारित और किसान की सदस्यता वाली सहकारी समितियों को बाज़ार-आधारित कृषि व्यवस्था को अपनाने की ज़रूरत है। इन समितियों को बेहतर कृषि प्रबंधन और उद्यमिता कौशल की आवश्यकता है। सहकारी समितियों को अपने कारोबारी विकास के लिए 6 तरह की पूंजी को मिलाकर काम करना होगा: (1) मानव पूंजी जहां कौशल, ज्ञान, क्षमता से आजीविका संबंधी

21वीं सदी में विज्ञान की प्रगति के साथ ही ज्ञान और कौशल के दायरे का भी विस्तार हुआ है और इनकी जटिलताएं भी बढ़ी हैं। नई ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में कौशल का दायरा पेशेवर, वैचारिक, प्रबंधकीय, संचालन संबंधी, व्यवहार संबंधी आदि तक फैला हुआ है। अतः, मौजूदा वक्त की ज़रूरत कौशल संबंधी कमियों की पहचान कर ग्रामीण कृषि आधारित गतिविधियों से जुड़ी सहकारी समितियों के लिए असरदार तंत्र तैयार करना है, ताकि सहकारी क्षेत्र में टिकाऊ कारोबारी माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

आजीविका और कौशल का टिकाऊ विकल्प

आजीविका के लिए नियमित अवसर सुनिश्चित करना जटिल काम है और इसमें कई तरह की प्रक्रियाएं शामिल हैं। डीएफआईडी के मुताबिक, 'आजीविका से आशय जीवन चलाने के लिए उपलब्ध ज़रूरी क्षमताओं, संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों से है। अगर आजीविका का साधन मुश्किलों और झटकों से उबरने में सक्षम है,

रेखाचित्र 1: कृषि सहकारी समितियों के लिए आजीविका आधारित संरचना



स्रोत: लेखक ने डीएफआईडी, 2001 के आधार पर तैयार किया है



बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी (2) सामाजिक पूंजी जिसके तहत सामाजिक संसाधनों, नेटवर्क, ग्रुप की सदस्यता, लोगों को उनकी आजीविका के लिए प्रोत्साहित किया जाता है (3) भौतिक पूंजी जहां बुनियादी आधारभूत संरचना, उत्पादन संबंधी उपकरण लोगों को आजीविका के लिए सक्षम बनाते हैं (4) प्राकृतिक पूंजी जहां ज़मीन, पानी, जैव-विविधता, पर्यावरण संबंधी संसाधन आजीविका उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं (5) वित्तीय पूंजी जहां बचत, कर्ज़ की उपलब्धता वगैरह आजीविका के विकल्प को व्यापक बनाते हैं (6) सूचना पूंजी जहां सूचनाओं की उपलब्धता और समर्थता लोगों को तय समय पर सही कारोबारी फैसले लेने में मदद करती है।

इसके अलावा, सहकारी समितियों का प्रबंधन करने वालों को अपना कौशल बेहतर बनाना होगा। इन क्षेत्रों में कुछ अहम कौशल (हार्ड स्किल) ज़रूरी है (i) कारोबारी संभावना की पहचान करना (ii) आपूर्ति शृंखला संचालन में प्रबंधन संबंधी क्षमताएं (iii) बाज़ार की गतिविधियां और संयोजन (iv) कारोबारी नियोजन (v) उत्पाद/बाज़ार का मिश्रण और कीमत (vi) वित्तीय प्रबंधन (vii) संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। इसी तरह, कुछ और कौशल (सॉफ्ट स्किल) अहम हैं, जिनमें (i) संवाद कौशल (ii) असरदार रणनीति बनाने और लोगों को प्रभावित करने का कौशल (iii) निगरानी और मूल्यांकन (iv) रचनात्मकता और समस्या निवारण (v) नेटवर्क और संपर्क सूत्र (vi) नेतृत्व आदि।

आगे की राह

गांवों और शहरों के बीच मौजूद खाई को पाटने और आमदनी के अवसर पैदा करने में सहकारी क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। नए दौर यानी 21वीं सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। भारी प्रतिस्पर्धा वाले इस माहौल में सहकारी समितियों

पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है, ताकि उनकी ताकत, कमज़ोरियों व इनसे जुड़े अवसरों और खतरों पर भी नए नज़रिए से विचार-विमर्श किया जा सके। इसके अलावा, सहकारी आंदोलन और समितियों के लिए रोडमैप बनाने की आवश्यकता है, ताकि भारत को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ये समितियां अहम भूमिका निभा सकें। साथ ही, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का भी बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। तमाम संबंधित पक्षों को मिल-जुल कर काम करने की ज़रूरत है, ताकि सहकारी समितियों के सदस्य, किसान, महिलाएं और युवा अपना रोज़गार संबंधी कौशल बढ़ा सकें और सहकारी समितियों में आय संबंधी गतिविधियों के लिए गुंजाइश बना सकें।

सहकारी समितियों को बदलते कारोबारी परिदृश्य के हिसाब से काम करना होगा जिससे इन समितियों को प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाया जा सकेगा। सहकारी समितियों को यह समझना चाहिए कि उद्यमिता के विकास से उनका सशक्तीकरण होगा और इस प्रतिस्पर्धी दौर में उनके लिए बेहतर कारोबारी फैसले लेना आसान होगा। इसके अलावा, बाज़ार की अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता व तकनीक-आधारित इस दौर में सहकारी समितियों को उद्यमिता संबंधी रुझानों, कारोबारी कौशल आदि के बारे में सचेत और जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि उन्हें स्मार्ट, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाया जा सके। सहकारी समितियों की सफलता इन चार बातों पर निर्भर करती है— संस्थागत और कारोबारी तौर-तरीकों का मानकीकरण, सदस्यता और कारोबार के दायरे में बढ़ोत्तरी, हर तरह के कौशल की उपलब्धता (हार्ड/तकनीकी और सॉफ्ट/प्रक्रिया कौशल) और सुशासन व बेहतर प्रबंधन के तौर-तरीकों का निर्वाह।

(डॉ. के. के. त्रिपाठी सहकारिता मंत्रालय में ओएसडी हैं और डॉ. एस. के. वाडकर वैमनीकॉम, पुणे में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : tripathy123@rediffmail.com

एमएसएमई : भारत के समावेशी विकास में योगदान

—डॉ श्रीपर्णा बी बरुआ

पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए भारत के विनिर्माण उत्पादन का 33.4 प्रतिशत योगदान करने वाले एमएसएमई को रोजगार सृजन, निर्यात, लोगों को कुशल बनाने में और इस क्षेत्र को और अधिक औपचारिक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी ताकि वे जीएसटी जैसे सुधारों का लाभ उठाना शुरू कर सकें। यह ऋण प्रवाह तक आसान पहुंच का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। वास्तव में अगले पांच वर्षों में एमएसएमई को बड़े अवसर उपलब्ध होंगे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को आर्थिक विकास में योगदान, बेहतर रोजगारों के सृजन, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन और असमानता घटाने के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। रोजगार सृजन सहित व्यापक सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान उन्हें सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र बनाता है। एमएसएमई के माध्यम से रोजगार सृजन गरीबों और कमजोर वर्ग, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाता है जिससे गरीबी घटती है, आय में वृद्धि होती है और समय के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में घरेलू व्यय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः अगले पांच वर्षों में एमएसएमई को अपार अवसरों का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सरकार के एमएसएमई के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने, प्रौद्योगिकी

उन्नयन और डिजिटलीकरण पर बल देने से वे न केवल वैश्विक समकक्षों के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं बल्कि 'मेक इन इंडिया अभियान' में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं।

पृष्ठभूमि

भारतीय एमएसएमई क्षेत्र राष्ट्रीय आर्थिक संरचना की रीढ़ है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐसे सुदृढ़ प्राचीर की भांति है जो उसे वैश्विक आर्थिक आघातों और आपदाओं से बचाने के लिए मजबूती प्रदान करता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह उद्यमिता को बढ़ावा देकर और कृषि के बाद तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर रोजगार के सर्वाधिक अवसर पैदा करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सहायक इकाइयों के रूप में बड़े



एमएसएमई : भारत के समावेशी विकास में योगदान

—डॉ श्रीपर्णा वी चरुआ

पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए भारत के विनिर्माण उत्पादन का 33.4 प्रतिशत योगदान करने वाले एमएसएमई को रोजगार सृजन, निर्यात, लोगों को कुशल बनाने में और इस क्षेत्र को और अधिक औपचारिक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी ताकि वे जीएसटी जैसे सुधारों का लाभ उठाना शुरू कर सकें। यह ऋण प्रवाह तक आसान पहुंच का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। वास्तव में अगले पांच वर्षों में एमएसएमई को बड़े अवसर उपलब्ध होंगे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को आर्थिक विकास में योगदान, बेहतर रोजगारों के सृजन, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन और असमानता घटाने के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। रोजगार सृजन सहित व्यापक सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान उन्हें सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र बनाता है। एमएसएमई के माध्यम से रोजगार सृजन गरीबों और कमजोर वर्ग, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाता है जिससे गरीबी घटती है, आय में वृद्धि होती है और समय के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में घरेलू व्यय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः अगले पांच वर्षों में एमएसएमई को अपार अवसरों का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सरकार के एमएसएमई के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने, प्रौद्योगिकी

उन्नयन और डिजिटलीकरण पर बल देने से वे न केवल वैश्विक समकक्षों के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं बल्कि 'मेक इन इंडिया अभियान' में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं।

पृष्ठभूमि

भारतीय एमएसएमई क्षेत्र राष्ट्रीय आर्थिक संरचना की रीढ़ है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐसे सुदृढ़ प्राचीर की भांति है जो उसे वैश्विक आर्थिक आघातों और आपदाओं से बचाने के लिए मजबूती प्रदान करता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह उद्यमिता को बढ़ावा देकर और कृषि के बाद तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर रोजगार के सर्वाधिक अवसर पैदा करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सहायक इकाइयों के रूप में बड़े



उद्योगों का पूरक एमएसएमई क्षेत्र देश के समावेशी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एमएसएमई अपने डोमेन (कार्यक्षेत्र) का विस्तार कर रहे हैं, घरेलू और साथ ही वैश्विक बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। समग्र अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक जीवंत एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता क्योंकि :

- कुल अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य में लगभग एक तिहाई योगदान इनका है;
- देश के विनिर्माण उत्पादन का लगभग एक तिहाई इनके द्वारा होता है;
- ये उद्यम देश के सभी प्रतिष्ठानों का तीन चौथाई भाग हैं; देश के समस्त भू-भाग में स्थापित 4 करोड़ से अधिक इकाइयों द्वारा एमएसएमई योगदान करते हैं :
- विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद का 6.11 प्रतिशत और
- सेवा क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद का 24.63 प्रतिशत
- भारत के विनिर्माण उत्पादन का 33.4 प्रतिशत

एमएसएमई लगभग 12 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में सक्षम रहे हैं और भारत से कुल निर्यात में इनका लगभग 45 प्रतिशत योगदान है। इस क्षेत्र ने लगातार 10 प्रतिशत से अधिक की विकास दर बनाए रखी है। लगभग 20 प्रतिशत एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जो यह जतलाता है कि एमएसएमई क्षेत्र में खासा बड़ा ग्रामीण कार्यबल कार्यरत है और यह सतत व समावेशी विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, इन उद्यमों के महत्व को प्रकट करता है। भारत जैसे विकासशील देशों में एमएसएमई का एक बड़ा भाग अनौपचारिक उद्यम है और ये युवा आबादी के लिए आजीविका के स्रोत के रूप में मौजूद हैं। एमएसएमई स्थानीय समुदाय के लोगों को भी जिनमें निर्धन तबके के लोग भी शामिल हैं, नियुक्त करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, रोजगार देते हैं और उन्हें एमएसएमई मूल्य शृंखला में एकीकृत करते हैं।

एमएसएमई की एक विशिष्टता यह है कि उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा 6000 संभावित समूहों और 1157 पारंपरिक औद्योगिक समूहों, 3091 हस्तशिल्प समूहों और 563 हथकरघा समूहों के इर्द-गिर्द केंद्रित है। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के आकलन के अनुसार यह क्षेत्र देशभर में स्थित 4.6 करोड़ से अधिक इकाइयों के माध्यम से लगभग 10 करोड़ रोजगार उत्पन्न करता है।

यह क्षेत्र अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के अलावा 6,000 से अधिक पारंपरिक से लेकर हाईटेक वस्तुओं तक के उत्पादन में संलग्न है। भारतीय एमएसएमई क्षेत्र गैर-कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार और मजदूरी-रोजगार दोनों के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार ये अल्प लागत में गैर-कृषि आजीविका, संतुलित क्षेत्रीय विकास, लिंग और सामाजिक संतुलन, पर्यावरणीय रूप से सतत विकास द्वारा समावेशी और स्थायी समाज के निर्माण

में अनेक प्रकार से योगदान देता है। एमएसएमई क्षेत्र उद्यमिता का पोषण करता है जो अक्सर व्यक्तिगत रचनात्मकता और नवाचार द्वारा संचालित होता है।

एमएसएमई सहायता करता है-

- बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में;
- आर्थिक विकास बनाए रखने और निर्यात बढ़ाने में और
- विकास को समावेशी बनाने में।

भारत में पूंजी अल्प है और श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। एमएसएमई में बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में पूंजी उत्पादन और पूंजी-श्रम का अनुपात कम माना जाता है और इसलिए वे विकास और रोजगार के उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करते हैं। भारत में एमएसएमई क्षेत्र में 1960 के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है- इकाइयों की संख्या में 4.4 प्रतिशत और रोजगार में 4.62 प्रतिशत (वर्तमान में तीन करोड़ रोजगार) की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। एमएसएमई न केवल प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करते हैं बल्कि दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार के स्थायी स्रोत प्रदान करके ग्रामीण-शहरी प्रवास को रोकने में प्रभावी सिद्ध होते हैं।

सतत आर्थिक विकास और बढ़ता निर्यात

एमएसएमई निर्यात का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गैर-पारंपरिक उत्पादों का है (अधिकतर खेल के सामान, रेडीमेड परिधानों, प्लास्टिक उत्पादों आदि के निर्यात में)। चूंकि ये उत्पाद ज़्यादातर हस्तनिर्मित होते हैं और पर्यावरण अनुकूल हैं इसलिए एमएसएमई द्वारा निर्मित सामान के निर्यात की मात्रा के विस्तार की अपार क्षमता है। इसके अलावा, एमएसएमई बड़े पैमाने पर उद्योगों के लिए सहायक उद्यमों के रूप में कार्य कर उन्हें कच्चा माल, महत्वपूर्ण कलपुर्जे और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करते हैं। लुधियाना की बड़ी साइकिल निर्माता कंपनियां मलेरकोटला के साइकिल के पुर्जों का उत्पादन करने वाले एमएसएमई पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

विकास को समावेशी बनाना

एमएसएमई समावेशी विकास के साधन हैं। ये सबसे कमजोर और हाशिए के लोगों के जीवन को अवलंबन प्रदान करते हैं। कई परिवारों के लिए यह आजीविका का एकमात्र स्रोत है। इस प्रकार कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाने के बजाय एमएसएमई क्षेत्र लोगों को गरीबी और अभाव के चक्र को तोड़ कर सशक्त बनाने का प्रयास करता है। यह लोगों के कौशल और अभिकरण पर केंद्रित है। हालांकि एमएसएमई क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों में अलग-अलग सामाजिक समूहों का दबदबा है।

एमएसएमई और रोजगार सृजन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अगर भरपूर प्रोत्साहन मिले तो वे अगले 4-5 वर्षों में एक करोड़ रोजगार सृजित कर सकते हैं। सभी क्षेत्रों में एमएसएमई पिछले चार वर्षों में सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता रहा है। भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) के सर्वेक्षण जिसका शीर्षक, 'सर्वे ऑफ जॉब क्रिएशन एंड आउटलुक

इन एमएसएमई सेक्टर' है, की रिपोर्ट में कहा गया है कि रोज़गार पैदा करने वाले शीर्ष क्षेत्रों की सूची में सबसे पहले आतिथ्य और पर्यटन, फिर कपड़ा और परिधान और उसके बाद धातु उत्पाद क्षेत्र थे। इस सूची में मशीनरी के कलपुर्जे, परिवहन और साज़ो-सामान उसके बाद आते थे।

एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार इस क्षेत्र ने विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 3.6 करोड़ रोज़गारों (70 प्रतिशत) का योगदान दिया। सूक्ष्म-स्तर की फर्मों ने सबसे अधिक संख्या में रोज़गार पैदा किए और आने वाले तीन वर्षों में भी इस रुख के जारी रहने की उम्मीद है। दुनिया भर में वैश्विक विकास को पुनर्जीवित करने के लिए रणनीतियों पर बहस चल रही है लेकिन जलवायु परिवर्तन और रोज़गार-रहित विकास जैसी चुनौतियां सामने हैं। एमएसएमई रोज़गार उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इस प्रकार रोज़गार रहित विकास की समस्या से निपट सकते हैं। बड़े उद्यमों और एमएसएमई के बीच एक पूरक संबंध भी है। यदि छोटा बना रहता है तभी बड़ा समृद्ध होगा। बड़े उद्यमों और बहुराष्ट्रीय संस्थानों को वैश्विक मूल्य और आपूर्ति शृंखला की आवश्यकता होती है जो एमएसएमई के बिना संभव नहीं है। समय की मांग है कि बड़े और छोटे उद्योगों के बीच इन संबंधों को मजबूती प्रदान की जाए ताकि साथ मिल कर वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकें। यदि एमएसएमई का विकास होता है तो पूरे भारत में संतुलित विकास होगा क्योंकि वे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मौजूद हैं।

एमएसएमई के समक्ष चुनौतियां

एमएसएमई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ प्रमुख चुनौतियां नीचे वर्णित हैं:

अधिकांश अपंजीकृत एमएसएमई में मुख्य रूप से सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं जो विशेष रूप से ग्रामीण भारत तक सीमित हैं जिनमें पुरानी अप्रचलित प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है और संस्थागत वित्त तक उनकी सीमित पहुंच है, आदि। बड़ी संख्या में मौजूद अपंजीकृत एमएसएमई को पंजीकृत एमएसएमई में तब्दील करने की आवश्यकता है।

समग्र एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार की आवश्यकता है जिसमें निम्नलिखित कार्यक्षेत्र शामिल होंगे जैसे :

- प्रौद्योगिकी तक पहुंच।
- बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) से संबंधित मुद्दे
- डिज़ाइन से संबंधित मुद्दे।
- संसाधनों/मानव बल का अनावश्यक उपयोग।
- ऊर्जा अकुशलता और उससे संबद्ध उच्च लागत।
- आईसीटी का अल्प उपयोग।
- बाज़ार में कम पैठ।
- गुणवत्ता आश्वासन/प्रमाणन।
- नए बाज़ारों में प्रवेश करने के लिए उत्पादों का मानकीकरण और उचित विपणन चैनल।

एमएसएमई के लिए सरकार की पहल

सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र की सुविधा के लिए निम्नलिखित पांच प्रमुख पहलुओं की शुरुआत की है:

1) ऋण तक पहुंच: एमएसएमई के लिए ऋण तक आसान पहुंच को सक्षम करने के लिए 59 मिनट के ऋण पोर्टल का शुभारंभ। एक करोड़ तक के ऋण को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा सकती है। सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए नए या वृद्धिशील ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज छूट का भी प्रावधान है।

2) बाज़ार तक पहुंच: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अब अपनी कुल खरीद का 25 प्रतिशत अनिवार्य रूप से एमएसएमई से खरीदना होगा।

3) प्रौद्योगिकी उन्नयन : प्रौद्योगिकी तक पहुंच के लिए पूरे देश में टूल रूम के रूप में 100 स्पोक वाले 20 प्रौद्योगिकी हब स्थापित किए जाएंगे।

4) कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस): मंजूरी और प्रमाणन प्राप्त करने की सुविधाओं के लिए कई पहल शुरू की गई हैं जिससे कारोबार करने में सुगमता मिले।

5) एमएसएमई क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा: एक मिशन शुरू किया गया है जो कर्मचारियों के लिए जन-धन खातों, भविष्य निधि और बीमा तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

ये नीतिगत पहलें स्पष्ट और सुसंगत हैं जिनका उद्देश्य निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई क्षेत्र के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाना है: (i) जन्म (आरम्भ) (स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना) (ii) संचालन और विकास (कानूनों और विनियमों को सरल बनाकर और ऋण तक उनकी पहुंच को सुलभ बनाना। कुशल श्रम और विश्वसनीय बुनियादी ढांचे के अलावा बेहतर प्रौद्योगिकी और गतिशील बाज़ार) (iii) व्यवस्थित और आसान निकास। इस प्रकार भारत की एमएसएमई नीति के नए बदलते फोकस का उद्देश्य एक स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रतिस्पर्धी एमएसएमई क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई के पूरे जीवन चक्र को शामिल करना है। इसका लक्ष्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई के योगदान को मौजूदा 29 प्रतिशत से 50 प्रतिशत से अधिक तक ले जाना है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हो। निर्यात योगदान को वर्तमान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत और रोज़गार सृजन को वर्तमान में 11.10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ किया जाएगा।

हाल के वर्षों में फर्मों के बीच एक साथ सहयोग और प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति में तेज़ी आ रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संदर्भ में सहयोग का महत्व और भी अधिक प्रतीत होता है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकियों के बीच प्रतिस्पर्धा में तेज़ी आई है और प्रौद्योगिकियां अधिक जटिल हो गई हैं, एमएसएमई के सामने कई चुनौतियां आ गई हैं जैसे बढ़ती अनुसंधान और विकास लागत,

तकनीकी विकास में उच्च जोखिम और अनिश्चितता, साथ ही बड़े पैमाने पर नवाचार परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों की कमी। एमएसएमई को प्रतिस्पर्धियों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है ताकि वे साथ मिलकर अधिक उत्पादन करके उत्पादन लागत में बचत (इकोनोमीज़ ऑफ़ स्केल) कर सकें, जोखिम को कम कर सकें और संसाधनों का लाभ उठा सकें। एमएसएमई क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात और रोज़गार सृजन के मामले में भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

यह पाया गया है कि क्लस्टरिंग से एमएसएमई को वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद मिलती है—क्लस्टर नीतियां अंतर-कंपनी सहयोग और व्यापार नेटवर्किंग को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए संगठनों का निर्माण/सशक्त करने की दिशा में काम करती हैं। वास्तव में हाल के दिनों में दुनिया भर के देश क्लस्टर प्रणाली पर भरोसा कर रहे हैं जो सहायक संस्थानों और नीतिगत संरचना की सहायता से छोटी फर्मों और उनके बाहरी परिवेश के साथ संबंधों को सुनिश्चित करने पर जोर देती हैं। इसके अलावा, वैश्वीकरण के दौर में वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों की विशेष एमएसएमई बैंक शाखाओं/काउंटर्स के माध्यम से एमएसएमई को ऋण, क्रेडिट गारंटी और उद्यम पूंजी को बढ़ावा देने आदि के रूप में वित्तीय सहायता के लिए नीतियों की शुरुआत हुई है। इस प्रकार वैश्वीकरण का युग एमएसएमई की सहायता के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। दुनिया भर के देशों की तरह भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में एमएसएमई क्षेत्र वृद्धि और विकास के मामले में उपलब्धियों की ओर अग्रसर है।

क्लस्टर न केवल प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने का एक साधन हैं बल्कि गरीबी उन्मूलन, स्थायी रोज़गार के सृजन, नवाचार को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करने, बेहतर ऋण प्रवाह और पर्यावरणीय मुद्दों से अधिक प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से निपटान को सुगम बनाने से भी मददगार हैं। क्लस्टर विकास दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में किया गया है और केवल भारत में कम से कम 20 विविध स्वतंत्र पहल प्रगति पर हैं या उनकी योजना बनाई जा रही है। संभवतः भारत के अलावा दुनिया का कोई भी देश 6,000 से अधिक समूहों का दावा नहीं कर सकता जो यहां कई दशकों और सदियों से अस्तित्व में हैं। एक ओर, इस विषय ने व्यापक रुचि उत्पन्न की है तो दूसरी ओर, क्लस्टर और क्लस्टर विकास की समझ ने भ्रम और अंतर्विरोधों को भी जन्म दिया है।

सूक्ष्म क्षेत्र मजबूरी के कारण हाइड्रा (कई सिर वाले सांप) की तरह अपने आप बढ़ता है। मजबूरी या तो पारंपरिक विनिर्माण उद्योगों के मामले में आजीविका और आय उत्पन्न करना है या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के तहत आने वाले हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों के मामले में अतिरिक्त आजीविका और आय उत्पन्न करना है। कुल मिलाकर, एमएसएमई क्षेत्र (आईटी, बड़े उद्योगों की सहायक इकाइयां, हाल ही में उत्पन्न कुछ

विशिष्ट सेवाओं को छोड़कर) पुरानी अप्रचलित प्रौद्योगिकी, उत्पादन लागत में अकुशलता, सीमित बाजार और कई समस्याओं से ग्रस्त है। परिणामस्वरूप ऐसे युग का आरंभ हुआ है जहां पारंपरिक उद्योग स्थापित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उद्योगों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण स्वतः समाप्त हो रहे हैं।

ये सभी कुछ बड़ी संख्या में देश भर में फैले एमएसएमई को प्रदान करना संभव नहीं है और न ही वे उन्हें अपने बूते पर खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। इस विकट समस्या के समाधान का एकमात्र तरीका क्लस्टरिंग (समूह बनाने) और क्लस्टर विकास पहल है जो एमएसएमई को एक नया जीवन प्रदान करेगा। भारत में कम विकसित क्षेत्रों में, जहां सीमित औद्योगीकरण है, एमएसएमई ज्यादातर हथकरघा, शिल्प और कृषि क्षेत्र पर केंद्रित हैं और अधिकांश क्लस्टर पारंपरिक और आजीविका समूह हैं। यह देखा गया है कि इन क्लस्टरों में शामिल घरेलू इकाइयां सूक्ष्म उद्यमों में बदल जाती हैं। क्लस्टर पहल से असंगठित क्षेत्र अधिक संरचनात्मक होने लगते हैं।

कच्चे माल, कलपुर्जा, मशीनरी, कौशल और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अन्य सहायक सेवाओं के विशेष आपूर्तिकर्ताओं के कारण उद्यम अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में बेहतर सुधार कर सकते हैं। क्लस्टरों पर शोध स्पष्ट रूप से हितधारकों के बीच सकारात्मक अंतर्संबंधों वाले क्लस्टरों पर ध्यान केंद्रित करने के लाभों को दर्शाता है। क्लस्टर विकसित करना न केवल उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार का एक साधन है, बल्कि गरीबी उन्मूलन, स्थायी रोज़गार सृजन, नवाचार को बढ़ावा देने और बेहतर, प्रभावी और सतत ऋण प्रवाह को सक्षम करने का एक साधन भी है।

रोज़गार प्रदान करने के मामले में एमएसएमई क्षेत्र कृषि के बाद आता है। यह भारत के निर्यात में 48 प्रतिशत योगदान देता है। मजबूत और परिष्कृत बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज वाला यह क्षेत्र बड़े उद्यमों और उनकी मूल्य श्रृंखला को आवश्यक सहायता प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। एमएसएमई का पांचवां हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। यह सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने में उनकी भूमिका को भी दर्शाता है।

कोविड 19 अप्रत्याशित अंत वाली आपदा है। हालांकि यह स्पष्ट है कि सरकार और व्यवसायों — बड़े और छोटे दोनों को श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना होगा, व्यवसाय संचालन को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने में आने वाले जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ व्यावसायिक गतिविधियों में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार रहना होगा।

नए समाधान समय की मांग होंगे जिनके बारे में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है। इस महामारी के बाद व्यापार परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा और स्थायित्व के लिए हर क्षेत्र को एक अलग नज़रिए से देखना होगा।

एमएसएमई क्षेत्र को कोविड संकट से उबरने और अवसरों की खोज के लिए आवश्यक है:

- प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण को अपनाना;
- मानसिकता बदलना और व्यावसायिक नवाचार पर ध्यान देना;
- दैनिक आधार पर श्रम उत्पादकता की निगरानी करना;
- ऐसी कार्यनीतियों के बारे में विचार करना जो कम समय के भीतर व्यवसायों के राजस्व में प्राण फूंक सकें। ई-कॉमर्स वर्टिकल आरम्भ करना एक अच्छा उदाहरण है;
- व्यवसाय को अधिक दक्ष बनाने और आपदा प्रबंधन कार्यनीतियों को तैयार करने की आवश्यकता;
- तीन बातों पर बल देना आवश्यक है—
i) अल्पकालिक अवरोधों से निपटना
ii) मध्यम अवधि की ज़रूरतों को पूरा करना
iii) दीर्घकालीन परिवर्तनों की योजना बनाना।
- आपूर्ति शृंखला का निर्माण जो प्रतिरोधक और स्थानीय हो;
- आपूर्ति शृंखला का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करना;
- व्यवसाय के लाभहीन कार्यक्षेत्रों को छोड़ देना;
- मूल से जुड़े रहना और उसे मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करना।



एमएसएमई बड़े उद्योगों के मुकाबले न केवल तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर बड़े रोज़गार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद करते हैं। वे राष्ट्रीय आय और धन के समान वितरण को सुनिश्चित करके क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में भी मदद करते हैं। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं। एमएसएमई क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ छोटे उद्यमों (लघु स्तर के उद्योग और लघु स्तर के सेवा और व्यावसायिक संस्थानों सहित) और उनके सामूहिक संगठनों की क्षमता निर्माण के लिए देश में क्लस्टर कार्यपद्धति को एक प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया है। अन्य बातों के अलावा, इस कार्यपद्धति को प्राथमिकता दी गई क्योंकि यह प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के मामले में अधिक उत्पादन करके उत्पादन लागत में बचत (इकोनोमीज़ ऑफ़ स्केल) की सुविधा प्रदान करती है और मध्यम से लंबी अवधि में अनुकूल परिणाम देती है।

हालांकि एमएसएमई की भूमिका का प्रायः रोज़गार, आर्थिक विकास और संतुलित क्षेत्रीय विकास में उनके योगदान के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि ये

उद्यम टिकाऊ हों और बड़े पैमाने पर प्रदायगी में सक्षम हो सकें। निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद भारतीय एमएसएमई अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण स्थान नहीं बना पाए हैं। आने वाले समय में एमएसएमई की अगली पीढ़ी तैयार करने की चुनौतियां हैं जो अर्थव्यवस्था के पॉवर हाउस के रूप में कार्य कर सकें। वैश्विक-स्तर पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाली मांगों के चलते एमएसएमई के लिए अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदर्शित करना, उपयुक्त कार्यनीतियां अपनाना और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में अपनी भागीदारी का लाभ उठाना अत्यावश्यक है।

निष्कर्ष

पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए, एमएसएमई को रोज़गार सृजन, निर्यात, लोगों को कुशल बनाने में और इस क्षेत्र को और अधिक औपचारिक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी ताकि वे जीएसटी जैसे सुधारों का लाभ उठाना शुरू कर सकें। यह ऋण प्रवाह तक आसान पहुंच का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। वास्तव में अगले पांच वर्षों में एमएसएमई को बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, एमएसएमई के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने, प्रौद्योगिकी उन्नयन और एमएसएमई क्षेत्र के डिजिटलीकरण पर सरकार के बल देने के साथ वे न केवल वैश्विक समकक्षों के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं बल्कि 'मेक इन इंडिया' अभियान में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। औद्योगिक क्लस्टरिंग पर ध्यान देने के साथ वास्तविक लाभ इकोनोमीज़ ऑफ़ स्केल (अधिक उत्पादन करके उत्पादन लागत में बचत) से उत्पन्न होंगे।

(लेखिका भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी के औद्योगिक प्रसार केंद्र की प्रमुख हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : sriparnabbruah@gmail.com

नए भारत की कृषि क्रांति में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण

—डॉ नीलम पटेल

—डॉ तनु सेठी

'महिलाएं' आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे नए भारत में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय बदलावों के लिए पथ प्रदर्शक हैं। हमारे देश में आर्थिक तौर पर सक्रिय लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं कृषि से जुड़ी हैं। कृषि में ग्रामीण महिला कार्यबल के सशक्तीकरण और उसे मुख्यधारा में लाए जाने से देश आर्थिक विकास की ओर उन्मुख होगा। इससे खाद्य और पोषण सुरक्षा बढ़ेगी तथा गरीबी और भुखमरी खत्म होगी। संवहनीय विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने के लिए यह बेहतरीन रणनीति है।

भारत स्वतंत्रता के अपने 75वें वर्ष को 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर 'सशक्त महिला-सशक्त राष्ट्र' अभियान चलाया गया है। हमारा देश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के कुल कार्यबल का लगभग 54.6 प्रतिशत हिस्सा कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में लगा है। इन गतिविधियों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के 2017 के आंकड़ों के मुताबिक शहरों में 35.31 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 41.8 प्रतिशत है।

भारत में सुधारों में महिलाओं के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि उन्हें सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके। स्वतंत्रता के समय से ही आजीविका के अवसर पैदा कर और सवैतनिक रोजगारों में भागीदारी के ज़रिए समाज में ग्रामीण महिलाओं के स्तर में सुधार के लिए कई प्रमुख सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय

ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बेंटी बचाओ-बेंटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों ने देश में महिलाओं को पुरुषों से समकक्ष लाने तथा उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

मौजूदा समय में ग्रामीण महिलाएं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के ज़रिए शिक्षा, उत्पादक संसाधनों, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं और आजीविका के विविध अवसरों तक पहुंच बनाने में कामयाब रही हैं।

कृषि क्षेत्र में ग्रामीण महिला कार्यबल

ग्रामीण समुदायों में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र आजीविका का प्रमुख स्रोत हैं। गांवों में आर्थिक तौर पर सक्रिय 80 प्रतिशत महिलाएं इसी क्षेत्र से जुड़ी हैं। इनमें से 32 प्रतिशत खेतिहर मज़दूर और बाकी स्वरोजगारों में लगे किसान हैं। ग्रामीण महिलाएं कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्पादन, कटाई-पूर्व और पश्चात प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन समेत मूल्य श्रृंखला के सभी स्तरों पर सक्रिय हैं। समय गुज़रने और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू



उत्पाद में वृद्धि के साथ ही कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का अनुपात पुरुषों की तुलना में बढ़ा है। खाद्य और कृषि संगठन ने महिलाओं को संवहनीय खाद्यान्न प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय समूह बताया है। संगठन के अनुसार महिलाओं की पुरुषों के बराबर संसाधनों तक पहुंच, कौशल विकास और अवसर मुहैया कराने वाले सुधारों से विकासशील देशों में कृषि उत्पादन 2.5 प्रतिशत से चार प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि विकास में लगी महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और ग्रामीण सेवाओं में उन्हें समान हिस्सेदारी दिलाने के लिए धन का आवंटन किया गया है।

महिलाओं को कृषि की मुख्यधारा में लाने के प्रयास

प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की कल्पना के अनुरूप केंद्र सरकार ने कृषि में लैंगिक समानता के एजेंडे को तरजीह दी है। इसका मकसद कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में लगी ग्रामीण महिलाओं को संसाधनों और योजनाओं तक पहुंच मुहैया कराना है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने ग्रामीण महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से विशेष योजनाएं शुरू की हैं। इन विशेष योजनाओं के तहत राज्यों और अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को महिला किसानों पर कम-से-कम 30 प्रतिशत खर्च करना होगा।

महिला किसानों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं। केंद्र सरकार कृषि विस्तार पर उप-मिशन के तहत राज्यों के कार्यक्रमों और सुधारों में सहयोग दे रही है। देश भर में महिला किसानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों में कम-से-कम 200 घंटों के कौशल पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2021)

स्त्री सहायक पहलकदमियों में बढ़ोत्तरी के साथ ही देश में महिला संचालित जोतों की संख्या 2010-11 में 12.78 प्रतिशत से बढ़ कर 2015-16 में 13.78 प्रतिशत हो गई। (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, 2019) मंत्रालय के सहयोग से देश में अनेक कृषक महिला खाद्य सुरक्षा समूह काम कर रहे हैं। वे खेती में लगी महिलाओं से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूक्ष्म और वृहद-स्तरीय अध्ययन संचालित करते हैं। ये समूह राष्ट्र, क्षेत्र और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के अलावा महिलाओं के अनुकूल साधनों और प्रौद्योगिकियों के संकलन और प्रलेखन में शामिल हैं। मंत्रालय महिला किसानों के लिए हैंडबुक तथा सर्वश्रेष्ठ आचरण और सफलता गाथाओं का प्रकाशन भी करता है।

महिला कृषक सशक्तीकरण : कौशल और क्षमता निर्माण

भारत सरकार के कई मंत्रालयों की पहलों ने महिला किसानों की संसाधनों तक पहुंच बनाने तथा आजीविका और सामाजिक-आर्थिक लाभ बढ़ाने में मदद की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए ग्रामीण महिला किसानों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

ग्रामीण विकास विभाग ने महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण के कार्यक्रम चलाना है। इस परियोजना को दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत चलाया गया है। इसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के जरिए समूचे देश में लागू किया जा रहा है। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला किसानों को सामुदायिक संसाधनकर्मियों और विस्तार एजेंसियों के माध्यम से खेती और संबंधित क्षेत्र की आधुनिक प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल तथा कृषि पर्यावरण से जुड़े सर्वश्रेष्ठ आचरण का प्रशिक्षण दिया जाता है। विस्तार एजेंसियां खासतौर से महिला किसानों के लिए रसोई, बागवानी और पोषण बागवानी के जरिए घरेलू खाद्य सुरक्षा, न्यूनतम खर्च और उच्च पोषकता वाले आहार के विकास, प्रसंस्करण और पाककला, स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को मुख्यधारा में लाने, मंडारण के दौरान नुकसान को घटाने की प्रौद्योगिकियों, मूल्य संवर्धन, महिला सशक्तीकरण, स्थान विशेष के लिए श्रम की आवश्यकता घटाने वाली प्रौद्योगिकियों, ग्रामीण शिल्प तथा महिलाओं और बच्चों की देखभाल जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसरों के द्वार खुले हैं।

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फार वुमैन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर द्वारा नए हस्तक्षेपों पर समानांतर अनुसंधान परियोजनाओं की गई जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी परीक्षण और परिष्करण, कटौती तथा लैंगिक रूप से संवेदनशील विस्तार दृष्टिकोण जैसे विषयों पर शोध के लिए पहल की गई है।

पिछले कुछ वर्षों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी में कई गुना इजाफा हुआ है। इन प्रशिक्षण और जागरूकता शिविरों के जरिए खासतौर से महिलाओं के लिए हस्तक्षेपों को अपनाए जाने को प्रोत्साहन दिया जाता है। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत 735 राज्य-स्तरीय संसाधन कर्मियों ने लगभग 58,295 कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया है। कृषि विज्ञान केंद्र के विशेष महिला कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.23 लाख महिलाएं शामिल हो चुकी हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में छोटी अवधि के अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने के अलावा पहले से अर्जित ज्ञान को मान्यता दी जाती है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की इस योजना से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आजीविका अर्जित करने में सहायता मिलती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वास्तव में नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। इसके जरिए ग्रामीण युवाओं को वेतन आधारित रोजगार मुहैया कराया जाता है।

कृषि उत्पादक संगठन और महिला स्वयंसहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के बीच इन कार्यक्रमों का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय के महिला शक्ति केंद्र ने सामुदायिक भागीदारी के जरिए तथा बालिका शिक्षा,

मातृ देखभाल और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैला कर ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण किया है।

जैव प्रौद्योगिकी कृषि नवोन्मेष विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क (बायोटेक-किसान) पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को वैज्ञानिक समाधान मुहैया कराता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग का यह कार्यक्रम क्षेत्र के छोटे और सीमांत किसानों तथा खासतौर से महिला कृषकों को उपलब्ध नवोन्मेषी कृषि प्रौद्योगिकियों का खेती में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

सामाजिक सशक्तीकरण के लिए सुधार : सबका साथ-सबका विकास

सुरक्षा, संरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और समान अधिकार के जरिए कार्यबल में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। लैंगिक अनुपात में सुधार और महिला भ्रूण हत्या को रोकना महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में पहला कदम है। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव मिटाने और लैंगिक अनुपात में सुधार के लिए सामूहिक लामबंदी का काम किया है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं के अधिकारों और उनके लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिया गया है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण और बच्चों के विकास के लिए देश भर में अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरियों के लिए योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना, राष्ट्रीय क्रेच योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, स्वाधार गृह, उज्ज्वला, एकल केंद्र योजनाएं, महिला हेल्पलाइन और महिला विकास के लिए धन आवंटन (जेंडर बजटिंग) इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। इन सभी योजनाओं को अब महिला और बाल विकास मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना 'महिला शक्ति' में शामिल कर लिया गया है। मिशन महिला शक्ति के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन की रणनीति में महिला सशक्तीकरण के लिए राष्ट्र, राज्य और जिला-स्तरीय केंद्रों, महिला हेल्पलाइन, एकल केंद्र, सखी निवास (कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल), शक्ति सदन (अनाथ और पीड़ित महिलाओं का निवास) और क्रेच जैसे तत्वों को शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ विद्यालय अभियान और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण जैसी पहलकदमियों से ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की नीति एक महत्वपूर्ण सुधार है। इससे वे राजनीति में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकेंगी। मौजूदा समय में गांव और जिला-स्तर पर प्रतिनिधि संस्थाओं में लगभग 43 प्रतिशत सीटें स्थानीय महिलाओं के पास हैं।

वित्तीय सशक्तीकरण

भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पहुंच के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के जरिए वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं तक बेहतर पहुंच से ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास और आर्थिक गतिविधियों में

उनकी भागीदारी की संभावना को बल मिला है। जन-धन अभियान ने ग्रामीण महिलाओं की बचत और जमा खातों, भुगतान, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की है। वित्तीय पहुंच के लिए इन उपायों से लेन-देन में पारदर्शिता आई है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभ के प्रत्यक्ष हस्तांतरण की सुविधा से लाभार्थियों को समय पर धन मिलता है। वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत सात वर्षों में देश में 43.04 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। इनमें से 55.47 प्रतिशत यानी 23.87 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। कुल 66.69 प्रतिशत यानी 28.70 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के निवासियों के हैं।

वित्तीय समावेशन के चलते ही कोविड-19 के प्रकोप के दौरान भी ग्रामीणों को निर्बाध आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा सकी। इससे ग्रामीण आबादी को इस वैश्विक महामारी से पैदा संकट से उबरने में मदद मिली। ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय सशक्तीकरण और उनमें उद्यमिता विकास में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों से भी सहायता मिली है। मुद्रा और स्टैंडअप इंडिया से नौ करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

2030 तक सहस्राब्दी के विकास लक्ष्य हासिल करने की ओर

वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत के प्रदर्शन में मामूली सुधार हुआ है। वह 2018 के 0.665 की तुलना में 2020 में 0.668 अंक पर पहुंच गया है। महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों की मुख्यधारा में शामिल किए जाने से संयुक्त राष्ट्र के संवहनीय विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। लैंगिक समानता को प्रोत्साहन देने तथा सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक महिलाओं की पहुंच से कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। इससे दरिद्रता और भूख के उन्मूलन में सहायता मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा।

ग्रामीण महिलाओं के लिए योजनाओं में पर्याप्त निवेश और सामुदायिक-स्तर पर भागीदारी में वृद्धि से भविष्य की बेहतर संभावनाओं के लिए उनके सशक्तीकरण में तेजी आएगी। कौशल विकास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल परिवेश तक पहुंच ग्रामीण महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कृषि की नई प्रौद्योगिकियों के समुचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से महिला किसानों को मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

आजादी के 75वें साल में नए भारत के लिए कृषि क्षेत्र के विकास में ग्रामीण महिलाएं प्रमुख हितधारक हैं। संसाधनों, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वामित्व अधिकारों और कौशल विकास को सुनिश्चित कर ग्रामीण महिलाओं को मुख्यधारा में लाया जा सकता है। इससे कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सहायता मिलेगी।

(डॉ. नीलम पटेल नीति आयोग में सीनियर एडवाइज़र (कृषि) हैं; डॉ. तनु सेठी सीनियर एसोसिएट, नीति आयोग हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : neelam.patel@gov.in, tanu.sethi@gov.in

‘गंगा उत्सव 2021 - द रिवर फेस्टिवल’

“हमारी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि वह नदियों के संरक्षण में किस प्रकार अपना योगदान दे सकता है।”


—गजेन्द्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री

‘गंगा उत्सव 2021 - द रिवर फेस्टिवल’ के उपलक्ष्य में न केवल गंगा नदी बल्कि देश की सभी नदियों की महिमा का उत्सव मनाया गया। गंगा उत्सव का 5वां संस्करण काफी धूमधाम के साथ वर्चुअल तरीके से मनाया गया। इस वर्ष यह त्योहार देश के लोगों और नदियों के बीच प्राचीन जुड़ाव को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नदी उत्सव (रिवर फेस्टिवल) मनाने के आह्वान से प्रेरित है। प्रधानमंत्री के आह्वान से प्रेरणा लेकर ‘गंगा उत्सव’ को भारत के सभी नदी घाटियों तक ले जाने का उद्देश्य है।

1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित गंगा उत्सव 2021- नदी महोत्सव के समापन दिवस पर प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रीमती शोवना नारायण द्वारा कथक नृत्य के जरिए मां गंगा की पीड़ा की कहानी का प्रदर्शन किया गया और सभी से अपने नृत्य के माध्यम से इसे स्वस्थ रखने में मदद करने की अपील की। इस भारतीय शास्त्रीय नृत्य द्वारा प्रकृति के संरक्षण के संदेश को शक्तिशाली रूप से संप्रेषित किया गया।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने गंगा उत्सव 2021 के अपने समापन संबोधन में नदी उत्सव मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान को याद करते हुए कहा, “भारत में नदियों के प्रति श्रद्धा की परंपरा है, लेकिन उपभोक्तावाद के उदय के साथ यह जुड़ाव कहीं खो गया था। नदी उत्सव नदियों के सम्मान की इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए बीज बोएगा। यह लोगों को हमारी नदियों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करेगा।”

समापन दिवस पर ‘गंगा मशाल’ नाम के एक अभियान को



गंगा उत्सव—गंगा नदी को ‘राष्ट्रीय नदी’ घोषित करने की वर्षगांठ (यानी 4 नवंबर) पर स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) हर साल गंगा उत्सव मनाता है। उत्सव (त्योहार) का उद्देश्य हितधारकों के जुड़ाव को बढ़ावा देना और स्वच्छ गंगा के लिए सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह उत्सव गंगा संरक्षण में ‘जन भागीदारी’ के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसमें गंगा नदी के संरक्षण के लिए सभी हितधारकों के जुड़ाव और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। गंगा उत्सव के माध्यम से एनएमसीजी का उद्देश्य जनता और नदी के बीच परस्पर संबंध को मजबूत करना है।

विश्व नदी दिवस: विश्व भर में नदियों के समर्थन, संरक्षण और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 2005 से हर साल ‘सितंबर के चौथे रविवार’ को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया गया।

मंत्रियों द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गंगा मशाल गंगा टास्क फोर्स द्वारा ‘मेरी गंगा मेरी शान’ अभियान का हिस्सा है। गंगा टास्क फोर्स विभिन्न कायाकल्प प्रयासों के लिए नमामि गंगे मिशन के तहत प्रादेशिक सेना की एक बटालियन है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा, “गंगा उत्सव को गरिमापूर्ण और प्रेरक तरीके से आगे ले जाने के लिए गंगा मशाल सबसे अच्छा तरीका है।”

‘कर्तव्य गंगा’ गीत के रचयिता जाने-माने कवि, गीतकार और संचार विशेषज्ञ श्री प्रसून जोशी ने कहा, “कर्तव्य गंगा गीत के पीछे का विचार यह है कि यदि हम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे अधिकार अपने आप पूरे हो जाएंगे।”

गंगा उत्सव उपलब्धियां

- ट्री क्रेज़ फाउंडेशन के सहयोग से एनएमसीजी द्वारा विकसित कंटिन््यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल (सीएलएपी) को लांच किया गया। सीएलएपी नमामि गंगे की एक पहल है जिसे ट्री क्रेज़ फाउंडेशन द्वारा विकसित एवं निष्पादित किया गया है। सीएलएपी विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित एवं समर्थित एक संवादात्मक पोर्टल है जो भारत में नदियों के संरक्षण एवं उससे संबंधित मामलों में पहल करने की दिशा में काम कर रहा है। सीएलएपी लोगों के लिए साल भर विचित्र एवं अन्य गतिविधियों में भाग लेने का एक अवसर होगा।

- एनएमसीजी ने गंगा उत्सव के दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया। एनएमसीजी ने ‘गंगा उत्सव - द रिवर फेस्टिवल 2021’ के पहले दिन फेसबुक पर एक घंटे के दौरान

सदियों से जिन परम्पराओं से हम जुड़े हैं उससे जोड़ने वाला है 'विश्व नदी दिवस'

"साथियों, देशभर में नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, पानी की स्वच्छता के लिए सरकार और समाजसोयी संगठन निरंतर कुछ-न-कुछ करते रहते हैं। आज से नहीं, दशकों से ये चलता रहता है। कुछ लोग तो ऐसे कामों के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके होते हैं। और यही परंपरा, यही प्रयास, यही आस्था हमारी नदियों को बचाए हुए है। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जब ऐसी खबरें मेरे कान पे आती हैं तो ऐसे काम करने वालों के प्रति एक बड़ा आदर का भाव मेरे मन में जागता है और मेरा भी मन करता है कि वो बातें आपको बताऊं। आप देखिए तमिलनाडु के वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यहां एक नदी बहती है, नागानधी। अब ये नागानधी बरसों पहले सूख गई थी। इस वजह से वहां का जलस्तर भी बहुत नीचे चला गया था। लेकिन, वहां की महिलाओं ने बीड़ा उठाया कि वो अपनी नदी को पुनर्जीवित करेंगी। फिर क्या था, उन्होंने लोगों को जोड़ा, जनभागीदारी से नहरें खोदी, चेकडैम बनाए, रिचार्ज कुएं बनाए। आप को भी जान कर के खुशी होगी साथियों कि आज वो नदी पानी से भर गई है। और जब नदी पानी से भर जाती है न तो मन को इतना सुकून मिलता है मैंने प्रत्यक्ष से इसका अनुभव किया है।

आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जिस साबरमती के तट पर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम बनाया था पिछले कुछ दशकों में ये साबरमती नदी सूख गई थी। साल में 6-8 महीने पानी नजर ही नहीं आता था, लेकिन नर्मदा नदी और साबरमती नदी को जोड़ दिया, तो अगर आज आप अहमदाबाद जाओगे तो साबरमती नदी का पानी ऐसा मन को प्रफुल्लित करता है। इसी तरह बहुत सारे काम जैसे तमिलनाडु की हमारी ये बहनें कर रही हैं, देश के अलग-अलग कोने में चल रहे हैं। मैं तो जानता हूँ कई हमारे धार्मिक परम्परा से जुड़े हुए संत हैं, गुरुजन हैं, वे भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ-साथ पानी के लिए, नदी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कई नदियों के किनारे पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं, तो कहीं नदियों में बह रहे गंदे पानी को रोका जा रहा है...। हर नदी के पास रहने वाले लोगों को, देशवासियों को मैं आग्रह करूंगा कि भारत में, कोने-कोने में साल में एक बार तो नदी उत्सव मनाना ही चाहिए।..."

—प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, 26 सितंबर, 2021 को प्रसारित 'मन की बात' के अंश

हस्तलिखित नोटों के साथ अपलोड किए गए सर्वाधिक तरवीरों के लिए गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी पंजीकरण दर्ज किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने गंगा के बारे में फेसबुक पर अपना संदेश पोस्ट किया जिसके बाद गिनीज़ गतिविधि को आम जनता के लिए खोल दिया गया। महज एक घंटे के दौरान इस गतिविधि के तहत लाखों प्रविष्टियां दर्ज की गईं। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी विशेष रूप से प्रेरक थी।

- आईआईटी, कानपुर द्वारा विकसित गंगा एटलस को गंगा उत्सव के दौरान लांच किया गया। आईआईटी, कानपुर के प्रोफेसर राजीव सिन्हा द्वारा तैयार की गई गंगा एटलस में पिछले 5-6 दशकों के दौरान गंगा नदी में हुए परिवर्तन का दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया है। एनएमसीजी द्वारा वित्तपोषित इस शोध परियोजना के तहत आईआईटी, कानपुर ने एक वर्कप्लो भी विकसित किया है जो उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम लागत पर नदी के वातावरण की अवर्गीकृत इमेजरी का विश्लेषण करने और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देता है।

- गंगा से गोदावरी और नर्मदा से कावेरी तक सभी नदियों का जश्न मनाते हुए 'भारत की नदियां' का एक गाने का वीडियो भी लांच किया गया। यह वीडियो आईआईटी, मद्रास की एक पहल, द सेंटर फॉर क्लीन वॉटर (आईसीसीडब्ल्यू) के सहयोग से जाने-माने भारतीय-अमेरिकी संगीतकार डॉ. कनिका कनिकोश्वरन की रचना है। अग्रणी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार बॉम्बे जयश्री और कौशिकी चक्रवर्ती और उनके बेटे के साथ दुनिया भर के कई अन्य संगीतकारों ने वर्चुअल मोड में जुड़कर इस वीडियो को बनाया है।

- नदियों के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए गंगा नॉलेज पोर्टल का कर्टेन रेजर लांच। चाचा चौधरी और गंगा की बात के रूप में कॉमिक्स के इस असरदार

माध्यम से बच्चों को जोड़ने के लिए पहले से स्वीकृत पहल के संदर्भ में पहली कॉमिक बुक 'चाचा चौधरी और गंगा उत्सव' का विमोचन।

- प्रायोजित थीसिस की पुस्तक, 'री-इमेजनिंग अर्बन रिवर' को गंगा उत्सव-2021 में लांच किया गया। यह नमामि गंगे मिशन के एक और अभिनव प्रयास से विकसित किया गया है।

- आईएनटीएसीएच द्वारा तैयार की गई एक पुस्तक 'सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ रिवर' का विमोचन।

- नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत प्रो. विनोद शर्मा की अगुवाई में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा तैयार गंगा चिल्ड्रन हैंडबुक और प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी विमोचन किया गया।

इससे पहले, गंगा उत्सव के दूसरे दिन केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी. कृष्णा रेड्डी ने कहा, "इस उत्सव के माध्यम से भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत भी प्रतिबिंबित होती है।" उन्होंने गंगा बेसिन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एनएमसीजी के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण, जलज सफारी आदि जैसी विभिन्न पहलों के बारे में भी जानकारी दी। इससे स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और नदियों पर उनकी निर्भरता कम होगी।

जलशक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा, "नदी का अस्तित्व हमसे नहीं है, बल्कि नदी के कारण ही हमारा अस्तित्व है। इसलिए, अपनी नदियों को मानव निर्मित नहरों की तरह मत समझो।" उन्होंने आगे कहा कि हम सभी को उंगली उठाने की बजाय नदियों के संरक्षण में अपने (व्यक्तिगत) योगदान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, "नदी महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि खुद को यह याद दिलाने का अवसर है कि 'जल ही धन है' (पानी अनमोल है)।"

कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी

—विजय प्रकाश श्रीवास्तव


समय गंवाए बिना अब कौशल विकास को देश की प्राथमिकताओं में शामिल करने की जरूरत है और निजी क्षेत्र इसमें महती भूमिका अदा कर सकता है। सरकार का काम इसके लिए वातावरण को अधिकाधिक अनुकूल बनाना तथा प्रशासनिक स्तर पर उन्हें पर्याप्त सहयोग प्रदान करना है। कौशल विकास में निवेश, निजी व सरकारी, दोनों क्षेत्रों को मजबूत करेगा। श्रेष्ठ तथा आत्मनिर्भर भारत का रास्ता भी इससे ही निकलेगा। निजी क्षेत्र को कौशल विकास में सरकारी प्रयासों का सिर्फ पूरक नहीं बनाना है बल्कि इसमें अपनी तरफ से भी बहुत कुछ जोड़ना है।

'हु'नर है तो कदर है', यह छोटी-सी पंक्ति कौशल विकास के महत्व को बताने के लिए पर्याप्त है। कौशल युक्त होना एक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर तो देता ही है, एक राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भी कौशल विकास एक अनिवार्य आवश्यकता है। राष्ट्र लोगों से बनता है, अगर लोग सक्षम तथा योग्य बनेंगे तो राष्ट्र भी सक्षम तथा मजबूत बनेगा। एक राष्ट्र की मानव संसाधन विकास नीति का उद्देश्य अपनी जनसंख्या को शिक्षित व कुशल बनाना होता है। इस प्रक्रिया में लोग अपने लिए बेहतर संभावनाओं का सृजन तो करते ही हैं, राष्ट्र भी अपने सामाजिक-आर्थिक ढांचे को लाभ पहुंचाता है जिसका एक उदाहरण सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होना है। इस प्रकार कौशल विकास सभी देशों के लिए एक आवश्यकता है, भारत जैसे देश के लिए तो और भी।

भारत की आबादी में युवाओं की संख्या काफी अधिक है, इस कारण से हमारे देश को जनसंख्या लाभ अर्थात् डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला माना जाता है। अपने आप में यह लाभ एक काल्पनिक स्थिति है जो मूर्त रूप तभी लेगी जब इस युवा जनसंख्या में वांछित योग्यताएं तथा कुशलताएं मौजूद हों जो देश के लिए लाभ की

स्थिति उत्पन्न करें। फिलहाल देश में रोजगारों की उपलब्धता उतनी नहीं है, जितनी होनी चाहिए। दूसरी तरफ, उद्योग जगत कहता रहा है, हमारे युवाओं का एक बड़ा वर्ग नियोजनीय, जिसके लिए अंग्रेजी में एम्प्लायबल शब्द का उपयोग किया जाता है, नहीं है।

दरअसल कौशल की कमी देश में उद्योग व व्यापार के सभी क्षेत्रों में है। भारत को विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए बहुत सारे प्रयासों की आवश्यकता होगी जिसमें कौशल विकास संबंधी प्रयासों को भी प्रमुखता से शामिल करना होगा। हमारे देश में वर्ष 2009 में कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति जारी की गई जिसमें देश के कौशल परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने हेतु दृष्टिकोण तथा संरचनात्मक सुधारों की बात कही गई थी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना इसके पहले ही वर्ष 2008 में हो चुकी थी तथा वर्ष 2015 से कुशल भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत अनेक योजनाएं लागू की जा चुकी हैं जिनसे अनुकूल परिणाम सामने आए हैं। पर आज हम जहां हैं, उससे आगे भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। समय के साथ कौशलों का परिदृश्य बदल रहा है, इस पृष्ठभूमि में हमारे



देश की जो आवश्यकता है, उसके अनुसार कौशल विकास के लिए हमारे प्रयासों में और गति तथा विविधता लाने की ज़रूरत है। यहां हमारा ध्यान मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक उपलब्धियों पर भी केंद्रित होना चाहिए।

आदर्श स्थिति तब होगी जब प्रत्येक युवा अपनी रुचि के क्षेत्र में अपना कौशल विकास कर सके तथा उसे अपने कौशल का उत्पादक एवं लाभप्रद उपयोग करने का अवसर उपलब्ध हो। स्पष्ट है कि यह आदर्श स्थिति अभी हमसे दूर है। कौशल विकास में हमें दो मोर्चों पर जीत हासिल करनी है, एक औपचारिक शिक्षा के दायरे से बाहर रह गए युवाओं को उनके लिए उपयोगी कौशल हासिल करने का अवसर प्रदान करना है; दूसरा, देश में ऐसी स्थिति निर्मित करना है जिसमें उद्योग-व्यापार के सभी क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कुशल जनशक्ति पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो सके। यहां किसी भी अंतर का होना एक अप्रिय स्थिति है जिसमें हम राष्ट्रीय आय बढ़ाने, लोगों के जीवन-स्तर को सुधारने, निर्यात से विदेशी मुद्रा कमाने के अवसरों का फायदा उठाने में पीछे रह जाते हैं। यदि यह अप्रिय स्थिति दूर हो सके तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था पर दिखेगा, बेरोजगारी दूर होने से हम युवा क्षमता का सदुपयोग कर पाएंगे, लोगों की आय बढ़ेगी तो उपभोग का स्तर भी बढ़ेगा और इस प्रकार से निर्मित चक्र देश की खुशहाली और समृद्धि बढ़ाएगा। अतः कौशल विकास की उपयोगिता तथा आवश्यकता को सीमित दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यापक दृष्टिकोण से समझने की ज़रूरत है। हमें कौशल विकास की सिर्फ वर्तमान ज़रूरतों को ही ध्यान में नहीं रखना है बल्कि इस हेतु भविष्य के मद्देनज़र भी रणनीतियां निर्मित करनी हैं।

समय के साथ कौशलों का परिदृश्य बदल रहा है, इस पृष्ठभूमि में हमारे देश की जो आवश्यकता है, उसके अनुसार कौशल विकास के लिए हमारे प्रयासों में और गति तथा विविधता लाने की ज़रूरत है। यहां हमारा ध्यान मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक उपलब्धियों पर भी केंद्रित होना चाहिए। अतः कौशल विकास की उपयोगिता तथा आवश्यकता को सीमित दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यापक दृष्टिकोण से समझने की ज़रूरत है। हमें कौशल विकास की सिर्फ वर्तमान ज़रूरतों को ही ध्यान में नहीं रखना है बल्कि इस हेतु भविष्य के मद्देनज़र भी रणनीतियां निर्मित करनी हैं।

यह संतोष का विषय है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के स्तर पर कौशल विकास के महत्व को पहचाना गया है। केंद्र सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय स्थापित किया है तो अनेक राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में भी कौशल विकास हेतु अलग मंत्रालय अथवा विभाग बनाए गए हैं। कौशल विकास की प्रत्येक सरकारी पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। मानव संसाधन विकास जिसमें कौशल विकास अनिवार्य रूप से शामिल है, में समग्रतः नेतृत्वपरक भूमिका निभाना सरकार की ही ज़िम्मेदारी होती है, पर इसे पूरी तरह सरकारी प्रयासों पर छोड़ देना एक बड़ी भूल होगी, विशेषकर विशाल आबादी वाले भारत देश में जहां हज़ारों-लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को कौशल विकास की आवश्यकता है।

हम इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि हमारे देश में कई दशक पहले शुरू हुए उदारीकरण के दौर के बाद

से सरकार व्यापारिक क्षेत्र में अपनी भूमिका क्रमशः सीमित करती जा रही है। सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजी सहभागिता को बढ़ाने पर जोर है। कहीं सरकार आंशिक रूप से बाहर आ रही है तो कहीं पूरी तरह से। बाद वाले मामले का सबसे ताज़ा उदाहरण एयर इंडिया की निजी क्षेत्र को विक्री का है। वैसे भी देश में निजी उद्यमों का तेजी से विस्तार हो रहा है। महामारी के घटते असर के आलोक में औद्योगिक गतिविधियां पटरी पर लौट रही हैं। हाल में अनेक कंपनियों के जो वित्तीय परिणाम आए हैं, वे उत्साहवर्धक हैं। अधिकांश कंपनियों की लाभप्रदता में वृद्धि देखने को मिली है। निजी क्षेत्र निरंतर मज़बूत होता जा रहा है। ऐसे में कौशल विकास के प्रयासों में निजी क्षेत्र को अपनी सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है।

निजी क्षेत्र के प्रयास

हमारे देश में जन कल्याण के कार्यों में निजी क्षेत्र पहले से योगदान करता रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था जैसे कुछ क्षेत्र हैं जिसमें ऐसा योगदान प्रमुखता से देखने को मिलता है। हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र की कंपनियां कौशल विकास तथा व्यावसायिक (वोकेशनल) शिक्षा में निवेश करने को उन्मुख हुई हैं। निजी तथा सरकारी क्षेत्र के विनिर्माण उद्योग में अप्रेंटिसशिप के अवसर युवाओं को कई दशक पहले से मिलते रहे हैं। अप्रेंटिसशिप को भी कौशल विकास के एक साधन के रूप में देखा जा सकता है, परंतु इसमें सीमित संख्या में ही लोगों को अवसर मिल सकता है, अतः इसकी भूमिका बहुत छोटी है।

सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने देश में कौशल विकास की एक स्पष्ट रूपरेखा बनाई है, इस हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी तालमेल स्थापित किया है। कौशल विकास किसी एक देश की चिंता नहीं है। अतः इस विषय में राष्ट्र एक-दूसरे के अनुभवों से सीखें तथा यथासंभव मिलकर कार्य करें तो अच्छा रहेगा। हमारे देश में सेक्टर स्किल्स काउंसिल का जो मॉडल अपनाया गया है, वह यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। निगम कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इस मॉडल में कौशल विकास के लिए शिक्षा तथा उद्योग जगत, श्रमिक व उनके संगठन तथा सरकार को साथ लाने पर जोर दिया जाता है। कौशल विकास में निजी तथा सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के अनेक उदाहरण मिलते हैं। भारत में एक तरफ निजी कंपनियां कौशल विकास के सरकारी प्रयासों में सहायता पहुंचा रही हैं तो दूसरी तरफ, उन्होंने इस हेतु स्वतंत्र प्रयास भी किए हैं जो एक दशक से अधिक पहले से जारी हैं। टाटा समूह, लार्सन एंड टूब्रो, गोदरेज

इंडस्ट्रीज़, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इन्फोसिस, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक कुछ नाम हैं, जो अन्य कंपनियों को राह दिखा सकते हैं।

टाटा स्ट्राइव टाटा ट्रस्ट्स की कौशल विकास पहल है जो 2022 तक दस लाख लोगों को अपने प्रयासों से जोड़ने का लक्ष्य रखती है। यह आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े युवाओं को कौशलयुक्त कर उन्हें रोजगार दिलाने तथा कुछ मामलों में उद्यमी बनाने में भी मदद करती है। महिंद्रा समूह जो कार तथा ट्रैक्टर जैसे वाहनों के निर्माण तथा कई अन्य व्यवसायों में रत है, ने महिंद्रा प्राइड स्कूल स्थापित कर रखे हैं जिसमें तीन माह की अवधि के रोजगारपरक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। हाल में यहां से प्रशिक्षित 65 युवाओं को जापान की एक कंपनी ने नियोजित किया है। प्रमुख टायर निर्माता कंपनी सिएट भी कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करती है और प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं में से अनेक को अपने ही संगठन में नियोजित कर लेती है। निजी क्षेत्र के योगदान के ऐसे कई उदाहरण हैं।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व तथा कौशल विकास

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की अवधारणा को कौशल विकास के क्षेत्र में आसानी से लागू किया जा सकता है और कई संगठनों ने ऐसा किया भी है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 को लागू कर भारत निर्दिष्ट कंपनियों हेतु सीएसआर खर्च को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना। वर्तमान नियमों के अनुसार 500 करोड़ रुपये से अधिक की निवल मालकियत अथवा 1000 करोड़ रुपये या अधिक के टर्न ओवर या ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये और इससे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वे पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत सीएसआर पर व्यय करें। कुछ कंपनियां अपने सीएसआर बजट का एक हिस्सा पहले से ही कौशल विकास पर खर्च कर रही हैं, अन्य कंपनियों को भी इस पर विचार करना चाहिए। वास्तव में सीएसआर निधियों का कौशल विकास में विनियोजन इस क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। अनिवार्य सीएसआर के दायरे में आने वाली छोटी कंपनियों का संचयी योगदान भी विशाल बन सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र ऐसा है जो कौशल विकास में संकेंद्रित प्रयासों की मांग करता है। इंजीनियरिंग शिक्षा में भले ही इस विषय को प्राथमिकता मिलती रही हो, कहीं न कहीं कौशल विकास में प्लम्बिंग, कार्पेटरी और इनसे मिलते-जुलते क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया जाता रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार जैसे क्षेत्रों को कौशल विकास की रणनीतियों में प्रमुखता से शामिल न

करने के पीछे शायद यह धारणा रही हो कि इनके लिए ऊंचे दर्जे की तकनीकी कुशलता तथा वी. टेक और एमसीए जैसी योग्यताओं की ज़रूरत होती है। जबकि राच्चाई यह है कि कम शिक्षित युवाओं को समुचित प्रशिक्षण देकर सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार से जुड़ी सेवाओं में उन्हें नियोजित किया जा सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी में अपने देश की प्रगति पर हम भले ही गौरवान्वित महसूस करें, परंतु कुशल जनशक्ति की कमी इसमें हमें स्पर्धात्मक बनाने से रोक रही है। नैरकाम के अनुसार देश में डिजिटल कुशलताओं से युक्त नई जनशक्ति की आपूर्ति मांग की तुलना में काफी कम है। अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ अनुमान है कि डिजिटल कुशलताएं रखने वाले लोगों की आवश्यकता में वर्ष 2024 तक बीस गुना इज़ाफा होगा। सूचना प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्र तेज़ी से उभर रहे हैं। इनमें कृत्रिम मेधा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, त्रिआयामी प्रिंटिंग,

अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ अनुमान है कि डिजिटल कुशलताएं रखने वाले लोगों की आवश्यकता में वर्ष 2024 तक बीस गुना इज़ाफा होगा। सूचना प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्र तेज़ी से उभर रहे हैं। इनमें कृत्रिम मेधा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, त्रिआयामी प्रिंटिंग, बिग डेटा अनलिटिक्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा आदि शामिल हैं। ये तकनीकें अभी भी विकासात्मक चरण में हैं। यदि हम अभी से 18-20 वर्ष तथा आसपास की उम्र के युवाओं को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित तथा नियोजित कराते हैं तो हम वर्तमान तथा भविष्य दोनों हेतु जनशक्ति तैयार कर सकेंगे।

बिग डेटा अनलिटिक्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा आदि शामिल हैं। ये तकनीकें अभी भी विकासात्मक चरण में हैं। यदि हम अभी से 18-20 वर्ष तथा आसपास की उम्र के युवाओं को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित तथा नियोजित कराते हैं तो हम वर्तमान तथा भविष्य दोनों हेतु जनशक्ति तैयार कर सकेंगे। जिस तरीके से इन क्षेत्रों में मांग बढ़ रही है, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली से इसे पूरा नहीं किया जा सकता। यदि अपस्किलिंग का सहारा लिया जाता है तो भी वांछित संख्या तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा।

एक और उद्योग जिसमें बहुत संभावनाएं देखी जा रही हैं, विद्युत वाहनों का है जिनके उत्पादन तथा मांग में लगातार वृद्धि होने

वाली है। हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी वृद्धि भी इसी श्रेणी में आते हैं। इसीलिए कौशल विकास रणनीतियों में उक्त विषयों को बड़े पैमाने पर शामिल करने की ज़रूरत है तथा इसके लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को ही गहन प्रयास करने होंगे। इंडस्ट्री 4.0 के युग में हमारी मज़बूत स्थिति कौशल विकास में वृहद् निवेश किए बगैर हासिल नहीं की जा सकती। इंडस्ट्री 4.0 में अग्रणी भूमिका निजी क्षेत्र की ही है अतः संबंधित कौशल विकास के लिए व्यापक पहल उन्हें ही करनी होगी।

पर्यटन तथा आतिथ्य उद्योग में भी निजी क्षेत्र की प्रधानता है। इस व्यवसाय में कोरोना के कारण जो मंदी आई थी, उससे यह उद्योग बहुत तेज़ी से उबरा है। भारत के आकार, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता को देख कर यहां पर्यटन की निहित संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। होटलों, विमान व जहाजरानी सेवाओं, ट्रैवल एजेंसियों आदि में कार्य करने हेतु

प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत होती है। इस उद्योग हेतु भी कौशल विकास के ज़रिए योग्य जनशक्ति तैयार की जा सकती है। कई राज्यों के पर्यटन विभाग अधिकाधिक पर्यटकों को अपने यहां आकर्षित करने में लगे हैं तथा हमारी केंद्र सरकार भी देश में पर्यटन को प्रोत्साहित करना चाहती है। निश्चित रूप से पर्यटन कारोबार का हमारे देश में उज्ज्वल भविष्य है, इसके लिए तैयारी कौशल विकास के बगैर पूरी नहीं हो सकती।

सेवा क्षेत्र के लिए कौशल विकास

कौशल विकास के क्षेत्रों की सूची में अधिकांशतः मज़दूरी वाले तथा विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े ट्रेड देखने को मिलते हैं। इनके साथ अब सेवा क्षेत्र में कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के योगदान की प्रधानता है। इस क्षेत्र ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ रोज़गार के नए अवसर सृजित किए हैं तथा निर्यात बढ़ाने में भी अच्छा योगदान किया है। वित्त वर्ष 2020-21 में पूर्ण वित्त वर्ष में सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य योगदान 54 प्रतिशत था तथा 2020 में समाप्त वित्त वर्ष में सेवाक्षेत्र की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 11.43 प्रतिशत रही। ये आंकड़े सेवा क्षेत्र में कौशल विकास की आवश्यकता तथा संभावनाओं की ओर इंगित करते हैं।

और समय गंवाए बिना अब कौशल विकास को देश की प्राथमिकताओं में शामिल करने की ज़रूरत है और निजी क्षेत्र इसमें महती भूमिका अदा कर सकता है। सरकार का काम इसके लिए वातावरण को अधिकाधिक अनुकूल बनाना तथा प्रशासनिक स्तर पर उन्हें पर्याप्त सहयोग प्रदान करना है। कौशल विकास में निवेश निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों को मज़बूत करेगा। श्रेष्ठ तथा आत्मनिर्भर भारत का रास्ता भी इससे ही निकलेगा। निजी क्षेत्र को कौशल विकास में सरकारी प्रयासों का सिर्फ पूरक नहीं बनाना है बल्कि इसमें अपनी तरफ से भी बहुत कुछ जोड़ना है।

नए प्रयोगों की आवश्यकता

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां जो मुख्यतः निजी क्षेत्र में हैं, अभी की स्थिति में ज़्यादातर ऐसे युवाओं की भर्ती करती हैं जिनके पास डिग्री हो, जिन्हें सिखाने में अधिक निवेश न करना पड़े और जो जल्दी से जल्दी परिणाम दे सकें। क्या यह उचित नहीं होगा कि कंपनियां इस वैकल्पिक मॉडल को भी अपनाएं जिसमें 12वीं पास या समकक्ष योग्यता रखने वालों को कंपनियां नई प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित कर आगे चल कर उन्हें स्थाई रोज़गार प्रदान करें। नामी संस्थानों से भारी पैकेज देकर भर्ती पर जो पैसा कंपनियां खर्च करती हैं, उसका एक हिस्सा इस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। जैसे कंपनियां कैम्पस चयन के ज़रिए इंजीनियरों तथा एमबीए का चयन करती हैं, वैसे ही वे दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को चुन कर, उन्हें तैयार कर अपने यहां कार्य करने का अवसर दें तो यह कौशल विकास में उनका बड़ा योगदान होगा।



समावेशी हो कौशल विकास

सभी स्तरों पर कौशल विकास का समावेशी तरीका होना चाहिए जिसमें पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं, अल्प आयु वर्ग तथा महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व मिले।

कौशल विकास के किसी भी प्रयास को न्यायपूर्ण तभी कहा जाएगा जब इसमें ग्रामीण भारत पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए। शिक्षा के अवसरों की उपलब्धता में ग्रामीण भारत पिछड़ा हुआ है और हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। कम से कम कौशल विकास के मामले में तो हम यह गलती न करें। असंतुलन को दूर करने हेतु कुछ सुविधाएं विशेष रूप से ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए सुनिश्चित करनी होंगी। गांवों के निकट कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की अधिक ज़रूरत है। बड़ी कंपनियों को चाहिए कि वे ऐसे केंद्र स्थापित करने हेतु आगे आए। जहां किसी एक निजी कंपनी के लिए ऐसा कर पाना कठिन हो वहां कंपनियों को मिलकर कार्य करना चाहिए।

कंपनियों के मुख्यालय भले ही महानगरों में स्थित हों पर कौशल विकास में उनके निवेश की ज़रूरत गांवों तथा कस्बों में ज़्यादा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों में निजी निवेश अपेक्षाकृत कम है। कौशल विकास में भी ये राज्य पीछे हैं। यदि निजी निवेश से इन राज्यों में कौशल विकास पर केंद्रित विश्वविद्यालय (स्किल्स यूनिवर्सिटी) स्थापित किए जाएं तो देश के लिए यह उनका बड़ा योगदान होगा। यहां से प्रशिक्षित लोगों को भर्ती कर कंपनियां अपनी जनशक्ति आवश्यकताओं के एक भाग की पूर्ति कर सकेंगी।

यह प्रशंसनीय है कि कुछ स्टार्टअप्स जो निजी उद्यम होते हैं, ने भी कौशल विकास को अपना ध्येय बनाया है। ऐसे ही छोटे-बड़े प्रयासों से देश में कौशल विकास का लक्ष्य पूरा होगा।

(लेखक बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन विकास संस्थान में संकाय सदस्य रह चुके हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : v2j25@yahoo.in

नवाचार और उद्यमिता कौशल को बढ़ावा

-डॉ. हरेंद्र राज गौतम

चूंकि विकास संबंधी गतिविधियों में फोकस युवाओं पर है, इसलिए इन युवाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर ही नीतियां बनाई जानी चाहिए, ताकि विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में युवाओं की समग्र और असरदार भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान और शिक्षा अहम पहलू हैं। युवाओं, खासतौर पर ग्रामीण और हाशिए पर मौजूद युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम करने की ज़रूरत है ताकि वे ज्ञान, क्षमता, कौशल और नैतिक मूल्यों से लैस होकर विकास, सामाजिक समावेशन, सहिष्णुता और शांति के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर सकें।


भारत में खेतीवाड़ी को बचाए रखने के लिए युवाओं की ज़रूरत है, जबकि युवाओं को अपने सपने पूरा करने और बेहतर जीवनशैली के लिए कृषि से अलग भी रोजगार के अवसरों की ज़रूरत है। चूंकि भारत में 90 प्रतिशत खेतिहर मजदूरों के पास किसी तरह का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं होता है, इसलिए उन्हें बेहतर रोजगार के लिए कौशल की ज़रूरत होती है।

कौशल का आधार तकनीक है और नई तकनीकों के उभार के लिए नवाचार बेहद अहम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद ज्यादातर युवा कृषि संबंधी गतिविधियों से जुड़े हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र को नई-नई तकनीक, जैसे कि बिग डेटा एनालिटिक्स, आपूर्ति श्रृंखला/बाजार से जुड़ा मॉडल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) से लैस करने के साथ-साथ इन युवाओं को भी तरह-तरह के कौशल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

स्टार्टअप कंपनियां ऐसा मंच हैं, जहां नई तकनीक विकसित

करने के लिए नए-नए आइडिया पर काम किया जा सकता है। साथ ही, स्थानीय कारीगरों की संभावनाओं को पहचान कर कौशल विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। नवाचार ग्रामीण इलाकों में मौजूद उद्यमों की गुणवत्ता में ज़बरदस्त सुधार ला सकता है। साथ ही, ऐसे स्थानीय उद्यमों के उत्पादों की मांग में भी बढ़ोत्तरी होगी। हमें पता है कि 'अमूल', 'फैब इंडिया', 'एमडीएच मसाले', 'प्रताप स्नैक्स', 'पतंजलि', 'हल्दीराम', 'बीकाजी', 'डाबर', 'हिमालय', 'विम्बो', 'स्वरा वाऊ', 'तिजोरी', 'गो-देसी' समेत कई और बड़े ब्रांडों की शुरुआत ग्रामीण-स्तर पर ही हुई और बाद में ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर लोकप्रिय हुए।

फंड की आसान सुविधा, स्थानीय प्रतिभा पर जोर और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने की वजह से गांवों और छोटे शहरों में उद्यमों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इस तरह, ग्रामीण इलाकों में कौशल और रोजगार की बड़ी मांग पैदा हो सकती है।



युवा किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन होते हैं। भारत की कुल आबादी में युवाओं की संख्या अर्धशताब्दी-खारशी यानी 34.33 प्रतिशत है। भारत की जनगणना के मुताबिक, 1971 में देश में कुल युवाओं की संख्या 16.8 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 42.2 करोड़ हो गई। चूंकि विकास संबंधी गतिविधियों में फोकस युवाओं पर है, इसलिए इन युवाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर ही नीतियां बनाई जानी चाहिए, ताकि विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में युवाओं की समग्र और असरदार भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान और शिक्षा अहम पहलू हैं। युवाओं, खासतौर पर ग्रामीण और हाशिए पर मौजूद युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम करने की ज़रूरत है, ताकि वे ज्ञान, क्षमता, कौशल और नैतिक मूल्यों से लैस होकर विकास, सामाजिक समावेशन, सहिष्णुता और शांति के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर सकें।

ज्यादातर देशों में अब युवाओं को रोजगार मुहैया कराना प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। कोरोना महामारी के बाद के दौर में ऐसी गतिविधियों पर और तेजी से काम करने की ज़रूरत है, ताकि महामारी के दौरान उपजी चुनौतियों से मुकाबला किया जा सके। युवाओं के रोजगार के लिए अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर भी रणनीति तैयार की जा रही है और सतत विकास लक्ष्यों के तहत इसे 2030 के विकास एजेंडे में शामिल किया गया है।

हमारी बहुसंख्यक आबादी गांवों में रहती है और वहां पर खेती ही आजीविका का मुख्य साधन है। हालांकि, ज्यादातर किसानों की आजीविका सिर्फ खेती से नहीं चल सकती, इसलिए ग्रामीण परिवारों में भी गैर-कृषि गतिविधियों से आय हासिल करने का प्रचलन बढ़ रहा है। ऐसे में कौशल की भूमिका अहम हो जाती है। गैर-कृषि गतिविधियों से जुड़े रोजगार हासिल करने में कौशल बेहद अहम है। नवाचार से कौशल और अवसरों में बढ़ोत्तरी होती है। शिक्षा और कौशल के मेलजोल से नवाचार की क्षमता में बढ़ोत्तरी होती है और इस तरह खेती में नई तकनीक को अपनाया जा सकता है। ऐसे में किसानों की स्थिति में सुधार हो सकेगा। एशिया का अनुभव बताता है कि बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण से गैर-कृषि क्षेत्र में बेहतर रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि, विकासशील देशों में ग्रामीण लोगों के लिए प्रशिक्षण का अभाव बड़ी समस्या है। भारत में तकरीबन 90 प्रतिशत खेतिहर मजदूरों को औपचारिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है। विकासशील देशों में, औपचारिक प्रशिक्षण प्रणाली से अलग प्रशिक्षण ही अक्सर कौशल सीखने का अहम जरिया होता है।

युवाओं को कौशल से लैस करना

भारत में कौशल से लैस कार्यबल की उपलब्धता मांग के मुकाबले बेहद कम है। कौशल विकास की सख्त ज़रूरत को देखते हुए, साल 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास नीति बनाई

गई, ताकि कौशल से लैस कार्यबल की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। हालांकि, कौशल विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने से हासिल अनुभव के आधार पर कदा जा सकता है कि मौजूदा नीति में बदलाव की ज़रूरत है, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर मौजूद परिदृश्य के हिसाब से नीतियां तैयार की जा सकें।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता राष्ट्रीय नीति 2015 तैयार की, ताकि कौशल विकास की रफ्तार को तेज़ किया जा सके। इस नीति का मुख्य बड़े पैमाने पर कौशल विकास का कार्यक्रम चलाते हुए इसकी गुणवत्ता और निरंतरता को बनाए रखना है। इस नीति के बाद कौशल विकास और उद्यमिता का अलग मंत्रालय बनाया गया, जो देशभर में कौशल विकास से जुड़ी तमाम गतिविधियों के समन्वय, कौशल से लैस कार्यबल की मांग और आपूर्ति के बीच दूरी को खत्म करने, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण का ढांचा तैयार करने, नए-नए कौशल के प्रशिक्षण, मौजूदा रोजगार के लिए नए आइडिया पर काम करने आदि के लिए जिम्मेदार है।

कौशल विकास मिशन के तहत, सरकार 20 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में 40 से ज्यादा कौशल विकास योजनाएं/कार्यक्रम चला रही है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों का मकसद देशभर में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना है। इसके तहत 5.56 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं और स्कीम के ज़रिए रोजगार पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी), पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेयू), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (मनरेगा) और दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शामिल हैं। इनमें से कुछ योजनाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी व आवास मामलों के मंत्रालयों द्वारा संचालित किया जाता है। इन योजनाओं में केंद्र सरकार की एजेंसियों मसलन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राष्ट्रीय कौशल विकास फंड (एनएसडीएफ) और 38 क्षेत्रीय कौशल परिषद के अलावा 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, डीजीटी के तहत मौजूद तकरीबन 15,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और एनएसडीसी के साथ पंजीकृत 187 प्रशिक्षण इकाइयों से भी मदद मिल रही है। एनएसडीसी कौशल विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। यह उन उद्यमों, कंपनियों और संगठनों को फंड मुहैया कराता है जो कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराते हैं।

एनएसडीसी के साथ 267 प्रशिक्षण साझेदार जुड़े हैं। पिछले 4 साल में एनएसडीसी ने अपने साझेदारों के साथ मिलकर 25 से भी ज्यादा क्षेत्रों में 20 लाख से ज्यादा लोगों को कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय लगातार अपनी

पहुंच बढ़ा रहा है, ताकि वह कौशल विकास केंद्रों, विश्वविद्यालयों और अन्य उपलब्ध एजेंसियों के मौजूदा नेटवर्क के साथ मिलकर काम कर सकें। कुछ अहम योजनाओं के बारे में यहां बताया जा रहा है—

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन—आजीविका कौशल: आजीविका—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत, आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका मकसद युवाओं की पेशेवर आकांक्षाओं और दिलचस्पी को समझना और उनकी रोजाना आय में बढ़ोत्तरी करना है। यह मिशन गरीब और कमजोर युवाओं को अपना कौशल बेहतर करने का अवसर मुहैया कराता है। इस तरह, देश में कौशल से लैस कार्यबल की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण के दौरान भोजन और परिवहन की सुविधा के साथ-साथ रोजगार भी सुनिश्चित करने की बात है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीआई): इस योजना के तहत, भारत सरकार का मकसद 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण मुहैया कराना है ताकि उन्हें उद्योग संबंधी जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सके और वे विश्व बाजार में अपने लिए संभावना बना सकें। इसके अलावा, प्रशिक्षुओं को वित्तीय सहायता के साथ-साथ प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। इससे उन्हें भविष्य में रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है, ताकि छात्र-छात्राओं की रोजगार संबंधी क्षमता को बेहतर बनाया जा सके। यहां संबंधित उम्मीदवारों को पहले प्रशिक्षण केंद्र में दाखिला लेकर जरूरी कौशल सीखना होगा। साथ ही, मूल्यांकन और सर्टिफिकेशन का हिस्सा बनते हुए प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प): यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का हिस्सा है। इस योजना को विश्व बैंक से मदद मिल रही है। योजना के तहत, तीन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा (i) केंद्र, राज्य और जिला-स्तर पर संस्थानों को मजबूत करना (ii) कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और (iii) हाशिए पर मौजूद लोगों को कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल करना। यह मुख्य तौर पर कौशल प्रशिक्षण योजनाओं को सहयोग करने वाला कार्यक्रम है जिसमें अन्य चीजों के साथ कौशल विकास में गुणवत्ता को बेहतर बनाने, संस्थानों को मजबूत करने और इस अभियान में कमजोर तबके को शामिल करने पर जोर है।

इस योजना के तहत जिला-स्तर पर ऐसे पेशेवरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप दी जाएगी जिन्हें शासन प्रणाली और सार्वजनिक नीति के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी

जानकारी हो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप अकादमिक और कार्य-आधारित प्रशिक्षण का मिला-जुला रूप है। इसके तहत स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कौशल विकसित करने पर जोर है। इससे स्थानीयता को बढ़ावा मिलता है, उद्योग के हिसाब से कौशल विकसित किया जाता है, जिससे 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने में मदद मिलेगी। यह योजना 21-30 आयु वर्ग के उन पुरुषों और महिलाओं के लिए एक मौका है जिनके पास पहले से ऐसी कोई अकादमिक या पेशेवर विशेषज्ञता है जिससे कौशल विकास कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता मिल सके।

कौशल विकास के लिए स्टार्टअप में नवाचार

उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने में स्टार्टअप की भूमिका अहम है। इससे अलग-अलग तरह का कौशल और रोजगार पैदा करने में मदद मिलती है। कुछ स्टार्टअप नवाचार के ज़रिए न सिर्फ स्थापित कंपनियों के दबदबे के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं, बल्कि नई-नई समस्याओं के लिए आसान और नवाचारी समाधान भी मुहैया कराते हैं। स्टार्टअप फर्मों के पास नए आइडिया की भरमार है और वे व्यावहारिक तौर-तरीके से समस्याओं का समाधान पेश करते हुए बेहतर सेवाएं प्रदान करते हैं। नवाचार से लैस ये स्टार्टअप किसानों के लिए हितैषी साबित हो रहे हैं और भारतीय कृषि जगत की कई समस्याओं का समाधान करने में उपयोगी हैं।

उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है कि फसलों के उत्पादन से जुड़ी तकनीक को नवाचार से जोड़ा जाए। बिग डेटा एनालिटिक्स, आपूर्ति शृंखला/बाजार से जुड़ा मॉडल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी तकनीक के ज़रिए कृषि स्टार्टअप उभर रहे हैं, जो इस्तेमाल करने के लिए तैयार (रिडी टू यूज) तकनीक, मोबाइल ऐप्लिकेशन, फार्म ऑटोमेशन, मौसम की भविष्यवाणी आदि में मददगार हो सकती हैं। कृषि से जुड़े स्टार्टअप कृषि संबंधी गतिविधियों के अलग-अलग चरणों में अहम समाधान पेश करते हैं। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं। इसके अलावा, कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कुछ अहम कदम उठाए गए हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार को तेज किया जा सके।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र के जीर्णोद्धार के लिए लाभकारी गतिविधियां (आरकेवीवाई—रफ्तार): कृषि मंत्रालय ने इस योजना को 2017-18 में शुरू किया था। इसका मकसद नवाचार और कृषि उद्यमिता के ज़रिए कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। इसके तहत कृषि कारोबार से जुड़े इनक्यूबेशन केंद्रों को वित्तीय मदद की सुविधा भी देने की बात है।

आरकेवीवाई—रफ्तार योजना का मकसद कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के मकसद से नवाचार और तकनीक

*Remunerative Approaches for Agriculture and Allied Sector Rejuvenation



का ज़्यादा-से-ज़्यादा इस्तेमाल करना है। यह मुख्य तौर पर इनक्यूबेशन से जुड़े लोगों, इनक्यूबेशन केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों को मदद मुहैया कराती है, ताकि कृषि उद्यमिता और कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रक्रिया के तहत देश में पहले से उपलब्ध इनक्यूबेशन सुविधाओं और विशेषज्ञता का सामूहिक और व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इन क्षमताओं का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके।

अगर राष्ट्रीय-स्तर पर बात करें, तो राष्ट्रीय कृषि एक्सटेंशन प्रबंधन संस्थान (मैनेज)* हर चरण में कृषि स्टार्टअप की मदद के लिए उपलब्ध है। यह संस्थान उन सभी कृषि स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को मदद उपलब्ध कराता है, जो कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। 'मैनेज' नवाचार और कृषि उद्यमिता केंद्र, कृषि कारोबार इनक्यूबेशन का बेहतरीन केंद्र होने के साथ-साथ आरकेवीवाई रफ्तार कृषि कारोबार इनक्यूबेटर के अहम साझेदार (नॉलेज पार्टनर) के तौर पर काम करता है।

डिजीसक्षम : इस डिजिटल कौशल कार्यक्रम का मकसद युवाओं को ज़रूरी डिजिटल कौशल मुहैया कराकर उनकी रोज़गार संबंधी क्षमता बढ़ाना है। इसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया गया है और यह ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों के युवाओं की मदद के लिए केंद्र सरकार के मौजूदा कार्यक्रम का विस्तार है। डिजीसक्षम पहले के तहत डिजिटल संबंधी कौशल और एडवांस कंप्यूटिंग का मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तकरीबन 3 लाख से भी ज़्यादा युवाओं को इस तरह का प्रशिक्षण मिलेगा।

*MANAGE-National Institute of Agricultural Extension Management

रोज़गार ढूँढने वाले युवा राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) के ज़रिए प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। यहां पर डिजिटल कौशल के तहत मुख्य रूप से तीन तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा— खुद से सीखना, वीआईएलटी प्रशिक्षण (वर्चुअल प्रशिक्षक की अगुवाई में) और आईएलटी प्रशिक्षण (प्रशिक्षक की अगुवाई में)।

आईएलटी प्रशिक्षण देशभर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मॉडल कैरियर केंद्रों और राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल के ज़रिए ऐसे 10 लाख बेरोज़गार जावा स्क्रिप्ट, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, एडवांस एक्सेल, पॉवर वीआई, एचटीएमएल, प्रोग्रामिंग भाषाओं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बुनियादी जानकारी, कोडिंग की शुरुआती जानकारी आदि का प्रशिक्षण हासिल कर सकेंगे जो राष्ट्रीय कैरियर सर्विस पर पंजीकृत हैं। डिजीसक्षम को आगा खान ग्रामीण सहयोग कार्यक्रम के ज़रिए ज़मीनी-स्तर पर लागू किया जाएगा।

ग्रामीण उद्यमिता से स्टार्टअप के विकास के लिए नए और किफायती मॉडल का रास्ता निकल सकता है। ग्रामीण इलाकों में नवाचार के लिए फंड काफी सीमित होते हैं, लिहाज़ा यह मुख्य तौर पर नवाचार में लगे उन लोगों पर निर्भर करता है जो स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से समाधान पेश करते हैं। इसी आधार पर बड़ी सफलता का मार्ग भी प्रशस्त होता है। उदाहरण के लिए, कोयम्बटूर के अरुणाचलम मुरुगनाथम (पैडनाम के नाम से मशहूर) ने सस्ती कीमत पर पैड बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया जो पूरे देश में प्रचलन में है। महिलाओं, खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं की मुश्किल आसान करने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर जाने जाते

हैं। उन्हें सामाजिक उद्यमी के तौर पर काफी सम्मान हासिल है।

अरुणाचल ने स्थानीय-स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार पैदा किया है और उनकी इस पहल का व्यापक सामाजिक असर भी हुआ है। उनकी सफलता की कहानी देश के दूरदराज के इलाके में चल रही ऐसी गतिविधियों का शानदार उदाहरण है जिनसे अहम बदलाव हो सकता है। भारत में ऐसी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उदाहरण के लिए झारखंड में राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (नेशनल इनोवेशन फंड) ने कई व्यावहारिक आविष्कारों के बारे में जानकारी मुहैया कराई है, जैसे कि पोर्टेबल वेल्लिंग मशीन, टॉवर सिंचाई प्रणाली आदि। इससे इन चीजों के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद मिली है और ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा देने का रास्ता भी साफ हुआ है।

यहां यह समझना होगा कि इससे न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कौशल और विशेषज्ञताओं को मुख्याधारा में जोड़ा जा सकेगा, बल्कि आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इनक्यूबेशन कार्यक्रम न सिर्फ कारोबार शुरू करने में सहायक हैं, बल्कि इनके ज़रिए क्षेत्रीय नेटवर्क से जुड़े संसाधनों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में असरदार भूमिका सुनिश्चित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक के हुबली जिले में मौजूद शशि शेखर कृष का 'नैनोपिक्स' एक करोड़ रुपये से शुरू किया गया था। पूंजी का इंतज़ाम चंदे और कर्ज के ज़रिए किया गया था। कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग उत्पाद बनाने वाली इस स्टार्टअप का राजस्व 2014 में 2.2 करोड़ रुपये था।

ग्रामीण भारत में स्थानीय कारीगरों की शिल्पकारिता और रचनात्मकता के ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार के साथ-साथ इन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता की भी ज़रूरत है। इस मिशन से जुड़े इनक्यूबेटर इस मामले में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अतः, सरकार को इस तरह के उद्यमों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 'शी-हाट' नाम से सड़क के किनारे सुविधाओं की शुरुआत की गई है, जिसके तहत एक कॉम्प्लेक्स में रेस्टोरेंट, गेस्ट रूम और 'कौशल विकास केंद्र' मौजूद हैं। इसे 25 महिलाओं वाला स्वयंसहायता समूह चला रहा है। यहां पर उद्यम की शुरुआत से पहले महिला स्वयंसहायता समूह को 9 महीने तक प्रशिक्षण मुहैया कराया गया।

महिलाएं यहां हस्तकला से संबंधित और अन्य तरह के उत्पाद बेचती हैं। ये सभी उत्पाद सिरमौर जिले के पच्छिम प्रखंड की वागपशांग ग्राम पंचायत की महिलाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। 'शी-हाट' राज्य की संस्कृति, पाक कला और परंपरा की झलक भी पेश करता है। तेलंगाना सरकार ने 'तेलंगाना राज्य नवाचार सेल' स्थापित किया है, जिसका मकसद गांवों और दूरदराज के इलाकों में नवाचार को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार के सहयोग से चलने वाले स्टार्टअप इनक्यूबेटर (महिलाओं के लिए) 'वी-हब' ने 3,000 से भी ज्यादा महिला उद्यमियों को अपने साथ जोड़ा है और इससे शहरों और गांवों के बीच की खाई को कम करने में मदद मिली है।

अग्नि मिशन के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े नवाचार के लिए डिजिटल तकनीक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। यहां जिन सात तकनीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है, वे ग्रामीण इलाकों की चुनौतियों से निपटने में भारतीय नवाचार की क्षमता की पुष्टि करती हैं। 'धर्मशक्ति' तकनीक का इस्तेमाल कर मिट्टी में मौजूद तत्वों का पता लगाया जा सकता है, जिससे किसानों को खाद का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। 'सॉयल साथी' की मदद से मिट्टी का और बेहतर तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है। यह तकनीक रासायनिक तरीके से मिट्टी का विश्लेषण करती है। इसके ज़रिए 22 मानकों के आधार पर मिट्टी की जांच की जा सकती है। साथ ही, फसल और जलवायु के हिसाब से खाद की ज़रूरतों के बारे में सलाह दी जा सकती है। 'टैन 90' पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज इकाई है, जिसकी मदद से कटाई के बाद फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके अलावा, 'सप्तकृषि' कम लागत वाला तकनीकी समाधान है, जो जल्द खराब होने वाले बागवानी संबंधी उत्पादों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने में मददगार है। 'कृशक्ति' फसलों पर संतुलित तरीके से छिड़काव में सहायक है और इस तरह कीटनाशकों के अंधाधुंध छिड़काव से बचा जा सकता है। इसी तरह, 'थानोस' ड्रोन आधारित स्प्रे प्लेटफॉर्म है, जो काफी कम समय में एक एकड़ जमीन में छिड़काव कर सकता है। इसी तरह, 'अवतार स्मॉल विंड टर्बाइन' पवन टर्बाइन है और इसे शहरों और गांवों में अक्षय ऊर्जा के साधन के तौर पर तैनात किया जा सकता है। अग्नि मिशन ग्रामीण भारत में नई तकनीकों को पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि अलग-अलग तरह की चुनौतियों से निपटने में इनका इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह की तकनीक से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का कायाकल्प हो सकता है और लोगों को कौशल भी मुहैया कराया जा सकता है।

कृषि कारोबार के क्षेत्र में कई अन्य स्टार्टअप और उद्यमियों ने भी फसल उत्पादन से जुड़ी तकनीक के आधुनिकीकरण और कुछ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

अमूल, लिज्जत पापड़, फ़ैब इंडिया, एमडीएच मसाले, प्रताप स्नैक्स, पतंजलि, हल्दीराम, बीकाजी, डाबर हिमालया, विको, स्वरा वाऊ, तिज़ोरी, गो-देसी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले अन्य भारतीय ब्रांडों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में अहम योगदान है। फंड की आसान सुविधा, स्थानीय प्रतिभा पर ज़ोर और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने की वजह से गांवों और छोटे शहरों में उद्यमों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इस तरह, ग्रामीण इलाकों में कौशल और रोजगार की बड़ी मांग पैदा हो सकती है। (लेखक डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश में प्रोफेसर हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : hrg-mpp@yahoo.com

डिजिटलीकरण का आजीविका सृजन पर प्रभाव

—करिश्मा शर्मा

मौजूदा समय में भारत डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के कुछ खास तबकों तक सीमित रहने के बजाय उसका समावेशी उपयोग इसकी विशेषता है। इसने आम नागरिकों को रोज़गार खोजने के बजाय इसे पैदा करने में समर्थ बनाया है।

देश में सही मायनों में समग्र डिजिटलीकरण की शुरुआत डिजिटल इंडिया अभियान के साथ ही हुई। इस युगांतरकारी अभियान ने 2015 के बाद धूम मचा दी। इससे पैदा डिजिटल सशक्तीकरण से भारत के सेवा उद्योग में सुधार आया, मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र को मज़बूत बनाने की शुरुआत हुई और देश की गौरवपूर्ण कृषि को पुनर्जीवन मिला। मौजूदा समय में भारत डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के कुछ खास तबकों तक सीमित रहने के बजाय उसका समावेशी इस्तेमाल इसकी विशेषता है। इसने आम नागरिकों को रोज़गार खोजने के बजाय इसे पैदा करने में समर्थ बनाया है।

ऐतिहासिक तौर पर औद्योगिक क्रांतियों और नई प्रौद्योगिकी के उदय ने उत्पादकता में वृद्धि और नए बाज़ारों की स्थापना के ज़रिए समूचे विश्व के जीवन-स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। बड़े पैमाने पर उत्पादन में सक्षम मशीनरी ने अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के निर्माण की रफ़्तार को तेज़ किया है। इससे ज़रूरतों के बजाय इच्छाओं पर आधारित उपभोक्ता आधार तैयार हुआ है।

कंप्यूटर और इंटरनेट ने विश्व अर्थव्यवस्था में एक पूरी तरह से नए क्षेत्र को जन्म दिया है। इनसे नियोजकों और कर्मचारियों, दोनों के लिए अनेक संभावनाओं के द्वार खुले हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति माना जाने वाला डिजिटलीकरण भी इस लिहाज से अलग नहीं है। क्रांतियां समाज की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती हैं। औद्योगिक क्रांतियों ने नए उत्पादों और सेवाओं को पैदा करने से ज़्यादा जीवनशैली में सुधार लाकर विश्व की बढ़ती और महत्वाकांक्षी आबादी की सेवा की है।

आम धारणा के अनुसार प्रौद्योगिकी मानवीय रोज़गारों को निगल जाती है। लेकिन इतिहास में झाँकें तो प्रौद्योगिकी में सुधार से बढ़ती आबादी के लिए नए रोज़गार और विकास के नूतन अवसर पैदा हुए हैं। बेहतर जीवनशैली, नवोन्मेष, चिकित्सकीय सुधार और यहां तक कि वैश्वीकरण भी रोज़गार की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण से विकास नहीं होता। सकारात्मक बदलावों के लिए इन वस्तुओं और सेवाओं का सर्वसुलभ और हासिल करने योग्य होना भी महत्वपूर्ण है।



इस सदी के पहले दशक के आखिरी वर्षों से ही भारत में डिजिटल लहर मजबूत रही है। लेकिन देश में राही मायनों में समग्र डिजिटलीकरण की शुरुआत डिजिटल इंडिया अभियान के साथ ही हुई। इस युगांतरकारी अभियान ने 2015 के बाद धूम मचा दी। इससे पैदा डिजिटल सशक्तीकरण से भारत के सेवा उद्योग में सुधार आया, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने की शुरुआत हुई और देश की गौरवपूर्ण कृषि को पुनर्जीवन मिला। मौजूदा समय में भारत डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के कुछ खास तत्वों तक सीमित रहने के बजाय उसका समावेशी इस्तेमाल इसकी विशेषता है। इसने आम नागरिकों को रोजगार खोजने के बजाय इसे पैदा करने में समर्थ बनाया है।

डिजिटल इंडिया का सबसे ज्यादा लाभ स्टार्टअप इंडिया अभियान को मिला है। उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक परिवर्तन या क्रांति रोजगार सृजन के वृहद् उद्देश्य से होती है। रोजगार सृजन की मदद से विकास के अन्य लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। भारत ने 'स्टार्टअप इंडिया' के जरिए रोजगार सृजन के उस लक्ष्य को बदल दिया जिसका पीछा हर सरकार करती है। इसने नागरिकों को रोजगार देने के साथ ही नियोजक भी बना दिया। परंपरागत तौर पर अर्थव्यवस्था में मांग से रोजगार पैदा होता है। लेकिन जन सामान्य के लिए उद्यमिता ने इस सोच को चुनौती दी है। नवोन्मेष से पैदा उद्यमिता से मौजूदा मांग बढ़ने के साथ ही नई मांग पैदा हुई है। बढ़ी हुई मांग की तुलना में नई मांग ज्यादा रोजगार पैदा करती है। यह ऐसे समाज का निर्माण करती है जो रोजगार के लिए चोटी की कुछ हस्तियों पर निर्भर नहीं हो।

देश में स्टार्टअप संस्थाओं ने जो उपलब्धि हासिल की है, वह व्यापक डिजिटलीकरण से मिले प्रौद्योगिकीय समर्थन के बिना संभव नहीं थी। ऑनलाइन भुगतान एक पूरी तरह से नया उद्योग बन गया है जिसमें लगातार नई संस्थाएं प्रवेश कर रही हैं। इसने सिर्फ महानगरों के बजाय देश के सभी भागों और क्षेत्रों के उद्यमियों को आगे बढ़ने में सक्षम बनाया है। किसी दूरदराज के इलाके का उत्पादक भी देश के अन्य हिस्सों के ग्राहकों को अपना उत्पाद बेच सकता है। उसे अपने उत्पाद का मूल्य डिजिटल भुगतान इंटरफेस के जरिए तुरंत मिल जाता है। डिजिटलीकरण और खासतौर से डिजिटल भुगतान ने बाजारों को उत्पादकों के नज़दीक ला दिया है। अब किसी उत्पादक को अपना उत्पाद बेचने के लिए बाजार में जाने की दरकार नहीं है। इससे रोजगार में वृद्धि के साथ ही नियोजन के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं।

विश्व अर्थव्यवस्था के डिजिटल भुगतान क्षेत्र में भारत का सबसे उल्लेखनीय योगदान यूपीआई भी व्यापक डिजिटलीकरण की देन है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को बनाया तो

विशेषज्ञों ने, लेकिन इसे सफलता जन साधारण के बीच इसके व्यापक इस्तेमाल से मिली है। वित्तवर्ष 2018-19 में देश में कुल 31 अरब डिजिटल लेनदेन हुए जिनमें यूपीआई का हिस्सा 17 प्रतिशत था। इसके अगले वित्तवर्ष में डिजिटल लेनदेन में यूपीआई का हिस्सा 27 प्रतिशत से ज्यादा हो गया। कुल 46 अरब डिजिटल लेनदेन में 12.5 अरब यूपीआई के जरिए हुए। वित्तवर्ष 2020-21 में कुल 55 अरब डिजिटल लेनदेन में यूपीआई का हिस्सा 40 प्रतिशत हो चुका था।¹ वर्ष 2020 में कोविड 19 की वैश्विक महामारी की वजह से वस्तुओं की ज्यादातर खरीद-फरोख्त डिजिटल लेनदेन के जरिए हुई। पिछले दशक के अंत में डिजिटलीकरण को व्यापक सफलता मिली। डिजिटलीकरण की बदौलत ही वैश्विक महामारी के दौरान भी व्यवसाय जारी रहा और रोजगार को हुए नुकसान की भरपाई हो सकी।

कोविड 19 के प्रकोप के दौरान लगभग सभी व्यवसायों ने घर से कामकाज के मॉडल को अपनाया। कोरोना वायरस ने उस अर्थव्यवस्था को टप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिस पर विश्व की आवादी का छटा हिस्सा प्रत्यक्ष और इससे भी ज्यादा परोक्ष रूप से निर्भर करता है। लेकिन डिजिटलीकरण ने वैश्विक महामारी के दौरान भी रोजगार पैदा किए। इसने करोड़ों लोगों को घर से कामकाज में सक्षम बना कर रोजगार में उनकी सहायता की। देश भर में ब्रॉडबैंड की व्यापक उपलब्धता से वैश्विक महामारी के दौरान पैदा नई जरूरतों को पूरा करने के लिए सैंकड़ों नए व्यवसायों का जन्म संभव हुआ। इस तरह डिजिटलीकरण ने भारतीय कामगारों को मौकों का तुरंत उपयोग कर नवोन्मेष के जरिए नए अवसर पैदा करने में मदद की।

डिजिटल परिवर्तन का प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर पड़ा है। लेकिन भारतीय डिजिटल परिवर्तन में कृषि प्रौद्योगिकी का विशेष जिक्र जरूरी है। कृषि क्षेत्र से देश में गरीबी उन्मूलन हो सकता है। यह गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकने और इस रुझान को पलटने में सक्षम है जिससे समूचे देश का एक समान विकास होगा। भारत में खेती लंबे अरसे से परंपरागत ढंग से होती रही है। भारतीय कृषि उस उत्पादकता-स्तर को अब तक हासिल नहीं कर सकी जिसे प्राप्त करने में वह सक्षम है। हालांकि 2020-21 में भारत से कृषि निर्यात में इससे पहले के वित्तवर्ष की तुलना में 17.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।² भारत अन्य महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के अलावा दूध, पटसन और गन्ना का प्रमुख उत्पादक है। मसालों, मछली, पोल्ट्री, मवेशियों और बागवानी फसलों के वैश्विक उत्पादन में भी उसका दबदबा है।³ हमारी कृषि की क्षमता विश्व के ज्यादातर देशों से अधिक है। अब वक्त आ गया है जब डिजिटल क्रांति को हमारी अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र तक भी पहुंचना चाहिए।

प्रछन्न बेरोजगारी और किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिलने से कृषि क्षेत्र की क्षमता पर बुरा असर पड़ा है। ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) भारत में खेती के उत्पादों के लिए ऑनलाइन

1. <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specifieddocs/documents/2021/oct/doc2021101211.pdf>
2. <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1725891>
3. <http://www.fao.org/india/fao-in-india/india-at-a-glance/en/>



कारोबार का मंच है। यह किसानों, व्यापारियों और खरीददारों को कृषि उत्पादों की ऑनलाइन खरीद-बिक्री का अवसर प्रदान करता है। यह किसानों को बेहतर मूल्य हासिल करने और अपने उत्पादों की आसानी से बिक्री में मदद करता है। बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण और ई-नाम से कृषि से जुड़ी आबादी को बेहतर लाभ मिल रहे हैं और खेती में रोजगार में बढ़ोत्तरी हुई है।

कृषि प्रौद्योगिकी की वजह से निजी उद्यम खेती के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कई स्टार्टअप संस्थाओं की स्थापना की गई है। इंटेलेलेक्स की स्थापना 2016 में की गई। यह कंप्यूटर विज्ञान और डीप लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर फलों और सब्जियों की गुणवत्ता बढ़ाने में किसानों, खुदरा व्यापारियों और निर्यातकों की मदद के लिए इंटेले ट्रेक, इंटेले सॉर्ट, इंटेले पैक और इंटेले डीप जैसे डिजिटल उत्पाद मुहैया कराता है। इसी तरह 2019 में स्थापित बीजक अपने ऐप के जरिए व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को व्यवसाय बढ़ाने के लिए नई आपूर्तियों का पता लगाने, हिसाब-किताब रखने, भुगतान करने और कामकाजी पूंजी जुटाने में मदद करता है। भारत में मौजूदा समय में कुल 1288 कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हैं। वे कृषि विकास के साथ ही रोजगार पैदा करने में भी योगदान कर रहे हैं।

किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटलीकरण का प्रसार सबसे बड़ी चुनौती है। कामगारों को प्रौद्योगिकी के प्रभुत्व वाले बाजार के अनुरूप तैयार करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार ने देश में एक मजबूत डिजिटल नेटवर्क तैयार करने के बाद नई शिक्षा नीति का सहारा लिया है। इसके तहत नए कामगारों को जरूरी कौशल मुहैया कराया जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार पाने में सहायता हो। डिजिटलीकरण कामगारों के लगातार कौशल उन्नयन की मांग करता है। स्किल इंडिया जैसी पहलकदमियां इस जरूरत को पूरा करने में मददगार होंगी।

डिजिटलीकरण का रोजगार पर दोतरफा प्रभाव पड़ा है। दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों से उद्यमिता आने के परिणामस्वरूप रोजगार में क्षेत्रीय असमानता की स्थिति में सुधार हुआ है। डिजिटलीकरण से मैन्युफैक्चरिंग क्रांति के साथ ही निचले स्तर पर कृषि में बदलाव आया है। इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच असमानता घटी है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है। पिछले कम-से-कम दो दशकों से सबसे ज्यादा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) भी इसी क्षेत्र में आया है। डिजिटलीकरण से उन क्षेत्रों को भी जीडीपी में उनका समुचित हिस्सा मिलेगा जिनकी रोजगार पैदा करने में ज्यादा हिस्सेदारी है।

डिजिटल इंडिया एक बड़ा अभियान है। इसने खुद भी रोजगार पैदा किए हैं। इसके तहत विभिन्न योजनाओं में बड़ी संख्या में कार्मिक नियुक्त हैं। इसने सार्वजनिक सेवा केंद्रों से लेकर आधार तकनीशियनों तक सहायक रोजगार पैदा कर डिजिटल परिवर्तन को भी प्रभावित किया है। डिजिटलीकरण का ताजा प्रभाव बड़ी संख्या में नौजवान उद्यमियों के रूप में देखने को मिल रहा है। ये नौजवान और किशोर मुख्य तौर पर सोशल मीडिया के जरिए छोटे व्यवसाय चला रहे हैं। इनमें से अनेक व्यवसाय वैश्विक महामारी के दौरान सामने आए हैं। वे उन नौजवान भारतीयों को पहली आमदनी मुहैया करा रहे हैं जो अभी औपचारिक तौर पर रोजगार बाजार में शामिल नहीं हुए। इनमें से कई छोटे व्यवसाय देश के आगामी कामगारों के लिए प्राथमिक आजीविका बनने की क्षमता रखते हैं। इससे रोजगार के मौजूदा विकल्पों पर दबाव घटेगा और अर्थव्यवस्था में नियोजन के नए क्षेत्र पैदा होंगे।

(लेखिका इवेस्ट इंडिया की रणनीतिक निवेश शोध इकाई में शोधकर्ता हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : karishma.sharma@investindia.org.in

कौशल विकास से होगा भारत आत्मनिर्भर

—विजन कुमार पाण्डेय

आत्मनिर्भरता स्वाभाविक और सकारात्मक होनी चाहिए। इसका मकसद आयातों पर रोक लगाए बिना स्वदेशी निर्माण क्षमता का विकास करना है। मौजूदा समय में हमारी स्वदेशी आपूर्ति बहुत कुशल नहीं है लेकिन भरोसेमंद जरूर है। इसके लिए विश्वसनीयता और कौशल दोनों के बीच सामंजस्य जरूरी है। कोविड-19 महामारी ने हमें यही सिखाया कि महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए दूसरे पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम अपने पर निर्भर हों और कुशल भी।

पूरा विश्व इस समय एक अनोखी उथल-पुथल का सामना कर रहा है। इसलिए कोई भी देश आत्मनिर्भर तभी हो सकता है जब सभी के लिए रोजगार और विकास के अवसर मौजूद हों जब उसका प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर हो। भारत 135 करोड़ लोगों का परिवार है। अगर हर परिवार का एक सदस्य भी राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे तो हमारी आबादी को एक सामूहिक ताकत के रूप में कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी के पास कौशल है तो वह अपनी आजीविका आसानी से चला सकता है। सरकार कौशल विकास की प्रक्रिया को और तेज़ करके नए अवसर प्रदान कर सकती है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है लेकिन यह तभी संभव है जब नागरिकों और सरकार के बीच तालमेल हो।

लोगों को सब्सिडी या अनुदान देकर आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता। सब्सिडी या अनुदान पर खर्च होने वाले पैसे को कौशल विकास में लगाया जा सकता है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करना होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर युवाओं को तकनीकी

प्रशिक्षण देना होगा। 'ट्रिकल डाउन' सिद्धांत के अनुसार अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी लोगों की आय उसी हिसाब से बढ़ेगी। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सिर्फ वैसी आर्थिक नीतियों के द्वारा हासिल किया जा सकता है जिसमें विकास के अलावा आर्थिक असमानता को भी कम किया जा सके। समानता और विकास एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए। इसे एक-दूसरे की कीमत पर हासिल करना ठीक नहीं है। इसके लिए हमें अपनी आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव करने होंगे तभी हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।

अगर किसी परिवार के एक सदस्य को संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलता है तो उससे पूरे परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी हो जाती है। साथ ही, उनके बच्चों का भी भविष्य उज्ज्वल होता है। ऐसी स्थिति में बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम श्रम शक्ति के एक बड़े हिस्से का उपयोग करने में सफल नहीं होते तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। दरअसल बाज़ार की ताकत को पहचानने बिना आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की जा सकती।



बाजार की ताकत तभी बढ़ेगी जब निजी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

देश में गरीबी उन्मूलन के लिए आजादी के बाद से ही प्रयास शुरू हो गए थे। तब से अब तक केंद्र और राज्य-स्तर पर कई योजनाएं व परियोजनाएं सामने आईं लेकिन उनमें से कितनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाईं, यह बहस का विषय रहा है।

आजीविका और स्वरोजगार में संबंध

आजीविका प्रायः ऐसे कार्यों को कहते हैं जिससे जीविकोपार्जन होता है। आजीविका में अर्जन नौकरी से भी हो सकता है और स्वरोजगार से भी। नौकरी में व्यक्ति दूसरों के लाभ के लिए कार्य करता है जिसमें आय सीमित होती है और जो पहले से ही नियोक्ता द्वारा तय की जाती है। जबकि स्वरोजगार में व्यक्ति अपने ही लाभ के लिए कार्य करता है और उसकी कमाई उसकी लगन व योग्यता पर निर्भर करती है। पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें उन सब लोगों को रोजगार मिल जाता है जो मज़दूरी पर काम करने को तैयार हैं। यह अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति है जिसमें बेरोजगारी नहीं पाई जाती। लरनर के अनुसार, "पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जिसमें वे सब लोग जो मज़दूरी की वर्तमान दरों पर काम करने के योग्य तथा इच्छुक हैं, बिना किसी कठिनाई के काम प्राप्त कर लेते हैं।"

आज शहरीकरण की व्यापक प्रक्रिया ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति उदासीनता पैदा कर दी है। शहर न केवल उत्पादन, वितरण और प्रबंधन के केंद्र बन गए हैं बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दिशा भी तय कर रहे हैं। संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र विगत कई दशक से महज कच्चे माल के स्रोत बन कर रह गए हैं। पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था जोकि कृषि, हस्तशिल्प, लघु-कुटीर उद्योगों पर निर्भर थी, वे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण तथा वैश्वीकरण के आगमन के साथ समाप्त-सी हो गई हैं।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार 'कृषि' नवीन तकनीकों के इस्तेमाल के बावजूद संकट का सामना कर रही है। भारत की कुल श्रमशक्ति का करीब 60 प्रतिशत भाग कृषि व सहयोगी कार्यों से आजीविका प्राप्त करता है। इसके बावजूद देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 16 प्रतिशत है। निर्यात के मामले में भी इसका हिस्सा महज 10 प्रतिशत ही है। ग्रामीण रोजगार के महत्वपूर्ण व आकर्षक क्षेत्र होने के बावजूद कृषि क्षेत्र से लोगों का पलायन जारी है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट में पिछले दिनों बताया गया कि करीब 40 प्रतिशत किसान अन्य रोजगार करना चाहते हैं। वे खेती करना नहीं चाहते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर भारी संख्या में पलायन भी ग्रामीण रोजगार की निराशाजनक

तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। परंतु खुशी की बात है कि सरकार की मनरेगा सहित अन्य योजनाओं ने ग्रामीण रोजगार के अवसरों को व्यापक-स्तर पर बढ़ाया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

भारत में अधिकांश युवा अनौपचारिक नौकरियों या छोटे असंगठित उद्यमों में कार्यरत हैं। औपचारिक वेतनभोगी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय कौशल-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात् दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) आरंभ की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष की आयु के वंचित ग्रामीण युवाओं को अल्पकालिक आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विपरीत, डीडीयू-जीकेवाई यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक प्रशिक्षु को नौकरी उपलब्ध कराई जाए। इसके बावजूद, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2014 के बाद से लगभग दस लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, लेकिन उनमें से केवल 55 प्रतिशत को ही नौकरियां दी गईं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

भारत एक युवा देश है एवं युवा शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग तभी संभव है जब युवाओं को शिक्षा देने के साथ-साथ उनमें कौशल विकास, उद्यमशीलता एवं खोज की प्रवृत्ति जाग्रत हो। इसी उद्देश्य से 15 जुलाई, 2015 को भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम युवा कौशल दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री श्री

नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया।

केंद्र एवं राज्य सरकार का लक्ष्य बहुत तेज़ गति से बढ़ी संख्या में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर भारत को विश्व में मानव संसाधन की राजधानी बनाना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य युवाओं को प्रशिक्षित कर उनका कौशल बढ़ाना है। इसके लिए कौशल ऋण योजना के तहत देशभर के 34 लाख कुशल बेरोजगारों को अगले 5 वर्षों में इनकी आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह कई ऐसे कार्य सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं जिससे युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अभिनव कौशल का उपयोग

- आत्मनिर्भर भारत के लिए नागरिकों को कौशल सीखना होगा।
- इसके लिए हमें छोटे और मझोले उद्योगों को तकनीक से लैस करना होगा।
- आत्मनिर्भर होने के लिए भारतीय कंपनियों को ऐसे संसाधनों

इस समय वैश्विक निर्यात में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पेट्रोलियम, मशीनरी, प्लास्टिक के सामान और वाहन का है। जहां तक संपूर्ण वैश्विक निर्यात का प्रश्न है, उसमें भारत का 2019 में हिस्सा 1.7 प्रतिशत था। इन पांचों उत्पादों का वैश्विक स्तर पर निर्यात एक प्रतिशत से कुछ ही ज्यादा था, जो चिंता का विषय है। इसमें एक मसला उच्च प्रौद्योगिकी निर्यात से भी संबंधित है जिसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है।

और उत्पादों पर ध्यान देना होगा जिससे हमारी बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी हो सकें।

- हमें पृथ्वी के संसाधनों का उचित प्रयोग करना होगा। इसका सार्थक इस्तेमाल करते हुए तकनीकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना होगा।
- ऐतिहासिक तौर पर भारत लंबे समय तक एक आर्थिक ताकत रहा है। 1750 ईस्वी तक दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी एक तिहाई से भी ज्यादा थी। यह महज संयोग नहीं था। इसमें अभिनव कौशल तथा आजीविका का महत्वपूर्ण सामंजस्य रहा है जिसको और बढ़ाने की जरूरत है।
- हमारी प्राचीन परंपराओं में नैतिक रूप से धन कमाने को एक बेहतर मानवीय लक्ष्य माना जाता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थ उपार्जन का ग्रंथ ही है। अगर किसी को बिना नुकसान पहुंचाए धन हासिल किया जाता है तो इससे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और लोगों की आजीविका भी चलती है।
- अगर आर्थिक विकास पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए बिना हो सके तो विकास का रास्ता बहुत तेज़ी से खुलता है। अब इस विकास को वैश्विक मॉडल बनाने की जरूरत है। इसके लिए घरेलू स्तर पर पहल करने की जरूरत है।

आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तथा कौशल विकास में संबंध

अगर आप अपने काम में कुशल हैं तो आप आत्मनिर्भर हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब काम आप स्वयं करें। आप अन्य लोगों को अपने कौशल से 'आत्मनिर्भर' बना सकते हैं। यही बात देश पर भी लागू होती है। अगर हमारे नागरिक आत्मनिर्भर होंगे तो देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरे से अलग-थलग हो जाएं। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी तरह दूसरे को भी आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। इसी तरह अगर कोई देश आत्मनिर्भर हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अन्य देशों से अलग-थलग पड़ जाए। महाशक्ति बनने के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है लेकिन यह अन्य देशों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। 'आत्मनिर्भरता' का अर्थ है अहम क्षेत्रों की पहचान कर उसमें निवेश करना जिससे कि विपरीत परिस्थितियों में किसी पर निर्भर ना रहे। आत्मनिर्भरता स्वाभाविक और सकारात्मक होनी चाहिए। इसका मकसद आयातों पर रोक लगाए बिना स्वदेशी निर्माण क्षमता का विकास करना है। मौजूदा समय में हमारी स्वदेशी आपूर्ति बहुत कुशल नहीं है। लेकिन भरोसेमंद जरूर है। इसके लिए विश्वसनीयता और कौशल दोनों के बीच सामंजस्य जरूरी है। कोविड-19 महामारी ने हमें यही सिखाया कि महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए दूसरे पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम अपने पर निर्भर हों और कुशल भी।

हम विश्व का दवाखाना बनने का सपना देखते हैं लेकिन उसके लिए आत्मनिर्भरता के साथ-साथ अपने संसाधनों का भी संवर्धन

करना होगा। निर्यात संवर्धन प्रभावशाली तभी होगा जब प्रतिस्पर्धा हो। निर्माण प्रतिस्पर्धी तब होता है जब विश्व के सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं से हमारी होड़ हो। हम उनके सामने टिक सकें। जब हमारे उत्पादन बेहतर होंगे तो उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। कीमत अच्छी मिलने से ज़ाहिर तौर पर कर्मचारियों की आजीविका भी बढ़ेगी। आयात पर निर्भरता घटाना और निर्यात को बढ़ाना आत्मनिर्भरता का मूलमंत्र होता है। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी क्षमता और कौशल विकास जरूरी है। इसके लिए आयात के रुझान पर लगातार नज़र रखनी होगी। इसमें बढ़ोत्तरी दिखाई देने पर देश में उत्पादन की राह को सरल बनाना होगा। आयात पर निर्भरता तभी घटाई जा सकती है जब स्वदेशी उत्पादन के लिए लाभकारी बड़ा बाज़ार हो। भारत एक बड़ा बाज़ार बन सकता है बस उसके लिए कुशल कौशल अभिनव की आवश्यकता है।

उत्पादों के लिए भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यह परंपरागत तरीके से नहीं हो रहा है। इसका रुझान भारतीय अर्थव्यवस्था के विरोधाभास की ओर इशारा कर रहा है। इसका कारण यह है कि आमतौर पर हमारा ध्यान कपड़ा, गलीचा, हस्तलिपि, जवाहरात, आभूषण और कृषि उत्पादों के निर्यात पर केंद्रित रहता है। दरअसल यह रोज़गार पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण जरूर हैं लेकिन वैश्विक-स्तर पर इसकी मांग कम हो रही है।

इस समय वैश्विक निर्यात में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पेट्रोलियम, मशीनरी, प्लास्टिक के सामान और वाहन का है। जहां तक संपूर्ण वैश्विक निर्यात का प्रश्न है, उसमें भारत का 2019 में हिस्सा 1.7 प्रतिशत था। इन पांचों उत्पादों का वैश्विक स्तर पर निर्यात एक प्रतिशत से कुछ ही ज्यादा था, जो चिंता का विषय है। इसमें एक मसला उच्च प्रौद्योगिकी निर्यात से भी संबंधित है जिसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है।

भारत के कुल निर्यात में मात्र 6.7 प्रतिशत उच्च प्रौद्योगिकी का हिस्सा है जबकि हमारे पड़ोसी चीन का 29 प्रतिशत है। जहां तक उच्च प्रौद्योगिकी सामान के निर्यात मूल्य का प्रश्न है, उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। भारत की उच्च प्रौद्योगिकी सामग्री के निर्यात का मूल्य 20 अरब अमेरिकी डॉलर है जबकि चीन का 652 अरब अमेरिकी डॉलर है। हालांकि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान तथा उनके निर्माण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं। आशा है इससे बहुत सारे नौजवानों को रोज़गार मिल सकेगा।

कोविड-19 के बाद स्वदेशी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कौशल विकास के साथ-साथ आजीविका पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें सफलता तभी मिलेगी जब भारत आत्मनिर्भर होगा और यह तभी संभव है जब सरकार के साथ-साथ नागरिकों का भी भरपूर सहयोग मिले।

(लेखक प्राचार्य हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : vijankumarpandey@gmail.com

ग्रामीण मेले : रोज़गार एवं मनोरंजन के स्तंभ

—पवन कुमार शर्मा

तीव्र गति यातायात के साधनों एवं इंटरनेट ने कई मेलों की प्रारंभिकता को ही चुनौती दे दी है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि मेलों द्वारा प्रदत्त क्रय-विक्रय स्थल का कोई भी इंटरनेट आधारित आभासी प्लेटफार्म विकल्प नहीं बन सकता है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अंतर्गत अमृत महोत्सव मना रहे राष्ट्र की यह सच्ची पहल होगी कि सहस्रों वर्षों से प्रचलित ग्रामीण मेले जो लाखों-करोड़ों नर-नारियों को रोज़गार एवं खुशी प्रदान करते आए हैं, उन्हें न केवल बचाया जाए बल्कि उनमें आ रही विकृतियों से रक्षा कर उनकी उपादेयता समायोजित बनाई जाए।

भारत की तकनीकी प्रगति से सामाजिक परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन सामान्यतः सकारात्मक रहा है किन्तु कहीं-कहीं इसका प्रभाव नकारात्मक भी रहा है। बदलाव के इस दौर में, मशीनी युग के पहले से विद्यमान ग्राम्य संस्कृति के स्तंभ रहे मेलों पर यह विपरीत प्रभाव देखा जा सकता है। देश में विभिन्न कालखंडों में विद्यमान असमान राजनैतिक शासन व्यवस्था के बावजूद, मेले समान सांस्कृतिक-धार्मिक परम्पराओं व जीवन मूल्यों को आधार प्रदान करने वाले 'समन्वयक' की भूमिका निभाते रहे हैं।

प्राचीनकाल के कुंभ मेले, जोकि एक सभा मिलन हुआ करते थे, नवसृजित साहित्य, आर्थिक नए और उपयोगी तरीके एवं अन्य अनुसंधान जनता तक सम्प्रेषित करते थे। परंतु, कुंभ मेलों के अलावा भी सदियों से आदिवासी अंचलों एवं गांवों में मेले हमारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक संरचना के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। यह मेले मेल-मिलाप का केंद्र बनकर सांस्कृतिक व विविध क्षेत्रों में आदान-प्रदान करते थे। भारतीय संस्कृति में मेलों का विशेष महत्व रहा है। जिन मेलों में एक लाख या इससे अधिक जन जुटते थे उन्हें 'लक्खी' मेला कहा जाता था। इन लक्खी मेलों का व्यावसायिक तौर पर अधिक महत्व होता था। प्रत्येक मेला विशेष प्रयोजन से लगता था। मेलों में लोग एक-दूसरे के साथ समय गुज़ारते थे। किसी एक स्थान पर

बहुत से लोग किसी सामाजिक, धार्मिक एवं व्यावसायिक या अन्य कारणों से इकट्ठा होते थे। इस प्रक्रिया में उत्पादों, सेवाओं, बाज़ारों का नवीनीकरण और विस्तार होता था।

मेलों का आयोजन लोक/कुलदेवी-देवताओं, भगवान या साधु-महात्माओं की जन्मनिर्वाण तिथियों, अन्य त्यौहारों-उत्सवों से जुड़ा होता है। मेलों की समय-सारिणी भारतीय पंचांग द्वारा निर्धारित तिथियों पर आधारित होती है। इनका मौसम भी होता है। अधिकांशतः खरीफ की बुवाई के बाद सावन-भादो माह या रबी फसल कटाई के बाद चैत्र-बैसाख माह, जिन महीनों में किसानों के पास थोड़ा खाली समय होता है, उन्हीं दिनों मेलों का आयोजन होता है।

अधिकतर मेले स्थानीय होते हैं परंतु कुछ अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। राजस्थान से संबद्ध रामदेव, गोगाजी, तेजाजी, जीणमाताजी, खाटूश्यामजी, केला देवी इत्यादि जबकि बिहार में सोनपुर एवं महाराष्ट्र में पंढरपुर, उत्तर प्रदेश में बहराइच का मेला, बंगाल में दुर्गापूजा पर एक बड़े मेले का आयोजन कालीबाड़ी में होता है। पशुओं को खरीदने व बेचने के लिए पुष्कर एवं बालोतरा (राजस्थान) के मेलों में ऊंट, घोड़े, गाय-बैल इत्यादि प्रचुर संख्या में आते हैं। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर, गाज़ीपुर इत्यादि जगहों पर



पशु व्यापार मेलों का आयोजन होता है।

मेलों में सनी घर्नावलंबी लोग आते हैं जिनके आयोजन की अवधि एक दिवसीय से लेकर कई दिनों तक होती है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके अनुरूप भारत सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के केंद्र में गरीब, छोटे किसान, महिला, बच्चे, युवा, ग्रामीण मेले, छोटे व्यापारी, पोषणयुक्त चावल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल और आक्सीजन प्लांट इत्यादि सम्मिलित किए गए हैं।

मेलों में मन और ममेत्तर का द्वंद्व खत्म हो जाता है। जहां समानता और समृद्धि के साथ सबका प्रयास जुड़ता है और समाज के आखिरी व्यक्ति, गरीब, महिला और युवा, दलित-पिछड़े और सामान्य वर्ग के गरीब लोगों का समावेश होता है। पहले के समय, कई साधारण परिवार मेलों में विविध प्रकार के सामाजिक क्रियाकलाप करते थे जैसे- मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार हेतु सगाई-संबंध इत्यादि। जबकि कई जाति-आधारित संगठन भविष्य में अपनाई जाने वाली नीतियों के संकल्प जाति पंचायतों में करते थे जिसमें वृहद् एवं लघु सामाजिक परम्पराओं का सर्वव्यापीकरण एवं संकुचितीकरण प्रकट होता था।

आर्थिक संस्था के तौर पर विभिन्न मेले असंख्य कुशल लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील बनती है। जीवनयापन हेतु मेलों में दुकान लगाने वालों की संख्या अच्छी-खासी होती है। यह मेले वाले एक के बाद दूसरे मेले में, एक गांव से दूसरे गांव जाकर दुकान/स्टॉल लगाते हैं। यहां बिकने वाला सामान उचित

दर एवं गरीबों की क्रयशक्ति के अंतर्गत होता है। यहां नामी-गिरामी कम्पनियों के सुप्रसिद्ध उत्पाद नहीं होते बल्कि फिरकी, बाइस्कोप, सर्कस, झूले, लड्डू एवं खानपान हेतु लाजवाब मिठाईयां होती हैं। यहां बाल मनोविज्ञान पर आधारित मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी 'ईदगाह' वाले हामिद के चिमटे भी मिलते हैं। इसके अलावा, लुहार, बढई द्वारा निर्मित कृषि उपकरण, बीज, ऊंटों, बैलों एवं घोड़ों के सजावट का सामान यहां बिकता है। यहां आदिवासी, संधाली या ग्रामीण अंचल की महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन का सामान मिलता है। आदिवासी व ग्रामीण महिलाएं नियमित बाजारों में न जा पाने के कारण इन मेलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। कुछ ऐसे भी मेले होते हैं, जहां पहले से उपयोग किया गया सामान खरीदा और बेचा जाता है। अतः मेले पुराने समय के ग्राम्य जीवन के मॉल हैं, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इन मेलों में आने वाले अल्पपूजी वाले उद्यमी मेलों हेतु नियत तिथियों के अनुसार बिक्री हेतु सामान जुटाते हैं या बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत का 90.7 प्रतिशत श्रमशक्ति का हिस्सा असंगठित है। यह असंगठित क्षेत्र ही

स्वरोजगार में लगा हुआ है जो सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने व मेलार्थियों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में अर्थनीति के क्षेत्र में सहकारवाद को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं के स्वयंसेवी समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को मेलों व विकासशील बाजारों से जोड़ने की बात कही गई है। ग्रामीण मेलों में किसानों द्वारा बनाए गए सामानों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति व निपटान होने से उनके हाथ में नकदी आएगी जिससे सहकार से समृद्धि सुनिश्चित होगी।

जब भी ग्रामीण परिवेश में मेले लगते हैं तो गांव के बच्चे, युवा, वृद्ध, महिलाएं रंग-बिरंगे परिधानों में सज-धज कर घरों से आराध्य देवता के दर्शन करने निकल जाते हैं। मेलों के दौरान सर्वप्रथम आराध्य देवता की पूजा की जाती है। लोकगीत गाते-बजाते समूहों में पैदल, बैलगाड़ी, ऊंट-गाड़ी या ऊंटों पर निकलते चले जाते हैं। उनके आसपास का प्राकृतिक वातावरण भी नाचने-गाने लगता है। प्राकृतिक परिवेश रमणीय हो जाता है। जिनका मेले में न जाने का मन होता है, वे भी मस्ती में झूम उठते हैं। पुराने समय में मेले में

जाने वाले सभी लोग दिन भर की यात्रा के बाद रात्रि में पूर्व नियत स्थान पर सामूहिक ठहराव करते थे। ठहराव बिंदु पर रात्रि में बाजार-सा लग जाता था जहां स्थानीय गांव के लोग जरूरत का सामान बेचते थे। पूरी रात समर्पित देवता (कुलदेवी-देवता) की श्रद्धा स्वरूप गाना-बजाना चलता था जिसमें महिलाओं की बढ-चढकर भागीदारी होती थी। समूह अगली सुबह गंतव्य के लिए प्रस्थान करता एवं अगली संध्या दूसरा समूह आकर ठहराव करता। यही क्रम वापसी में भी दोहराया जाता।

बचपन में मेलों की वर्षभर प्रतीक्षा रहती थी। कुछ सामान जो इस बार लोग नहीं खरीद सके, उसे अगली बार खरीदने का सपना संजोए रखते। गांवों की मेला आयोजन समितियां होने वाले विविध कार्यक्रमों का इशतहार जारी करती थीं। इसके पश्चात् दुकानों के लिए जगह आवंटन करना, खेलों-प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों हेतु टीम निर्धारित की जाती थी। स्थान आवंटन, किराया या टैक्स से आय होती थी।

जब किसी गांव की टीम क्रीडा या सांस्कृतिक प्रतियोगिता में विजयी होती यथा फुटबॉल, वालीबॉल, मुकदर (एकल भारोत्तोलन), कबड्डी, कुश्ती, घुड़दौड़, ऊंटदौड़ या गायन-नृत्य इत्यादि तब ग्रामीण समुदाय की भावना अभिव्यक्त होती थी। विजयी गांव वाले जाति समुदाय से ऊपर उठकर अपने गांव के व्यक्ति द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण सामूहिक खुशी मनाते जिससे प्रोत्साहित होकर, गांवों के युवा व प्रौढ वर्षभर अपने क्षेत्र में गांव की सामाजिक पहचान हेतु तैयारी करते थे। विजयी होने वाले व्यक्ति की चर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नायक जैसी रहती थी।

हाल के वर्षों में मेलों का स्वरूप बदला है। मेलों का स्वरूप

हाल के वर्षों में मेलों का स्वरूप बदला है। मेलों का स्वरूप बदलने से उनकी भूमिका भी घट रही है। युवाओं का गांवों से पलायन होने के कारण, समयभाव के कारण मेलों के प्रचलन में कमी आई है। मेलों में आने-जाने के लिए साधनों का उपयोग बदला है। ब्रांडेड सामान की मांग बढ़ने लगी है। टीवी पर प्रसारित होने वाले खेलों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोग व्यस्त हो गए हैं। ग्रामीणों में आपसी लगाव में कमी आई है। मेलों में बढ़ती हिंसा, महिलाओं से छेड़छाड़, शराब सेवन व उत्पात, भीड़जनित दुर्घटनाएं इत्यादि इनके प्रति घटते आकर्षण के कारण हैं।

बदलने से उनकी भूमिका भी घट रही है। युवाओं का गांवों से पलायन होने के कारण, समयाभाव के कारण मेलों के प्रचलन में कमी आई है। मेलों में आने-जाने के लिए साधनों का उपयोग बदला है। ब्रांडेड सामान की मांग बढ़ने लगी है। टीवी पर प्रसारित होने वाले खेलों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोग व्यस्त हो गए हैं। ग्रामीणों में आपसी लगाव में कमी आई है। मेलों में बढ़ती हिंसा, महिलाओं से छेड़छाड़, शराब सेवन व उत्पात, भीड़जनित दुर्घटनाएं इत्यादि इनके प्रति घटते आकर्षण के कारण हैं। तीव्र गति यातायात के साधनों एवं इंटरनेट ने कई मेलों की प्रासंगिकता को ही चुनौती दे दी है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि मेलों द्वारा प्रदत्त क्रय-विक्रय स्थल का कोई भी इंटरनेट आधारित आभासी प्लेटफार्म विकल्प नहीं बन सकता है।

परन्तु, पहले से ही कमजोर कड़ियों के दौर से गुजरते ग्रामीण मेलों पर मार्च 2020 एवं अप्रैल 2021 में कोरोना महामारी के चलते लगी अघोषित रोक किसी व्रजपात से कम नहीं है। संपूर्ण देश की दृष्टि से देखें तो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया। ऐसी स्थिति में हाशिए पर जीवनयापन करने वाला व्यक्ति यथा प्रसाद विक्रेता, मुंडन करने वाला नाई, लोहे एवं लकड़ी के उपकरण बनाने वाले बढ़ई एवं लुहार सब बेकार हो गए। ग्रामीणों के मनोरंजन के साधनों का छिन जाना ही अवसरों का छिन जाना है। ऐसी स्थिति में बच्चे, महिलाओं, वृद्ध, युवा इत्यादि की दशा बद से बदतर हो गई है। लोगों के लिए महंगा मनोरंजन वहन करना अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया।

अतएव, समाज एवं सरकार को मेलों की प्रासंगिकता पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। इनके द्वारा सृजित रोजगार एवं

सकल घरेलू उत्पाद में सहयोग पर ध्यान देना होगा। इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसन्नता प्रदान करने में योगदान का सही आंकलन करना होगा। इसके लिए इस दिशा में समुचित सर्वे करवाना ज़रूरी है। सर्वे में पशु मेलों में शामिल होने वाले पशुपालकों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। कोरोना काल की पावंदियों के कारण, असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए मेलों में रोजगार पाने वाले सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इन्हें इस प्रकार की महामारी से उबारने के लिए संगठित क्षेत्र के समान वित्तीय सुविधाएं जैसे वित्तीय सहायता एवं रियायती दर पर ऋण इत्यादि उपलब्ध कराया जाए। पशुओं हेतु मुफ्त बीमा, मुफ्त पानी एवं चारे इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। इस दिशा में प्रयास किया जाए तभी ग्रामीण मेले रोजगार एवं प्रसन्नता के स्तम्भ बने रह सकेंगे। एक सार्थक प्रयास एवं पहल सरकार और जनता (शहरी एवं ग्रामीण) द्वारा होनी चाहिए।

आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अंतर्गत अमृत महोत्सव मना रहे राष्ट्र की यह सच्ची पहल होगी कि सहस्रों वर्षों से प्रचलित ग्रामीण मेले जो लाखों-करोड़ों नर-नारियों को रोजगार के साथ-साथ खुशी एवं मनोरंजन प्रदान करवाते हैं, उन्हें न केवल बचाया जाए बल्कि उनमें आ रही विकृतियों से रक्षा कर उनकी उपादेयता समयानुकूल बनाई जाए। ग्रामीण मेलों का जीडीपी में योगदान चिन्हित हो। भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में ग्रामीण मेलों द्वारा जुटाया गया सकल घरेलू उत्पाद एक प्रकार का गिलहरी प्रयास है, जिसे नज़रंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए।

(लेखक दयाल सिंह सांध्य महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राचार्य हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : pawandcac@gmail.com

जनजातीय गौरव दिवस

“आजादी के इस अमृतकाल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परम्पराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाएगा।” प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर, 2021 को रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए ये उद्गार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा बहुत लंबे समय तक इस धरती पर नहीं रहे लेकिन उन्होंने जीवन के इस छोटे से कालखंड में देश के लिए एक पूरा इतिहास लिखा और भारत की पीढ़ियों को दिशा दी।

संक्षिप्त जीवन परिचय : निडर आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने दमनकारी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व करके स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, 1875 को हुआ था। वे छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की मुंडा जनजाति के थे। उन्हें अक्सर ‘धरती आबा’ या ‘जगत पिता’ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सलगा में अपने शिक्षक जयपाल नागो के मार्गदर्शन में प्राप्त की। वर्ष 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर (झारखंड) के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे ‘मुंडा उलगुलान’ (विद्रोह) भी कहा जाता है। इस विरोध में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका रही और इसकी शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंटकटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई थी। 9 जून, 1900 को 25 साल की छोटी उम्र में रांची जेल में उनका निधन हो गया। अपने छोटे से जीवनकाल में बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदाय को लामबंद किया और औपनिवेशिक अधिकारियों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा हेतु कानून बनाने के लिए मजबूर किया। उन्हीं के प्रयासों के परिणामस्वरूप ‘छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम’ पारित किया गया, जिसने आदिवासी से गैर-आदिवासियों में भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया।

बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में विस्तार से जानने के लिए प्रकाशन विभाग द्वारा आधुनिक भारत के निर्माता शृंखला (Builders of Modern India) के तहत बिरसा मुंडा पर प्रकाशित पुस्तक को ऑनलाइन खरीदने के लिए प्रकाशन विभाग की वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in पर जाएं अथवा प्रकाशन विभाग के विक्री केंद्रों या अधिकृत एजेंटों से संपर्क करें।

अगले 2 वर्षों में ढाई करोड़ ग्रामीण एसएचजी महिलाओं को आजीविका सहायता



“प्रेरणादायी और आकांक्षी ‘मिशन एक लाख रुपये’ गांवों में बदलाव लाने के लिए यह एक गेम चेंजर पहल साबित होगी।”
—केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण एसएचजी महिलाओं को प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये कमाने में सक्षम बनाने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। एक लाख रुपये की वार्षिक आय के लक्ष्य को साकार करने के लिए मंत्रालय घरेलू स्तर पर आजीविका गतिविधियों में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को उच्च आर्थिक क्रम में ले जाने पर अधिक ध्यान देने के लिए, एसएचजी से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए एक पहल की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण एसएचजी महिलाओं को प्रति वर्ष कम से कम एक लाख रुपये कमाने में सक्षम बनाना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों में 2.5 करोड़ ग्रामीण एसएचजी महिलाओं को आजीविका सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। देशभर में मौजूद विभिन्न मॉडलों के आधार पर राज्य सरकारों को एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई है। 28 अक्टूबर, 2021 को इस विषय पर विशेष चर्चा के लिए राज्यों, वीएमजीएफ (विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन) और टीआरआईएफ (ट्रांसफॉर्मेशन रूरल इंडिया फाउंडेशन) के साथ एक हितधारक परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में हुई चर्चा में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों से लेकर पशुधन, एनटीएफपी (गैर-लकड़ी वन उत्पाद) और इनके सम्मिलन के माध्यम से अन्य हस्तक्षेपों तक घरेलू-स्तर पर आजीविका गतिविधियों में विविधता लाने के लिए सुनियोजित हस्तक्षेपों के महत्व पर जोर दिया गया ताकि लगातार एक लाख रुपये की सालाना आय प्राप्त हो सके। इस प्रकार के हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए एसएचजी, वीओ (ग्राम संगठन) और सीएलएफ (क्लस्टर-स्तर पर संघ) को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित एसएचजी सदस्यों के समर्पित सामुदायिक कार्यकर्ता उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। इस हस्तक्षेप में नागरिक समाज संगठनों, केवीके (कृषि विज्ञान केंद्र) और निजी बाजार के अन्य खिलाड़ियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्यों को भी इन साझेदारियों को प्रोत्साहित करने और मजबूत बनाने की सलाह दी गई थी।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक परिपूर्णता वाली सोच पर काम करता है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 7.7 करोड़ महिलाओं को 70 लाख स्वयंसहायता समूहों में शामिल करने के साथ 6768 ब्लॉकों को कवर किया गया है। एसएचजी को प्रारंभिक पूंजीकरण सहायता प्रदान करने से लेकर सालाना लगभग 80 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी जा रही है। इस मिशन के तहत, विभिन्न वर्ग और जाति की गरीब महिलाएं स्वयंसहायता समूहों और उनके संघों में शामिल होती हैं, जो अपने सदस्यों को उनकी आय और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक विकास सेवाएं प्रदान करते हैं।

डीएवाई-एनआरएलएम मिशन की प्रगति

2014 में मिशन से 2.35 करोड़ एसएचजी सदस्य जुड़े थे जिनका बैंक लिंकेज 80,000 करोड़ रुपये था और उस समय एनपीए 9.5 फीसदी था। यह आंकड़ा एसएचजी सदस्यों के रूप में 8 करोड़ महिलाओं तक पहुंच गया है, जिसमें 4 लाख करोड़ रुपये का बैंक लिंकेज है जबकि एनपीए महज 2.8 फीसदी है। वर्ष 2022-24 तक, एसएचजी के दायरा बढ़कर 10 करोड़ सदस्यों का हो जाएगा और उनके लिए सालाना एक लाख रुपये या उससे अधिक की कमाई करना मुमकिन हो सकता है जिससे उनका जीवन-स्तर बेहतर होगा।

वर्षों से एसएचजी द्वारा बैंक पूंजीकरण सहायता के माध्यम से उधार ली गई इस धनराशि का उपयोग अब आजीविका के विविध अवसर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, इन कोशिशों से सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं, फिर भी यह महसूस किया गया है कि महिला एसएचजी सदस्यों की स्थायी आजीविका और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने यानी उन्हें लखपति बनाने के लिए प्रति वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपये की उनकी आय सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। एक लाख रुपये का यह आंकड़ा

ग्रामीण एसएचजी महिलाओं के लिए आकांक्षी और प्रेरणादायक दोनों है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जो ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण और विविध आजीविका के अवसर पैदा करने पर ध्यान देने के साथ ग्रामीण गरीबों को स्वशासित संस्थानों में संगठित करती है। मिशन ने महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के माध्यम से काफी प्रगति की है और किसानों के रूप में महिलाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है। सामुदायिक एकजुटता और महिलाओं की संस्थाओं के निर्माण के चरण से आगे बढ़ते हुए, अब ध्यान एसएचजी महिलाओं को उत्पादक समूहों, एफपीओ और निर्माता कंपनियों के माध्यम से उच्च क्रम की आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने पर है।

(पीआईबी)

गांधी साहित्य के अग्रणी प्रकाशक

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव




चुनिदा ई-बुक
एमेज़ॉन और गूगल प्ले
पर उपलब्ध



प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ई-मेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in



प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पांच वर्ष

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 'सभी को आवास' प्रदान करने के उद्देश्य से संशोधित ग्रामीण आवास योजना शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 20 नवंबर, 2016 को शुरू की गई। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पीएमएवाई-जी घरों को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

20 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 5 वर्ष पूरे हो गए। इस दिन को 'आवास दिवस' के रूप में मनाया गया। 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय समय-सीमा के भीतर लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। योजना की शुरुआत से अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 1.47,218.31 करोड़ रुपये जारी किए गए और 1.63 करोड़ आवास बनाए गए।



असम

वित्तीय स्थिति

पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, पीएमएवाई-जी अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी घरों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। योजना के लाभार्थी मनरेगा से 90/95 श्रम दिन के अकुशल श्रम के भी हकदार हैं। शौचालय के निर्माण के लिए एसबीएम-जी को आवास योजना से जोड़ने के माध्यम से भी मदद ली जाएगी। पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत पाइप से पेयजल, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन आदि भी मिल सकता है।

उन परिवारों की पहचान के लिए जो एसईसीसी-2011 के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार पीएमएवाई-जी के तहत मदद पाने के लिए पात्र हैं, लेकिन पात्र लाभार्थियों की सूची में उनके नाम शामिल नहीं हैं, ऐसे पात्र परिवारों की एक अतिरिक्त सूची बनाने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन 'आवास' का उपयोग करके

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक अभियान चलाया था। सर्वेक्षण जनवरी 2018 में शुरू किया गया, जो 7 मार्च, 2019 तक पूरा हुआ। आवास सर्वेक्षण में कुल 3.57 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया जिनमें से 2.76 करोड़ परिवार पात्र पाए गए। अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 51.07 लाख परिवारों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं।

इस कार्यक्रम को ई-गवर्नेंस समाधान आवास सॉफ्ट और आवास ऐप के माध्यम से लागू किया जा रहा है और इन्हीं ऐप के जरिए इनकी निगरानी भी की जा रही है। आवास सॉफ्ट ऐप इस योजना के कार्यान्वयन पहलुओं से संबंधित कई आंकड़ों का डेटा योजना की शुरुआत से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई कुल राशि

वित्तीय वर्ष	राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की गई कुल राशि (राशि करोड़ रुपये में)
2016-17	16,058
2017-18	29,889.86
2018-19	29,331.05
2019-20	27,305.84
2020-21	36857.93
2021-22	7775.63
कुल	1,47,218.31

15 नवंबर, 2021 तक के आंकड़े



ओडिशा

रखने और निगरानी के लिए बेहतर साधन के रूप में काम करता है। इन आंकड़ों में भौतिक प्रगति (पंजीकरण, स्वीकृतियां, मकान निर्माण पूरा करना और किशतों का जारी होना आदि), वित्तीय प्रगति, अन्य योजनाओं के साथ मिलान की स्थिति आदि शामिल हैं। 2016 में इस योजना के शुभारंभ के बाद से ही इस सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर को अधिक सुगम बनाने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसमें नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं। सॉफ्टवेयर में हाल ही में जोड़े गए कुछ मॉड्यूल नीचे दिए गए हैं—



मध्य प्रदेश

भूमिहीन मॉड्यूल— इस योजना में स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल भूमिहीन परिवारों का भी ध्यान रखा गया है। राज्य सरकार को भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के पीडब्ल्यूएल में शामिल भूमिहीन लाभार्थियों का सही खाका बनाने और उपलब्ध कराई गई ज़मीन की स्थिति का आकलन करने या भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की स्थिति का पता लगाने के लिए भूमिहीन पर एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। यह मॉड्यूल भूमिहीन लाभार्थियों को या तो ज़मीन खरीदने के लिए आर्थिक रूप से सहायता या भौतिक रूप से ज़मीन देने की स्थिति को दर्शाता है।

ई-टिकटिंग प्रणाली— पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बताई गई तकनीकी के साथ-साथ गैर-तकनीकी मुद्दों से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए इस मॉड्यूल की शुरुआत की गई है।

आधार-आधारित भुगतान प्रणाली— एवीपीएस सुरक्षित और प्रामाणिक लेनदेन के लिए संबंधित लाभार्थी के आधार नंबर से

योजना की शुरुआत के बाद से संचयी लक्ष्य के मुकाबले पीएमएवाई-जी के तहत उपलब्धियां

2016-17 से 2020-21 तक पीएमएवाई-जी के तहत संचयी लक्ष्य	2.62 करोड़
पंजीकरण	2.20 करोड़
जियो टैगयुक्त मकान	2.16 करोड़
स्वीकृत मकानों की संख्या	2.09 करोड़
भुगतान की गई पहली किशतों की संख्या	1.98 करोड़
भुगतान की गई दूसरी किशतों की संख्या	1.80 करोड़
भुगतान की गई तीसरी किशतों की संख्या पूर्ण रूप से निर्मित घरों की संख्या	1.63 करोड़

15 नवंबर 2021 तक के आंकड़े, जैसाकि एमआईएस आवाससॉफ्ट पर दर्ज किया गया है

जुड़े उसके बैंक खाते में पीएमएवाई-जी लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की अनुमति देता है।

उपरोक्त के अलावा, पीएमएवाईजी की विशेषताओं/डिज़ाइन से लेकर निष्पादन तक को समझने पर एक मॉड्यूल आईजीओटी पर भी उपलब्ध है, जो पीएमएवाई-जी के हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है।

(पीआईबी)

कुरुक्षेत्र का आगामी अंक

जनवरी 2022 - स्मार्ट कृषि





संस्कृति मंत्रालय ने तीन अनूठी प्रतियोगिताएं शुरू की

मुख्य विशेषताएं

- संस्कृति मंत्रालय देशभर में देशभक्ति गीत लेखन, रंगोली बनाने और लोरी लेखन के लिए तहसील/तालुका-स्तर से लेकर राष्ट्रीय-स्तर तक प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है।
- इस पहल की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर, 2021 को 'मन की बात' कार्यक्रम में की थी और 31 अक्टूबर, 2021 से राष्ट्रीय एकता दिवस पर सोशल मीडिया पर प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक भागीदारी के लिए प्रविष्टियां खोली गई हैं।
- यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आता है जो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की एक अनूठी पहल है।

'आज़ादी का अमृत महोत्सव' प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत को उसकी यात्रा में, बल्कि भारत को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पहल की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर, 2021 को 'मन की बात' कार्यक्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव कला, संस्कृति, गीत और संगीत के रंगों से भरा होना चाहिए। निम्नलिखित तीन गतिविधियां शुरू की गई हैं जिनमें व्यापक जनभागीदारी होगी:


- देशभक्ति गीत लेखन
- लोरी लेखन
- रंगोली बनाना

संस्कृति मंत्रालय तहसील/तालुक-स्तर से राष्ट्रीय-स्तर तक उपरोक्त तीनों गतिविधियों के लिए सभी के लिए युनिटी क्रिएटिविटी के रूप में एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। भागीदारी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' (एकेएम) की वेबसाइट amritmahotsav.nic.in पर उपलब्ध हैं। इस पहल का उद्देश्य भागीदारी को प्रोत्साहित करना है ताकि वास्तविक 'जन भागीदारी' सुनिश्चित की जा सके।


इन प्रतियोगिताओं को भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने देशभक्ति गीत प्रतियोगिता के लिए, ऑस्कर विजेता ए. आर. रहमान ने लोरी लेखन प्रतियोगिता के लिए और पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने रंगोली बनाने की प्रतियोगिता के लिए डिजिटल




दिल में छुपी देश भक्ति को गीतों की पहचान दौड़िये,
'देशभक्ति गीत'
लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिये
आयु सीमा: 16 - 45 वर्ष
अधिक जानकारी के लिए
amritmahotsav.nic.in
#UnityInCreativity
प्रत्येक प्रतिभा को प्रमाण पर दिया जाएगा।



नये-पुत्रों के मन में भी देशभक्ति का जन्म जगाये
'आओ मिलकर कोई नई लोरी लिखें'
लोरी प्रतियोगिता में भाग लें
प्रतियोगिता 31 अक्टूबर 2021 से शुरू
बच्चे बचपन से ही देशभक्ति के लिए प्रेरित हों।
amritmahotsav.nic.in
#UnityInCreativity
प्रत्येक प्रतिभा को प्रमाण पर दिया जाएगा।



नए भारत की गाथा
रंगोली
के माध्यम से करें साझा
आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रंगोली प्रतियोगिता में भाग लें
अधिक जानकारी के लिए
amritmahotsav.nic.in
#UnityInCreativity
प्रत्येक प्रतिभा को प्रमाण पर दिया जाएगा।



रूप से जनता के लिए पेश किया। गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्री, पीआईबी, एआईआर, डीडी, वीओसी सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों माइगव, विभिन्न माननीय मंत्रियों और मंत्रालयों के साथ-साथ नागरिकों ने इसके बारे में जानकारी दी है।

यह प्रतियोगिता कुछ महीनों तक चलेंगी और विजेताओं को शानदार इनाम दिए जाएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के संस्कृति, पर्यटन और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान करते हुए इसके बारे में पोस्ट किया।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष जन आंदोलन बने। संस्कृति मंत्रालय इस तरह के कार्यक्रमों की पहचान के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ काम कर रहा है और इस अवसर पर इसे एक उत्सव बनाने के लिए ज़मीनी-स्तर पर समुदायों के साथ काम कर रहा है।

(पीआईबी)

आर. एन. आई./708/57

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2021-23

आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.

दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2021-23

01 दिसंबर, 2021 को प्रकाशित एवं 5-6 दिसंबर, 2021 को डाक द्वारा जारी



R.N.I/708/57

P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2021-23

ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2021-23

to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.



प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

देश के सबसे बड़े सरकारी प्रकाशन समूह संग व्यापार का अवसर

हमारी लोकप्रिय पत्रिकाओं और साप्ताहिक रोज़गार समाचार की विपणन एजेंसी लेकर सुनिश्चित करें आकर्षक नियमित आय

विपणन एजेंसी मिलना... मतलब

- ✓ असीमित लाभ
- ✓ निवेश की 100% सुरक्षा
- ✓ स्थापित ब्रांड का साथ
- ✓ पहले दिन से आमदनी
- ✓ न्यूनतम निवेश-अधिकतम लाभ

रोज़गार समाचार के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-1000	25%
1001-2000	35%
2001-अधिक	40%

मासिक पत्रिकाओं के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-250	25%
251-1000	40%
1001-अधिक	45%

विपणन एजेंसी पाना बेहद आसान

- किसी शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं
- कोई व्यावसायिक अनुभव जरूरी नहीं
- खरीद का न्यूनतम तीन गुना निवेश (पत्रिकाओं हेतु) अपेक्षित



सम्पर्क

रोज़गार समाचार
फोन: 011-24365610
ई-मेल: sec-circulation-moib@gov.in

पत्रिका एकक
ई-मेल: pdjucir@gmail.com
फोन: 011-24367453

पत्र भेजें : रोज़गार समाचार, कक्ष संख्या-779, 7वां तल, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रकाशक और मुद्रक: मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना